लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Sect. 6-7-91
Fumigated On 16.1.84
Parliament Library

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 32, गुरुवार, 28 मार्च, 1968/8 चैत्र, 1890 (शक)

No. 32, Thursday, March 28, 1968/Chaitra 8, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
898. गो रक्षा समिति	Cow Protection Committee	.. 117—119
899. श्रीलंका तथा बर्मा से वापस स्वदेश लौटे हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Ceylon and Burma	.. 119—125
900. खाद्य स्थिति के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference on Food Situation	.. 125—130
901. यूनिवर्सल प्रेस सर्विस (जर्मनी)	Universal Press Service (Germany)	.. 131—132
902. उच्च न्यायालयों में एडवोकेटों के नाम दर्ज करना	Enrolment of Advocates in High Courts	.. 132—134
903. गन्ने का मूल्य	Price of Sugar-cane	.. 134—136
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
13. दिल्ली में टेलीफोनों का काटा जाना	Disconnection of Telephones in Delhi	.. 137—143
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
904. डाक और तार विभाग को हुई हानि	Loss to P & T Department	.. 143—144
905. अनाज की वसूली	Procurement of Foodgrains	.. 144

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		

906. संयुक्त प्रबन्ध परिषद् का कार्यक्रम	Joint Management Council Programme ..	144—145
907. कानपुर कपड़ा मिल पर बकाया भविष्य निधि की देय राशि	Provident Fund Dues outstandings from Kanpur Textile Mills	145
908. पंचायत राज कार्यक्रम	Panchayat Raj Programme ..	146
909. खाद्यान्न की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता	Per capita of Foodgrains ..	146—147
910. खाद्यान्नों का लाना ले जाना	Movement of Foodgrains	147
911. निर्वाचन आयोग का चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report of Election Commission ..	147—148
912. दीर्घकालीन कृषि ऋण	Long Term Agricultural Loans ..	148
913. रेमन इंजीनियरिंग वर्क्स, हावड़ा	Raymon Engineering Works, Howrah	149
914. कृषि आयोग	Agricultural Commission ..	149—150
915. बीज फार्मों के लिये निगम	Corporation for Seed Farms ..	150
916. सरकारी कर्मचारियों का राजनीति में भाग लेना	Participation of Government Employees in Politics ..	150
917. दक्षिण भारत में संसद् का सत्र	Parliament Session in South India	151
918. उर्वरक ऋण गारंटी निगम	Fertilizer Credit Guarantee Corporation ..	151—152
919. आंधी तूफान से महाराष्ट्र में फसलों को क्षति	Damage to Crops in Maharashtra by Hailstorm	152
920. पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव	Mid Term elections in West Bengal ..	152—153
921. पश्चिमी बंगाल में कन्टाई में सहायता कार्य	Relief Measures in Contai in West Bengal ..	153
922. पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Journalists and non-Journalists ..	153—154
923. खम्भों पर लगे टेलीफोन तथा बिजली के तांबे के तारों की चोरी	Theft of overhead Telephone and Copper Wires ..	154
924. राज्यों को चीनी की सप्लाई	Supply of Sugar to States ..	154—155
925. खाद्यान्न की कीमतें	Prices of Foodgrains	155

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
926. कच्चे पटसन के समर्थन मूल्य	Price support in Raw Jute ..	155—156
927. दक्षिण भारत में संसद् के सत्र सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति	Committee of M. Ps. on Parliament Session in South India ..	156
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5477. हिन्दी में तार भेजना	Transmission of Telegrams in Hindi ..	156
5478. केन्द्रीय भाण्डागार निगम	Central Warehousing Corporation ..	157
5479. आंध्र प्रदेश को गेहूं की सप्लाई	Supply of Wheat to Andhra Pradesh ..	157—158
5480. कालकाजी कालोनी में प्लाटों का अलाटमेंट	Allotment of plots at Kalkaji Colony ..	158
5481. दिल्ली में चावल तथा गेहूं का मूल्य	Price of Rice and Wheat in Delhi ..	159
5482. पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये नई बैरकपुर कालोनी	New Barrackpore Colony for displaced persons in West Bengal ..	159—161
5483. पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये नई बैरकपुर कालोनी	New Barrackpore colony for displaced persons from East Pakistan	161
5484. पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये नई बैरकपुर कालोनी	New Barrackpore colony for displaced Persons in West Bengal ..	161—162
5486. निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) के लिये नये टेलीफोन केन्द्र	New Telephone Exchanges for Nizamabad (Andhra Pradesh) ..	162
5487. निजामाबाद और हैदराबाद के बीच टेलीफोन लाइन का खराब रहना	Failure of Telephone line between Nizamabad and Hyderabad ..	162—164
5488. उभरी हुई टिकट मुहर के बिना अन्तर्देशीय पत्रों का छापा जाना	Printing of Inland Letter Forms without Embossed stamps ..	164
5489. सरकारी बीज क्षेत्र	Government Seeds Farms ..	164—165

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5490. वीरघाटम (आंध्र प्रदेश) में टेलीफोन केन्द्र खोलना	Opening of Telephone Exchange at Veeraghattam (Andhra Pradesh)		165
5491. ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	..	165
5492. बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीय	Burma Repatriates	..	165—166
5493. सोयाबीन की खेती	Cultivation of Soyabeans	..	166
5494. आसनसोल में रथीबाथी और कुआरडीह कोयला खानें	Rathibathi and Kuardih Collieries in Asansol	..	166
5495. भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Ground Water Survey	..	167—168
5496. दिल्ली में अनाज की जमाखोरी	Hoarding of Foodgrains in Delhi	..	168
5497. संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र	Parliamentary and Assembly constituencies	..	168
5498. जम्मू तथा काश्मीर में गुप्त रेडियो स्टेशन	Pirate Radio Station in J & K.	..	169
5499. उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilizers		169
5501. विधि मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी का एक पद	Post of an Officer on special Duty in Ministry of Law	..	169—170
5502. त्रिचुर में कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिये डाक व तार विभाग द्वारा अर्जित भूमि	Land Acquired by P & T Department for construction of Staff quarters in Trichur	..	170
5503. श्रीलंका से आये भारतीयों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indians from Ceylon	..	170—171
5504. खाद्योत्पादन में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in Foodgrains	..	171
5505. पूर्वी बंगाल को चावल की तस्करी	Smuggling of Rice to East Bengal	..	171—172
5506. सहकारी चावल मिलें	Co-operative Rice Mills	..	172
5507. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये सूचना बुलेटिन	Information Bulletins issued by Election Commission	..	172—173
5508. बिहार के उप-डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Offices in Sub-Post Offices of Bihar	..	173

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
J. S. Q. Nos.		

5509. आन्ध्र प्रदेश में चावल की खरीद	Purchase of Rice in Andhra Pradesh ..	173—174
5510. भविष्य निधि की राशि का निदेश	Investments of Provident Fund Money ..	174
5511. कृषि स्नातक	Agricultural Graduates ..	174—175
5512. रेडियो लाइसेंस	Radio Licences ..	175—176
5513. मोसाबानी तांबा खानें	Mosabani Copper Mines	176
5514. डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान	Residential Accommodation for P & T Employees ..	176—177
5515. काश्मीर में बसाये गये अप्रवासी	Immigrants settled in Kashmir	177
5516. किसानों को लम्बी अवधि के लिये ऋण	Long Term Credit to Farmers ..	177—178
5517. बर्मा से चावल	Rice from Burma ..	178—179
5518. निर्वाचन आयोग द्वारा हिन्दी में जारी किये गये सामान्य आदेश	General Orders issued by Election Commission in Hindi ..	179
5519. राज्य सभा के लिये निर्वाचन	Elections to Rajya Sabha ..	179—180
5520. हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्न की सप्लाई	Food Supply to Himachal Pradesh ..	180—181
5521. खाद्यान्न का समाहार करने के क्षेत्र	Food Procurement Areas ..	181
5522. राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई	Food Supply to States ..	181—182
5523. खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक	Food and Agriculture Organisations Meeting ..	182
5524. महेश्वरी देवी पटसन मिल, कानपुर	Maheshwari Devi Jute Mills, Kanpur ..	182—183
5525. चुनाव आयोग	Election Commission ..	183
5526. चुनाव आयोग में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Election Commission ..	184
5527. चुनाव आयोग में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Election Commission ..	184—185

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5528. केरल में भारत स्विटजरलैण्ड कृषि योजना	Indo-Swiss Agricultural Scheme in Kerala ..	185—186
5529. मनीआर्डर फार्म	Money Order Forms	186
5530. रामचरित मैदान बंगामा गांव (बिहार) में डाकघर	Post Office in Ramcharitra Maidan Vangama Village (Bihar)	186
5531. बुकर गांव (बिहार) में डाकघर	Post Office in Bukar Village (Bihar) ..	187
5532. प्रतापनगर (गुजरात) में टेलीफोन की सुविधायें	Telephone Facilities in Pratapnagar (Gujarat)	187
5533. दिल्ली में रोजगार दिलाऊ दफ्तर	Employment Exchange, Delhi ..	187—188
5534. दुग्ध टोकनों का जारी किया जाना	Issue of Milk Tokens	188
5535. निर्वाचन आयोग में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Election Commission	188
5536. आन्ध्र प्रदेश में फसलों को हानि	Damage to Crops in Andhra Pradesh ..	188—189
5537. कटराव छोटेदीह कोयला खान में छंटनी	Retrenchment in Katras—Chhotaidih Colliery ..	189
5538. बिहार में वीरपुर के निकट बीजों का उत्पादन बढ़ाने का कार्य	Seeds Multiplication Farm near Birpur (Bihar) ..	189—190
5539. पूर्वी पाकिस्तान को खाद्यान्नों की तस्करी	Smuggling of Foodgrains to East Pakistan ..	190
5540. आजाद हिन्द आरजी हकूमत के स्थापना दिवस के रजत-जयन्ती समारोह के अवसर पर विशेष टिकट जारी करना	Issue of Special Stamps at Silver Jubilee Celebration of Foundation Day of Azad Hind Arzi Hakumat ..	190—191
5541. कोन्टाई सब डिवीजन में भूख से मौतें	Starvation Deaths in Contai Sub-division ..	191—192
5542. पश्चिम बंगाल को कृषि उपकरणों की सप्लाई	Supply of Agricultural Implements to West Bengal	192
5543. नई दिल्ली में अन्नपूर्णा भोजनालय	Annapoorna Cafe in Delhi ..	192—193

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5544. राजस्थान में अकाल	Famine in Rajasthan ..	193
5545. दिल्ली धोबी सहकारी समितियां लिमिटेड	Delhi Dhobi Co-operative Societies Ltd. ..	193—194
5546. शरणार्थी शिविरों का बन्द किया जाना	Closure of Refugee Camps ..	194
5547. कार्मिक संघ आन्दोलन	Trade Union Movement ..	194—195
5548. कृषि उपकरणों का बीमा	Insurance of Agricultural Equipment ..	195
5549. गन्ने का मूल्य	Sugar-cane Price ..	195
5550. खिलाड़ियों सम्बन्धी स्मृति डाक टिकट	Commemorative Stamps on Sportsmen	196
5551. दिल्ली में अध्यापकों के लिए कर्मचारी राजकीय बीमा योजना	Employees State Insurance Scheme for Teachers in Delhi ..	196
5552. रेगिस्तान के फैलाव को रोकना	Prevention of Spread of Desert ..	196—197
5553. गोबर गैस कारखाना	Dung Gas Plant ..	197—198
5654. दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme ..	198—199
5555. जाली ब्रिटिश पोस्टल आर्डर	Fake British Postal Orders ..	199
5557. उड़ीसा में घंटापोरा पुलिस थाना क्षेत्र में डाक बांटने में देरी	Delay in delivery of Mail in Ghantapora Police Station Area of Orissa ..	200
5558. खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी अनुमान	Estimates of Foodgrains production ..	200—201
5559. बेरोजगारी	Unemployment ..	201
5560. केन्द्रीय श्रम संगठन, गोरखपुर	Central Labour Organisations, Gorakhpur ..	201—202
5561. उत्तर प्रदेश में कार्मिक संघ	Trade Unions in Uttar Pradesh ..	202
5562. उर्वरक की उपलब्धता	Availability of Fertilizers ..	202
5563. किंग्जवे कैम्प (दिल्ली) में क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of quarters in Kingsway Camp (Delhi) ..	202—203
5564. महाराष्ट्र राज्य में दूसरी टेलीफोन फैक्टरी	Second Telephone Factory in Maharashtra State ..	203—204

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5565. महाराष्ट्र में अधिक उपज वाली किस्मों के बीज बोने का कार्यक्रम	Programme of High yielding varities in Maharashtra	204
5566. कोयला मजूरी बोर्ड	Coal Wage Board ..	205
5567. खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains ..	205
5568. मध्य प्रदेश को चीनी की सप्लाई	Sugar Supply to Madhya Pradesh ..	205
5569. राज्यों को चीनी का वितरण	Distribution of Sugar to States ..	206
5570. खाद्यान्नों के लिए राजसहायता बन्द किए जाने पर राज्यों को ऋण	Loan to States to meet subsidy of Foodgrains	206
5571. बुलन्दशहर जिले में खेती योग्य भूमि	Cultivation of land in Bulandshahr District ..	206—207
5572. बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में नलकूप	Tube-wells in Bulandshahr (U. P.) ..	207
5573. धार्मिक और धर्मस्व संस्थाएं	Religious and Endowment Institutions ..	207—208
5574. टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई	Supply of Telephone Instruments	208
5575. पूंजी विनियोजन से पहले वन आधारित उद्योगों का सर्वेक्षण	Pre-investment Survey of Forest based Industries	209
5576. भारतीय डाक विभाग के भूतपूर्व हवलदार क्लर्क	Ex-Havildar clerks of Indian Postal Department	209
5577. सेना लेखा विभाग के भूतपूर्व क्लर्क	Clerks of Military Accounts Department ..	209—210
5578. सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, हिसार	Central Co-operative Bank, Hissar ..	210
5579. संसद् सदस्यों को बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा	Free Travelling Facilities in Buses to M. Ps.	211
5580. उड़ीसा में टेलीफोन की मांग में वृद्धि	Increasing Demand for Telephones in Orissa ..	211
5581. दिल्ली और अन्य नगरों के बीच सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था सम्बन्धी योजनायें	Direct Dialling Schemes between Delhi and other Cities ..	211—21

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

5582. डाक तथा तार प्रशुल्क जांच समिति	P and T Tariffs Enquiry Committee	213
5583. दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazar in Delhi ..	213—214
5584. आंध्र प्रदेश में तम्बाकू का विकास	Development of Tobacco in Andhra Pradesh ..	214—215
5585. तेवरा का निर्यात	Export of Teora ..	215—216
5586. बस्तर क्षेत्र का विकास	Development of Bastar Region ..	216—217
5587. राजस्थान में कृषि औद्योगिक निगम	Agro Industrial Corporation in Rajasthan ..	217
5588. कम अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों का आयात	Import of Low H. P. Tractors ..	217—218
5589. बम्बई में अहमद मिल्स समूह	Ahmed Group of Mills in Bombay ..	218
5590. दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी समितियां	Consumer Co-operatives in Delhi ..	218—219
5591. मनीआर्डर फार्मों की तमिल में छपाई	Printing of Money Order Forms in Tamil ..	219
5592. आंध्र प्रदेश में अकाल	Famine in Andhra Pradesh ..	220—221
5593. बिजली कर्मचारियों की एसोसिएशनों सम्बन्धी मंजूरी बोर्ड	Wage Board for Electrical Association ..	221
5594. संगणकों का निर्माण	Manufacture of Computers ..	221—222
5595. दूध के स्थान पर तरल पदार्थ का प्रयोग	Milk Substitute ..	222
5596. मिट्टी परीक्षण की चलती-फिरती प्रयोगशाला	Mobile Soil Testing Laboratory ..	222—223
5597. जनरल पोस्ट आफिसों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of G. P. Os. ..	223
5598. दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme ..	223—224
5599. तम्बाकू का उत्पादन	Tobacco Production ..	224
5601. बम्बई जनरल पोस्ट आफिस का ट्रेजरी विभाग	Treasury Department of G. P. O. Bombay ..	225

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5602. अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में तीन भाषाओं में मनीआर्डर फार्म	Trilingual Money Order Forms in Non-Hindi Areas ..	225
5603. कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation ..	225—226
5604. सरकारी प्रक्षेत्र	State Farms ..	226
5606. कोयला खान मजूरी बोर्ड	Colliery Wage Board ..	226—227
5607. स्मृति में जारी किये गये डाक टिकट	Commemoration Postal Stamps ..	227
5608. सीयरसोल कोयला खान	Searsole Colliery ..	227—228
5609. मैसूर राज्य में वीराशैव मठ न्यास की सम्पत्तियां	Veerasaiva Muth Trust Properties in Mysore State ..	228
5610. श्रम अधिकारी	Labour Officers ..	228—229
5611. उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों तथा भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Landless persons and ex-servicemen in U. P. ..	229
5612. पालाघाट और कालीकट जिलों में नये डाकघर	New post office in Palghat and Calicut Districts ..	229
5613. आम की फसल	Mango Crop ..	229—230
5614. भारतीय खाद्य निगम को गोदाम सौंपे जाना	Transfer of Godowns to Food Corporation of India ..	230
5615. केन्द्रीय भाण्डागार निगम	Central Warehousing Corporation ..	230
5616. खाद्यान्नों को क्षति	Damage to Foodgrains ..	231
5617. भेड़ पालन उद्योग	Sheep breeding ..	231
5618. मदुरै में रेलवे डाक सेवा कार्यालय	R. M. S. Office at Madurai ..	231—232
5619. पश्चिम बंगाल में जमाखोरी को समाप्त करने का अभियान	De-Hoarding Operations in West Bengal ..	232
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों से सम्बन्धित अमानुषिक घटनाओं का समाचार	Reported inhuman incidents relating to Harijans in Andhra Pradesh ..	232—235
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege ..	235—236

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 236—238
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	.. 238
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	..
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	.. 238
सामान्य आय-व्ययक 1968-69 अनुदानों की मांगें	General Budget—1968-69 Demands for Grants	.. 239—269
गृह-कार्य मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	.. 239—252
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	.. 239—240
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	.. 240—242
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	.. 242
श्री चं० चु० देसाई	Shri C. C. Desai	.. 242—244
श्री बी० शंकरानन्द	Shri B. Shankaranand	.. 244—245
श्री लताफत अली खां	Shri Latafat Ali Khan	.. 245
श्री केदार पस्वान	Shri Kedar Paswan	.. 245—246
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 246—252
प्रतिरक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	.. 253—269
श्री गिरिराज शरण सिंह	Shri Girraj Saran Singh	254
श्री द० स० राजू	Shri D. S. Raju	.. 254—255
श्री बृजराज सिंह कोटा	Shri Brij Raj Singh Kotah	.. 256
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	.. 256—257
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	.. 265
श्री शशि भूषण वाजपेयी	Shri Shashi Bhushan Bajpai	.. 266
डा० मैत्रेयी बसु	Dr. Maitreyee Basu	.. 266—267
श्री गु० सिं० ढिल्लों	Shri G. S. Dhillon	.. 268—269
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	.. 255
फिल्मों के निर्माताओं द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement re. Strike of film producers	.. 267—268
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Shah	.. 267—268

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 28 मार्च, 1968/8 चैत्र, 1890 (शक)

Thursday, March 28, 1968/Chaitra 8, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Cow Protection Committee

\+
*898. **Shri Brahmanandji :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) when the report of the Cow Protection Committee is likely to be received ;

(b) whether it is a fact that Government propose to extend the term of the Cow Protection Committee ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Government expects the report of the Cow Protection Committee by the end of June, 1968.

(b) The life of the Committee has been extended upto 29-6-68.

(c) The Committee requested for the extension as it could not complete its report, despite best efforts.

Shri Swami Brahmanandji : Mr. Speaker, Sir, eight months have elapsed since this committee was set up and was asked to report in six month's time. The evidence put up by Government before that committee suggests that it is written in the Vedas that at that time even cows were being slaughtered. If such evidences are put up, it would show that the Government has already decided not to ban the slaughtering of the cows. I think if in this regard a drama is

being enacted then there is no point in having a committee. There has been no cow-slaughter in this country even during Muslim period. Lokmanya Tilak and Mahatma Gandhi had also said that the cow-slaughter would be banned just by an ordinary order, after attaining freedom. Such a drama is, therefore, of no use. I have been elected only for the sake of getting complete ban on cow slaughter. I may clearly be told if it is really a drama. If it is so then I may do whatever I can do for it. I am a saint and Gandhian. I shall observe a fast and die for its sake. Therefore I want that a correct and right answer may be given.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : नम्रता से स्वामी जी को मैं बताना चाहता हूं कि इस समिति में सर्वदलीय गोरक्षक महाभियान समिति के प्रतिनिधि भी हैं तथा प्रसिद्ध विधिवेत्ता न्यायाधिपति श्री सरकार इस समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार इस समिति की रिपोर्ट छः मास में चाहती थी परन्तु गवाहों की सूची को तैयार करने में समिति को कुछ समय लग गया। फिर गवाह स्मरण-पत्र देने में कुछ समय चाहते थे। अतः समिति ने इस समयावधि को आगे बढ़ाने की प्रार्थना की। इस समिति ने अब तक आठ या नौ बैठकें की हैं तथा वह इस मामले में गम्भीरता से विचार कर रही है। मैं नहीं समझता कि हमें इस समिति के कार्य पर सन्देह करना चाहिये।

Shri A. B. Vajpayee : Not committee's but Government's bona-fides are in doubt.

Shri Swami Brahmanand : Once again I would like to know the Government's desire.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार चाहती है कि समिति अपनी रिपोर्ट कम से कम बढ़ाये गये समय में प्रस्तुत कर दे। समिति की सिफारिशों को सरकार सर्वोच्च मान्यता देगी।

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, Swamiji's question was a different one. He had asked whether it was true that the evidence given by the Government experts showed that Government did not want ban on cow-slaughter. How far is it correct?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने के लिये हम किसी को रोक नहीं सकते। वास्तव में विचारार्थ विषय से ही स्पष्ट है कि गो-रक्षा के हर पहलू की जांच की जानी है। जब विशेषज्ञ आते हैं तो क्या सरकार उनको निर्देश दे सकती है कि वे अमुक ढंग से बोलें ? सरकार की ओर से हम कोई प्रतिनिधि नहीं भेज रहे हैं। वे सब अपने व्यक्तिगत रूप में यह सब कर रहे हैं।

Shri O. P. Tyagi : Mr. Speaker, Sir, I want to know whether the terms of reference of the committee, appointed by Government was as to how to protect cow-progeny or to decide whether there should be cow protection or not? Which of the two aims did Government have?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : विचारार्थ विषय तो बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे :

"यह समिति, गो-रक्षा के प्रश्न पर सर्वदलीय गो-रक्षक महाभियान समिति तथा अन्य लोगों द्वारा दिये गये सभी सुझावों जिनमें कि गो तथा गो-वंश की हत्या पर पूरा प्रतिबन्ध लगाना भी शामिल है, के प्रकाश में अपनी खोज-बीन करेगी तथा इस मामले के समस्त संवैधानिक, कानूनी,

आर्थिक तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करके, सरकार से सिफारिश करेगी कि"......... इत्यादि।

Shri Raghuvir Singh Shastri: I want to know whether Ch. Charan Singh, the ex-Chief Minister of U. P., who was appointed as one the members of this committee, will remain its member even when he is no longer the Chief Minister?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वास्तव में जब वह मुख्य मंत्री थे तब भी उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि उनके स्थान पर किसी अन्य को इस समिति में रखा जाये। वास्तव में, उन्होंने अपनी ओर से श्री विकल को मनोनीत किया था तथा हमने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं। परन्तु अब स्थिति बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब कोई सरकार नहीं है। पहले आधार यह था कि दो ऐसे राज्यों का समिति में प्रतिनिधित्व हो जहां गो-हत्या पूर्णतया बन्द है तथा दो ऐसे राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो जहां गो-हत्या बन्द नहीं है। सरकार इस सम्बन्ध में समिति के सुझाव भी मानने को तैयार होगी तथा उस राज्य से किसी व्यक्ति को भी स्वीकार कर लेगी। हमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री अटलबिहारी बाजपेयी : श्री विकल इसमें रहने चाहिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि राज्य को स्वीकार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Raghuvir Singh Shastri: May I know whether he is a member on behalf of Uttar Pradesh or not?

Mr. Speaker: Mr. Vikal is there, he said.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने यह नहीं कहा। क्योंकि पहली उत्तर प्रदेश सरकार अब नहीं रही है अतः वहां से कोई व्यक्ति बैठकों में नहीं आता।

Shri Randhir Singh: Mr. Speaker, Sir, the question of cow-protection is an issue which is based on the feelings, beliefs and religion. In view of the fact may I know whether, the Government have some plan or a scheme under which there might be complete protection of cow so that common people may get cow's milk, which is used as a medicine; and also cow's ghee which might lengthen the life and improve the health of the people of this country?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं नहीं समझता कि यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न होती है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : गाय के लिये केवल पांच मिनट।

अध्यक्ष महोदय : आपको गाय की सुरक्षा चाहिये न कि समय।

श्रीलंका तथा बर्मा से वापस स्वदेश लौटे हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

+
*899. **श्री नंजा गौडर** :

श्री रा० बरुआ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने श्रीलंका और बर्मा से भारत लौटने वाले

भारतीयों के पुनर्वास के लिये 3.75 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना प्रस्तुत की है जो 15 वर्षों में पूरी की जायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नीलगिरी में चाय बागान के लिये ली गई 1500 हैक्टेयर भूमि इस कार्य के लिये अलाट की गई है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या किन्हीं अन्य राज्य सरकारों ने भी विदेशों से स्वदेश आने वाले भारतीयों को बसाने के लिये अपने राज्यों में सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है ?

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). मद्रास सरकार से नीलगिरी में 1500 हैक्टेयर भूमि पर चाय बागान के लिये, जो कि 15 वर्षों में पूरे किये जायेंगे, लगभग 3.75 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह योजना श्रीलंका से लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये है और इस पर कार्यवाही जा रही है।

(घ) जी, हां।

श्री रा० बरुआ : भारत-लंका के मध्य वर्ष 1964 में हुए समझौते के अन्तर्गत श्रीलंका से आने वाले विस्थापितों की कुल संख्या क्या है ? क्या यह सत्य है कि इन विस्थापितों में अधिक प्रतिशतता चाय के बागों में काम करने वालों की है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जी हां, उनमें से 90 प्रतिशत चाय के बागों में काम करने वाले हैं। भारत में जिनके आने की सम्भावना है उनमें भारत मूलकों की संख्या 9.5 लाख है। समझौते के अन्तर्गत 3 लाख व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जायेगी। 5.25 लाख व्यक्तियों की 15 वर्ष से अधिक समय में देश में आने की सम्भावना है।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार इन लोगों को सीमा शुल्क तथा अन्य बन्धनों के बारे में रियायतें देने को तैयार है ताकि ये लोग श्रीलंका से अपनी कीमती चीजें भारत ला सकें ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जी हां।

श्री कण्डप्पन : विस्थापितों को बसाने के पुराने अनुभव ने हमें कुछ सिखाया है उदाहरणार्थ जब पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों को मद्रास तथा दूसरे दक्षिणी राज्यों में बसाया गया तो उन्हें वहां की स्थिति अपने सामाजिक जीवन के अनुकूल नहीं लगी तथा वे उस स्थान को छोड़कर चले गये। अत: मैं जानना चाहूंगा कि बर्मा और श्रीलंका से आने वाले विस्थापितों को फिर से बसाते समय उनके सामाजिक जीवन को ध्यान में रखा जायेगा तथा यह निश्चय किया जायेगा कि वे लोग ठीक तरह से बस जायें ? दूसरे, राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के अतिरिक्त एक सुझाव यह भी है कि अन्डमान में रबर और चाय के बागों का विकास करके इन लोगों को वहां बसाया जाये। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में कार्यवाही हो रही है ? मंत्री महोदय ने कहा है कि तीन लाख लोगों को श्रीलंका की नागरिकता दी जा रही है जब

कि कुल संख्या पांच लाख से अधिक है। शेष दो लाख से अधिक लोगों का क्या होगा ? क्या वे राष्ट्रविहीन व्यक्ति होंगे या भारतीय ?

श्री दा० रा० चह्वाण : माननीय सदस्य द्वारा बताये गये 3 लाख व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता दी जायेगी। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मैं कह दूं कि शेष 1,50,000 लोगों के बारे में भारत तथा श्रीलंका के प्रधानमंत्री मिलकर फिर कभी निर्णय करेंगे। कच्छटावो द्वीप में भी रबर के बाग लगाने की प्रायोजना पर विचार किया जा रहा है। वह प्रायोजन स्वीकार कर लिया गया है। लगभग 6000 एकड़ भूमि में रबर के बाग लगाये जायेंगे तथा कुछ परिवारों को वहां पुनर्वासित किया जायेगा। लोगों के संतोषजनक ढंग से बसने के बारे में प्रश्न का जो दूसरा भाग है, मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं कि इसके लिये कई परियोजनायें विचाराधीन हैं तथा इन सब लोगों को बहुत ही संतोषजनक ढंग से बसाने के लिये सरकार अपनी पूरी कोशिश करेगी।

श्री कण्डप्पन : मेरे प्रश्न में एक महत्वपूर्ण बात का उत्तर नहीं दिया गया है। एक प्रस्ताव है कि कुछ लोगों को मैसूर, आन्ध्र प्रदेश तथा कई दूसरे राज्यों में बसाया जाये। इनमें से अधिकांश लोग तामिल भाषा-भाषी हैं तथा यदि इनको एकान्त स्थानों पर बसा दिया गया तो वे अधिक प्रसन्न न होंगे। इसी कारण मैंने इसके बारे में बताया था।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि श्रीलंका से आने वाले विस्थापितों के व्यवसाय आदि के बारे में कोई जांच कर ली गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा क्या उनके लिए उसी व्यवसाय की व्यवस्था कर दी जायेगी जिसमें वे पहले काम कर रहे थे ? फिर भाग (घ) का भी उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री दा० रा० चह्वाण : व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है तथा श्री लंका में हमारे उच्चायुक्त ने इस बारे में विश्लेषण कर लिया है। इन लोगों का 90 प्रतिशत भाग वृक्षारोपण करने वालों का है। शेष दस प्रतिशत का ब्योरा यह है : कृषक मजदूर 0.5 प्रतिशत, वाणिज्य कर्मचारी तथा विक्रेता 1.4 प्रतिशत, घरेलू नौकर 0.4 प्रतिशत, ड्राइवर .3 प्रतिशत आदि।

श्री सेझियान : ये आंकड़े श्रीलंका के हैं अथवा बर्मा के ?

श्री दा० रा० चह्वाण : श्रीलंका के।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : फिर प्रश्न के (घ) भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : उत्तर दिया गया है। "जी, हां।"

श्री नन्द कुमार सोमानी : 10 या 15 वर्षों में, बर्मा, श्रीलंका तथा अब कीनिया से आने वाले दस लाख से अधिक उन व्यक्तियों को शीघ्रता से बसाना पड़ेगा जो उन देशों से विस्था-

पित हुए हैं जहां वे अब तक रह रहे थे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उनके सम्बन्ध में भूमि, वित्त तथा उद्योग के बारे में कोई ठोस तथा सहायक नीति बनायेगी तथा क्या वह इन अभागे भारतीयों के पुनर्वास के बारे में उतनी ही रुचि लेगी जितनी कि वह पराजित कांग्रेसी मंत्रियों, जैसे श्री के० डी० मालवीय तथा श्री अलगेसन : अब हम सुनते हैं कि श्री मनुभाई शाह पुनर्वास मंडल के अध्यक्ष बन गये हैं—आदि को पुनर्स्थापित करने में लेती रही है ? अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन अभागे भारतीयों को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या कोई ठोस नीति बनायेगी ?

श्री हाथी : हम कई गम्भीर प्रश्नों तथा केवल श्रीलंका से आने वाले अपने 5,25,000 भाइयों को बसाने की गम्भीर समस्या पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। यहां भूतपूर्व मंत्रियों अथवा भूतपूर्व कांग्रेसियों को पुनर्स्थापित करने का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें पूरी गम्भीरता से कोई परियोजना बनानी चाहिए। वास्तव में, हमने दक्षिणी राज्यों अर्थात् आन्ध्र, मैसूर, केरल तथा मद्रास के मुख्य-मंत्रियों की बैठक बुलाई थी तथा हमने विभिन्न परियोजनाएं बनाने का प्रयत्न किया था जैसे रबर, काफी या चाय के बाग लगाना तथा लघु उद्योग जहां आदमी स्वयं रोजगार पा सकता है। क्योंकि उनमें से 90 प्रतिशत वृक्षारोपण कर्मचारी हैं। अत: अधिकतम को इसी रोजगार में लगाया जाएगा। शेष के लिए हम उद्योग स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां उन्हें काम दिया जा सके।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : श्री लंका तथा बर्मा से आने वाले विस्थापितों को फिर से बसाने की समस्या वित्त तथा कार्यान्वित की दृष्टि से एक भारी समस्या है। क्या मंत्री महोदय सभा को इस बारे में जानकारी देंगे कि क्या इनमें से बहुत से लोगों को केरल राज्य के रबर के बागों में ले जाने के बारे में कुछ विचार किया गया है ? दूसरे, क्या सरकार के पास कोई ऐसी सुयोजित योजना भी है जिससे कि इस विस्थापित विशाल मानव-शक्ति को राष्ट्रीय हित के लिये उपयोग में लाया जाये ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जहां तक केरल राज्य का सम्बन्ध है, केरल की वृक्षारोपण निगम ने यह स्वीकार कर लिया है कि पहले वर्ष तो सौ व्यक्तियों को वृक्षारोपण के कार्य पर लगा लिया जायेगा तथा तदोपरान्त जब-जब ये लोग आयेंगे तब-तब और भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में विचार किया जायेगा। ये सब योजनायें समन्वित हैं तथा इन लोगों को बड़े ही संतोषजनक ढंग से बसाने के लिये हर प्रयत्न किया जायेगा।

Shri Rabi Ray: The Hon. Minister has stated that about one lakh Indians have come over from Burma to India. I want to know as to how many of them belonged to Orissa and what arrangements have been made to rehabilitate them ? Has the Hon. Minister seen the wretched condition of those who have returned from there ? When they go back to their villages, they find that their brothers and relations have either sold their lands or have occupied themselves. What arrangements Government is making to provide them employment ? I want to know whether there has been some consultation with the Government of Orissa, if so ; what are the details?

श्री दा० रा० चह्वाण : माननीय सदस्य द्वारा बताये गये बर्मा से आये विस्थापितों की संख्या लगभग 1.59 लाख है तथा उनको बसाने के उपक्रम में सब प्रकार की सहायता देने के लिये हमारे पास एक स्वीकृत योजना है। स्वीकृत योजना यह है कि उनको व्यापारिक-ऋण दिये जायेंगे। फिर मकान तथा अन्य चीजों के निर्माण के लिये ध्यान दिया जायेगा। रोजगार के लिये आयु के बारे में रियायत दी जायेगी तथा और भी अनेक रियायतें उनको दी जायेंगी। यही स्वीकृत योजना है। उड़ीसा राज्य में लौटने वाले परिवारों की संख्या बहुत कम है; यह संख्या 1,655 है। जहां तक सहायता का प्रश्न है, अब तक लगभग 40,950 व्यक्यिों को व्यापारिक-ऋण दिये जा चुके हैं तथा 35,693 व्यक्तियों को भी ऋण दिया गया है। रोजगार प्राप्त करने वाले विस्थापितों की संख्या 11,399 है। कई बस्तियां बसाने की योजनायें भी हैं, जिनके अन्तर्गत 1,083 व्यक्तियों को बसाया गया है। इस प्रकार कुल संख्या 51,522 होती है।

श्री रमानी : श्री लंका तथा बर्मा से आने वाले व्यक्तियों की इस भारी संख्या को देखते हुये पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास भारी समस्या बन गई हैं। जब भी वे इसके बारे में कहते हैं वह केवल वृक्षारोपण में रोजगार दिलाने की बात कहते हैं। वे लोग बड़ी भारी संख्या में हैं। इसमें सन्देह नहीं कि रबर और चाय के बागों में ही वे काम करते थे, परन्तु क्या सरकार उन कई हजार व्यक्तियों को बान्धों व कारखानों जैसी सरकारी प्रयोजनाओं तथा राज्यक्षेत्र में अन्य स्थानों पर लाभकारी रोजगार नहीं दे सकती ?

श्री दा० रा० चह्वाण : हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि जो लोग विभिन्न प्रायोजनाओं में आना चाहते हैं उनको वे काम दें। इनको केवल वृक्षारोपण में ही लगाया जायेगा, ऐसी बात नहीं है। मद्रास सरकार त्रिची, मदुरै तथा गुमिडिपून्डी नगरों के आसपास औद्योगिक सम्पदा नगर स्थापित करने की तीन परियोजनाओं पर विचार कर रही है जहां इन व्यक्तियों को भी रोजगार दिया जायेगा।

Shri Sitaram Kesri : As the Hon. Minister has stated that certain category of refugees has been given certain assistance; I want to know whether or not some help has been given to the rapatriates from Burma to Katihar city? If so, the details thereof?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कार्यान्विति राज्य सरकारों द्वारा होती है। इस उद्देश्य के लिये सहायता का एक स्वीकृत ढंग है तथा उसके लिये इन लोगों को सम्बन्धित राज्य-सरकार से सम्पर्क करना होगा। जिन विशिष्ट मामलों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है यदि वह कोई विशेष मामला बतायें तो उस पर राज्य सरकार से बात करके विचार किया जा सकता है।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि श्रीलंका तथा बर्मा से आने वाले कुछ प्रतिशत विस्थापितों को बसाने का उनका विचार है। मैं उस समय के इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति डा० सुकर्ण के वक्तव्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें

बताया गया था कि रबर का वृक्ष एक स्त्री की भांति होता है जिसका मूल्य 30 वर्ष बाद कुछ नहीं रह जाता। डा० सुकर्ण ने कहा था कि इसके लिए वह उत्तरदायी नहीं हैं। मैं केवल डा० सुकर्ण की बात कर रहा हूं जो कि एक समय राष्ट्रपति थे। इसका कारण यह था कि हमारा वृक्षारोपण अवनति की ओर जा रहा है। यह कहा जाता है कि रबर वृक्षारोपण को देश के कई भागों, विशेषकर केरल में, विस्तार किया जा रहा है परन्तु वहां स्थानीय युवकों में बेकारी की समस्या है। इस स्थिति को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार कैसे श्रीलंका के कुछ प्रतिशत विस्थापितों को वृक्षारोपण के बारे में किस स्थान पर पुनर्वास देना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय : आप स्त्री के 30 वर्ष पश्चात् निकम्मी हो जाने की बात का उत्तर न देकर प्रश्न के शेष भाग का उत्तर दें।

श्री दा० रा० चह्वाण : उनको केवल केरल के ही रबर-बागों में रोजगार दिया जायेगा; इनकी संख्या थोड़ी है परन्तु और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको लिया जा रहा है। उदाहरणार्थ मैसूर राज्य में लगभग 8000 एकड़ भूमि में रबर-बाग लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त मैसूर राज्य ने और भी 25,000 एकड़ भूमि को निश्चित किया है जो कि 15 वर्ष से अधिक की अवधि में आने वाले लोगों के लिए ठीकठाक की जायेगी।

श्री सेझियान : जो लोग श्रीलंका से आ चुके हैं या आने वाले हैं उनके बारे में बातचीत द्वारा यह तय हुआ है कि वे भारत लौटते समय किसी न्यूनतम सीमा तक अपनी कमाई ला सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा समझौता क्या बर्मा सरकार से भी हुआ है, यदि हां, तो ऐसा धन लाने की सीमा क्या है, यदि नहीं, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है? ताकि बर्मा से आने वाले लोग अपनी पसीने की कमाई में कुछ तो अपने साथ ला सकें?

श्री दा० रा० चह्वाण : जहां तक बर्मा से आने वाले विस्थापितों का प्रश्न है, उन्हें कुछ भी लाने की अनुमति नहीं है। श्री लंका से आने वालों के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है। विस्थापितों की सम्पत्ति तथा अन्य बातों से सम्बन्धित सारे मामले पर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय बर्मा सरकार से बातचीत कर रहा है।

श्री कार्तिक ओराओं : विदेशियों का स्वागत करने तथा उनको भारत में टिक जाने की अनुमति देने की हमारी बड़ी शानदार परम्परा है।

श्री सेझियान : ये व्यक्ति विदेशी नहीं हैं।

श्री कार्तिक ओराओं : मैं तो विदेशियों के बारे में कह रहा हूं क्योंकि अब हमने बाहर रहने वाले सब भारतीयों को भारत में आकर बसने की अनुमति देने की प्रथा बनायी है, तो क्या सरकार के पास समस्त विश्व में भारतीयों की जनसंख्या के आंकड़े हैं ताकि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उन्हें सरकार पुनर्वास देने की स्थिति में हो, यदि हां, तो भारत से बाहर भारतीयों की जनसंख्या क्या है?

श्री दा० रा० चह्वाण : भारत से बाहर सारे विश्व में रहने वाले भारतीयों की जनसंख्या के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

खाद्य स्थिति के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

\+

*900. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री अंबचेजियान :
श्री दीवीकन :
श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री नरसिम्हा राव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हेमराज :
श्री दामानी :
श्री हेम बरुआ :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य स्थिति पर चर्चा करने तथा वसूली के बारे में मुख्य मंत्रियों के विचार जानने के लिए इस महीने राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आगामी रबी के मौसम के लिये रबी के अधिप्राप्ति मूल्यों तथा खाद्य नीति के अन्य पहलुओं पर विचार-विमर्श करने हेतु 16 मार्च, 1968 को रबी फसल के उत्पादक राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था।

(ख) और (ग). सभा के पटल पर विवरण रखे जाते हैं।

विवरण—1

सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

(1) कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की कि 1868-69 के मौसम में 20 लाख मीटरी टन गेहूं की अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाये जो कि स्वीकार कर लिया गया। यह महसूस किया गया कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा राज्यवार प्रस्तावित लक्ष्य उचित थे और उन्हें पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जाएंगे।

(2) देश भर में चना और जौ का अबाध संचलन होना चाहिए।

(3) पंजाब, हरियाना और राजस्थान राज्यों से मकई, बाजरा और ज्वार के बारे में संचलन सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा लिये जाएं।

(4) खाद्यान्न संचलन के लिये पंजाब, हरियाना, जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में दिल्ली को सम्मिलित करने के बारे में मतभेद था।

(5) गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्यों पर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया। यद्यपि यह सामान्यतः महसूस किया गया कि खाद्यान्नों के मूल्यों, जीवनयापन खर्च और सामान्य मूल्य स्तर पर अधिप्राप्ति मूल्यों के प्रभाव की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये, लेकिन कृषि मूल्य आयोग द्वारा प्रस्तावित मूल्य किसानों को अधिक खाद्यान्न पैदा करने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन सुलभ करने विशेषतः उत्पादन की बढ़ी हुई लागत की दृष्टि में अपर्याप्त समझे गये थे। अधिप्राप्ति मूल्यों के स्तर के सम्बन्ध में मतभेद था। सम्मेलन में यह निर्णय हुआ कि यह मामला खाद्य तथा कृषि मन्त्री पर छोड़ दिया जाये। वह इस मामले पर मुख्य मन्त्रियों से आगे बातचीत करें और उस बातचीत की दृष्टि में सरकार को अधिप्राप्ति मूल्यों के स्तर के बारे में सिफारिश करें।

विवरण—2

सरकार ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :

(1) 1968-69 के मौसम में गेहूं की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 20 लाख मीटरी टन निर्धारित किया जाता है। विशेषतया पर्याप्त बफर स्टाक तैयार करने की दृष्टि से सम्बन्धित राज्यों में अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिये जोरदार अभियान चलाया जायेगा।

(2) देश भर में चना तथा जौ के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

(3) पंजाब, हरियाना और राजस्थान राज्यों से मकई, बाजरा तथा ज्वार के बारे में संचलन सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा लिये जायेंगे।

(4) सभी खाद्यान्नों के संचलन के लिये पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और दिल्ली का एक क्षेत्र बनाया जायेगा।

(5) 1968-69 के मौसम के लिये गेहूं के निम्नलिखित अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करने का निर्णय किया गया है :

साधारण सफेद/मेक्सिकन	76 रुपये प्रति क्विंटल।
बढ़िया	81 रुपये प्रति क्विंटल।

Shri Beni Shanker Sharma: Mr. Speaker, Sir, although I know that Hon. Food Minister is very firm on his decision in so far as the abolition of food zones are concerned. Even the united efforts of whole of the opposition cannot make him to shift, yet may I ask him, whether he discussed this, in the Chief Ministers' Conference as there had very good Rabi crops besides Kkarif crops? If so,which of the Chief Ministers insisted on the abolition of food zones and who opposed it?

Shri Jagjiwan Ram : We should bear it in mind that so far as Kharif crops are concerned we should consider about it at the time of its harvest. Otherwise if we consider about it latter, the producer would complain that we decide about it when the grains are already out of their hands. Therefore this question also will be decided at that time as to whether a zone should be expanded and whether control over that zone should be decreased. Therefore only those Chief Ministers were invited to the conference in whose states the Rabi crops existed. Only Rabi crops were discussed. It was decided only after the opinions of the Chief Ministers obtained in the conference.

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker, so far as food procurement is concerned, it is an additional burden on farmers and we can call it an additional levy. When they are bearing the burden of Taxes with all other how far it is justified that they are subjected to sell their food produce to the Government, at cheaper rates than that of open market? May I request the Hon. Minister to procure food grains from the farmers at the rates on which common people purchase them ?

Shri Jagjiwan Ram : I am giving the Hon. Member the same information what he has asked. It has been the experience of the farmers that the prices come down considerably when there has been a bumper crop and this year inspite of bumper crop our efforts are such that we will keep the prices at a standard level and will not allow them to come down.

Shri O. P. Tyagi : Mr. Speaker, the prices of all the things depend upon the prices of food grains and the Hon. Minister has just said that the Government will not allow the prices of foodgrains to fell down ; may I know whether it means that the Government is in favour of the prevailing present dearness ?

It has appeared in the newspapers that you have formed a new zone of Himachal Pradesh, Punjab and Kashmir but from that it is not clear that whether Delhi will be included in that zone or not. In this regard I want to know that whether Delhi is being included in that zone or not ?

Shri Jagjiwan Ram : I will ask the Hon. Member to read the statement laid on the Table just now and then ask the questions.

श्री काशी नाथ पाण्डेय : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि हम खाद्यान्न के आयात पर निर्भर नहीं रह सकते ; और यह भी निश्चित नहीं है कि अगले वर्ष इतना ही उत्पादन होगा, जितना इस वर्ष हुआ है तो क्या सरकार देश में सारे उत्पादन के स्थानों पर रक्षित भण्डार बनाने के विषय पर विचार कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारी नीति सबको मालूम है । हम राज्य सरकारों के सहयोग से खाद्यान्न की अधिकतम मात्रा प्राप्त करके 30 लाख टन का एक रक्षित भण्डार बनाना चाहते हैं ।

श्री वि० नरसिम्हा राव : मैं जानना चाहता हूं क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में ज्वार, रागी और बाजरा आदि रबी की फसलों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने सभा-पटल पर रखे गये विवरण को नहीं देखा है, ये सारी बातें उसमें दी हुई हैं।

श्री क० प्र० सिंह देव : क्योंकि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की अधिकांश सिफारिशें कृषि-मूल्य-आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करती हैं; मैं जानना चाहता हूं कि इस आयोग के प्रधान डा० के० एन० राज तथा अन्य सदस्यों के त्याग-पत्र देने तथा नये कृषि-मूल्य-आयोग के गठन के कारण हैं और दूसरे, सरकार 30 लाख टन का रक्षित भंडार कब बनाना चाहती है; क्या उनके पास पर्याप्त भाण्डागार की सुविधाएं हैं और यदि नहीं, तो इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है किसी ने भी त्याग-पत्र नहीं दिया है। डा० मित्रा कृषि-मूल्य-आयोग के प्रधान हैं यद्यपि कहीं-कहीं भाण्डागार की कठिनाइयां हैं लेकिन भाण्डागार की अधिकांश सुविधाएं उपलब्ध हैं और इस समय इसलिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

Shri Hem Raj: Government have accepted the decision No. 4 when it will be implemented? Secondly, Agricultural Prices Commission had fixed the prices,but instead of that during 1966-67 the different states purchased foodgrains at higher price; now may I know whether it will be looked into that the foodgrains are purchased by the states at the price fixed by Agricultural Price Commission? Simultaneously I also want to know whether any arrangements have been made in the villages where there are no facilities of warehousing and storage?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कृषि-मूल्य-आयोग ने गेहूं के मामले में जिन कीमतों की सिफारिश की थी वे प्रति क्विन्टल 66 से 73 रुपये के बीच थी लेकिन जैसा कि विवरण में बताया गया है निश्चित कीमतें 76 से 81 रुपये प्रति क्विन्टल के बीच हैं। भाण्डागार की सुविधाओं के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री हेम राज : इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारी जो नीति है उसकी घोषणा की जा चुकी है।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने अभी रक्षित भाण्डागार बनाने के बारे में बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान केरल को भेजे गये चावल के बारे में दिये गये आंकड़ों की असमानता की ओर गया है ? मुख्य-मंत्री कहते हैं कि 64.527 टन चावल की सप्लाई हुई है। और खाद्य-मंत्री कहते हैं कि उन्हें जनवरी के महीने में केवल 36,431 टन चावल प्राप्त हुये हैं, जब मुख्य-मंत्री को यह बताया गया तो उन्होंने कहा कि वे जनवरी में सप्लाई किये गये चावल में एक रक्षित भंडार बनाना चाहते हैं। इस संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं क्या मुख्य-मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपभोग के लिये गये दिये अनाज में से उनको रक्षित भंडार बनाने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है वह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार की इच्छा केन्द्रीय और राज्य मूल के अन्तर्गत एक रक्षित भंडार बनाने की है।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था, जहां तक जनवरी के महीने में केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को सप्लाई किये गए चावल का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में केरल के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों में बहुत अधिक विभिन्नता है। मुख्य मंत्री कहते हैं कि 64,527 टन की सप्लाई हुई और खाद्य मंत्री कहते हैं केवल 36,431 टन की हुई। इसमें बड़ी असमानता है। जब एक कांग्रेस सदस्य ने इस बात को सभा में बताया तो मुख्य मंत्री ने कहा कि शेष चावल से वे एक रक्षित भंडार बनाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार राज्यों को इस प्रकार रक्षित भंडार बनाने की अनुमति देगी ?

श्री जगजीवन राम : यह 30 लाख टन का रक्षित भंडार दोनों केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अन्तर्गत होगा। मुझे प्रसन्नता है यदि केरल सरकार जितना खाद्यान्न हम सप्लाई करते हैं उसमें से अपने लिये अकाल के समय के लिये भी बचा सकती है; उनका ऐसा कार्य स्वागत के योग्य है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, The Delhi Administration, Governments of Punjab and Haryana and the Hon. Minister himself have made recommendations for including Delhi in the new zone, that is its inclusion with Punjab and Haryana; but only Shri Gadgil has opposed it because he is a new man here and does not know about Delhi. Along this some of the Congress leaders of Delhi said to the Hon. Minister that if Delhi is included in the new zone the benefit or the credit will go to the Jan Sangh administration, therefore Delhi should not be included in the new zone. Now it will be a political discrimination if Delhi is not included in the new zone. When all the concerned states want its inclusion in the new zone then why don't you Co-oprate so that the farmers of Punjab and Haryana may be benefited and the poor people of Delhi may also gain ?

If Delhi is not included in the zone; will it not be a political discrimination ? My second question is ; when will the decision taken by you regarding gram or bajra etc. be implemented ?

Shri Jagjiwan Ram : Mr. Speaker, the Hon. Member used to put question after careful thinking and going through the statement thoroughly but this time it seems he has been guided by the political considerations and that is why he has put the question off hand. I would like to inform him that no leader of Delhi Congress has tried to come to me for advising me not to include Delhi in the big new foodgrain zone. I do not have any objection, let Jan Sangh enjoy the credit but I would like to say again that the decision regarding foodgrains are taken by me and not by Delhi Administration. All these things are mentioned in the statement. I would request him to read the statement.

Shri Kanwar Lal Gupta : In all the given zones the fourth part is like this :

"Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh should constitute a single zone for the movement of all foodgrains. There was a difference of opinion about the inclusion of Delhi in this zone."

Shri Jagjiwan Ram : Read the next statement.

Shri Kanwar Lal Gupta : My question was, why you do not include Delhi in the new zone ?

Shri Jagjiwan Ram : I have told you to read the next statement. You will find there the answer to your question.

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने ज्वार और बाजरा के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने के विषय में कोई निर्णय किया है ? दूसरे, क्या यह सच है कि कृषि मूल्य-आयोग में केवल उपभोक्ताओं का ही प्रतिनिधित्व हो रहा है और उसमें उत्पादकों की ओर से कोई भी नहीं है। यह तो ऐसा है कि जैसे भेड़ों को एक गड़रिये के अधिकार में न देकर एक कसाई को सौंप देना। इसलिए, क्या सरकार आयोग में एक कृषि विशेषज्ञ, कम से कम एक उत्पादक को शामिल करने के सम्बन्ध में विचार करेगी ? तीसरे, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, क्या वे रबी की फसल की कीमतों को निर्धारित करने पर सहमत हुए थे जिससे कि लोग नई कीमतों के अनुसार अधिक धन लगायें और अधिक उत्पादन करें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है वह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

जहां तक कीमतों के प्रोत्साहक होने अथवा न होने का प्रश्न है; मैं यह समझता हूं कि कीमतें प्रोत्साहक हैं और इसमें कृषकों के हित को ध्यान में रखा गया है।

श्री लोबो प्रभु : क्योंकि मंत्री महोदय ने वसूली और नियंत्रण के सम्बन्ध में यह निर्णय किया है कि उत्पादकों का हित उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की उपभोक्ताओं का; इसलिए मैं चाहता हूं कि वे उत्पादकों के पक्ष में और रुचि लें। अतिरिक्त उपज वाले राज्यों तथा कमी वाले राज्यों में एक ही अन्न के भिन्न-भिन्न मूल्य हैं, क्या अतिरिक्त उपज वाले राज्यों के सम्बन्ध में यह उचित है कि उनके दाम अन्य राज्यों की कीमतों का केवल अंशमात्र हों ? ज्वार, बाजरा तथा चने की सारे देश में खुलेआम क्रय-विक्रय की अनुमति देकर क्या मंत्री महोदय इस बात को नहीं मानेंगे कि गेहूं और चावल पर भी वही नियम लागू होना चाहिये ?

श्री जगजीवन राम : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही इस प्रश्न पर 20 मिनट व्यतीत कर दिए हैं और अभी 20 अन्य सदस्यों के नाम भी हैं। इसलिए उन सबको बुलाना मेरे लिए सम्भव नहीं हो सकेगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।

श्री स० कुण्डू : मेरा प्रश्न 905 भी इसके साथ लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर हम बाद में आएंगे, इस समय हम प्रश्न 901 को ले रहे हैं··· श्री ज्योतिर्मय बसु।

यूनिवर्सल प्रेस सर्विस (जर्मनी)

*901. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिवर्सल प्रेस सर्विस को जो पश्चिम जर्मनी द्वारा नियंत्रित एक जन-सम्पर्क संगठन है, रियायती प्रेस दरों पर कई टेलीप्रिंटर सर्किट किराये पर दिये हैं; और

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग ने यह पता लगाने के लिये इस सर्किट का अनुसरण किया है कि यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के दिल्ली-मद्रास कड्ड्लूर सर्किट पर गैर-प्रेस तथा व्यापारिक कितने संदेश भेजे गए हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के लिए केवल दो टेलीप्रिंटर परिपथों की व्यवस्था की गई है ।

(1) नई दिल्ली-मद्रास; और

(2) मद्रास-कुड्डलूर

इन परिपथों को सामान्य प्रेस दरों पर दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रायः एक सुस्थापित तथ्य है कि यू० एस० आई० एस० और जर्मन प्रेस आदि विदेशी एजेंसियों ने प्रेस के अतिरिक्त अन्य कार्यों में टेलीप्रिंटर सर्विस का दुरुपयोग करना एक नियम सा बना लिया है । इन हालातों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास इस अनाचार को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है और क्या अब तक किसी दुरुपयोग के मामले का पता चला है ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में बताया है कि यह तथ्य "सुस्थापित है ।" मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं कि यह एक सुस्थापित अथवा सुप्रमाणित तथ्य है । मुख्य बात यह है कि टेलीप्रिंटर सर्विस के दुरुपयोग के मामलों को जांच करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है । हम समय-समय पर जांच करते हैं और यह हम इसलिए करते हैं कि जिन लोगों ने प्रेस-दरों पर परिपथों (सर्किट्स) को लिया है वे इसका व्यापारिक मतलब के लिए प्रयोग न करें । और इस विशिष्ट एजेंसी की हम जांच करते रहे हैं लेकिन टेलीप्रिंटर सर्विस के दुरुपयोग की कोई बात हमारे सम्मुख नहीं आई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या अब तक दुरुपयोग के किसी मामले का पता चला है ?

श्री इ० कु० गुजराल : ऐसी छः पार्टियों के मामलों में टेलीप्रिंटर सर्विस के दुरुपयोग के कुछ मामले घटित हुए हैं लेकिन यह दुरुपयोग मामूली हुआ है इसलिए उनके क्षमा मांगने पर हमने मामला आगे नहीं बढ़ाया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह टेलीप्रिंटर सर्विस कितनी विदेशी संस्थाओं को दी गयी है ? मैं

उनके नाम जानना चाहता हूं और उन छः पार्टियों के नाम भी जानना चाहता हूं जिन्होंने इस सेवा का दुरुपयोग किया था ।

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक विदेशी सेवाओं का सम्बन्ध है हमारी कोई विदेशी न्यूज एजेंसी नहीं है; विदेशी न्यूज एजेंसियां भारतीय न्यूज एजेंसियों के साथ जुड़ी हुई हैं ; उदाहरणार्थ, र्यूटर, पी० टी० आई० (प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया) के साथ मिला हुआ है । यहां तक कि उन मामलों में भी······

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने 'फारेन इनस्टीट्यूशन्स' (विदेशी संस्थाओं) शब्द का प्रयोग किया है न कि 'फारेन एजेंसीज' (विदेशी एजेंसियों) शब्द का । इसमें यू० एस० आई० एस० भी शामिल हो जाता है । 'इनस्टीट्यूशन' का अर्थ कोई संस्था है ।

श्री इ० कु० गुजराल : बात यह है कि हमने सभी प्रकार के लोगों को बहुत से परिपथ उपलब्ध कराये हैं, प्रेस तो प्रयोगकर्त्ताओं के क्षेत्रों में से एक है जिनको परिपथ दिये जाते हैं । जहां लोगों को सामान्य व्यापारिक सेवा के लिए परिपथ दिये गये हैं उसकी यदि आप मुझे सभा-पटल पर एक सूची रखने को कहें तो यह सैकड़ों में जायेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं डाक विभाग के उन प्रयोक्ताओं के नाम जानना चाहता हूं जिनके बारे में यह पता चला है कि उन्होंने टेलीप्रिंटर सेवा का दुरुपयोग किया है और यह भी जानना चाहता हूं कि यह दुरुपयोग किस किस्म का था ।

श्री इ० कु० गुजराल : दि इंडियन एक्सप्रेस, बम्बई, दि प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया, बम्बई, 'धीनाथंडी', मद्रास, नव इंडिया, मद्रास, आज, वाराणसी और ट्रीब्यून, अम्बाला··············
(व्यवधान)

Shri Shashibhushan Bajpai : May I know whether our services have been given the same facilities in west Germany as we have given to the Universal Press Service? Secondly, whether your attention has ever been drawn to the fact that after the Pakistanese attack this service has made propaganda against us in whole Europe?

Shri I. K. Gujral : Universal Press service is not a German service. This is an Indian company which is linked with German concern from where this gets news. So far as the question of propaganda is concerned it is not the subject of our Ministry. This is under the Ministry of External Affairs.

उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं के नाम दर्ज करना

*902. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं के नाम दर्ज करने के बारे में विभिन्न राज्यों के नियम तथा प्रक्रियाएं भिन्न-भिन्न हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन भिन्नताओं के कारण विधि स्नातक अपने नाम दर्ज कराने के लिये एक राज्य को छोड़ कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं ताकि उन्हें इस सम्बन्ध में परीक्षायें न देनी पड़ें ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में सब राज्यों के लिये एक समान अर्हतायें तथा प्रक्रियाएं विहित करने का है ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन, अधिवक्ताओं के नाम उनके अपने-अपने राज्य उच्च न्यायालयों द्वारा दर्ज न किये जाकर, राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा दर्ज किये जाते हैं। अधिनियम द्वारा राज्य विधिज्ञ परिषदों को, जो कि स्वायत्तशासी कानूनी निकाय हैं, अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण, परीक्षा और नाम दर्ज करने सम्बन्धी नियम बनाने के लिये प्राधिकृत किया गया है, और उन्होंने नियम बनाये भी हैं। अधिकांश राज्यों में ये नियम सारतः एक ही हैं।

(ख) सरकार को ऐसे किसी प्रव्रजन का पता नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Sitaram Kesari : May I know whether it is a fact that as the examination is being conducted by the Delhi Board, the people of Delhi are shown more favour as compared to the people coming from outside ?

Shri M. Y. Saleem : There is no difference between the examinations conducted by the different States. The Model rules framed by the Bar Council authorise every State to frame their own rules and hold examinations. Under this the states hold examinations ?

Shri Sitaram Kesari : May I know whether it is a fact that as the number of advocates has considerably increased, most of the advocates, who do not have any brief and who pleads in the Courts in support of law, indulge in illegal activities outside the Courts and if so, whether the Hon'ble Minister propose to impose any ban in this connection ?

Shri M. Y. Saleem : This does not arise out of this question.

श्री स० कुण्डू : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि विधिज्ञ परिषदों द्वारा बनाये गये विभिन्न नियमों के अधीन, बहुत से प्राइवेट विधि स्नातकों को विभिन्न अदालतों में वकालत करने की अनुमति नहीं दी जाती और यदि हां, तो क्या इन नियमों में परिवर्तन किया जायेगा ?

दूसरे, क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि इस सम्बन्ध में सारे देश के विधि स्नातकों में भारी रोष है और वे चाहते हैं कि किसी अन्य विधिज्ञ परिषद की परीक्षा में बैठने की प्रक्रिया समाप्त की जानी चाहिये क्योंकि यह तो योग्यता का प्रश्न है और इसमें प्रतियोगिता होती है ? ये विधिज्ञ परिषदें परीक्षा में ही न्यायोचित प्रतियोगिता नहीं होने देती। क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे ?

श्री मु० यूनस सलीम : नियमों में विधि डिग्री प्राप्त वकीलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। राज्य की विधिज्ञ परिषदों को भारत के विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाये गये नमूने के नियमों को ध्यान में रखकर, अपने-अपने नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। ये नियम विभिन्न राज्यों में बनाये गये हैं और अधिवक्ताओं के नाम दर्ज करने की शक्ति विधिज्ञ परिषदों को दी गई है। हमने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अन्तर्गत विधि डिग्रीधारियों की कुछ श्रेणियों को इन परीक्षाओं से छूट दी गई है जैसे जिन विधि स्नातकों ने एम० ए० की डिग्री प्राप्त कर ली है, जो बैरिस्टर हैं या जिन्होंने तीन साल का विधि पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है उन सभी को इस प्रशिक्षण से छूट दे दी गई है। राज्यों में विधिज्ञ परिषद स्वायत्तशासी कानूनी निकाय है और वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार नियम बना सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जिन लोगों ने प्राइवेट तौर पर परीक्षा पास की है उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है यद्यपि उन्होंने तीन साल का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। यही मुख्य प्रश्न है।

श्री मु० यूनस सलीम : अधिवक्ता अधिनियम के उपबन्धों में पाठ्यक्रम पूरा करने पर डिग्री प्राप्त करने वाले और प्राइवेट तौर पर परीक्षा पास करने वाले विधि-स्नातकों में कोई अन्तर नहीं है।

Shri Sheo Narain : People pass examinations conducted by the Universities and the Universities are autonomous bodies and Government have given them recognition. You should better do away with the University examinations and the examinations conducted by the Bar Council should suffice. What is the necessity of holding two examinations ? I wish Hon'ble Minister to clarify the position in this regard ?

Shri M. Y. Saleem : Bar Councils are autonomous bodies and are not under the Government. They are authorised to frame rules regarding permitting the law degree holders to practise. Government is not concerned with it.

Shri Sheo Narain : The position has not been clarified.

अध्यक्ष महोदय : उनके परीक्षा पास करने और एल० एल० बी० की डिग्री लेने से पहले मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री इसमें संशोधन करने की कोशिश करेंगे।

श्री मु० यूनस सलीम : ऐसा कर दिया जायेगा।

गन्ने का मूल्य

*903. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है कि गत तीन महीनों में चीनी निर्माताओं ने गन्ना उत्पादकों को क्षेत्रवार वास्तव में कितने मूल्य दिये हैं ;

(ख) जो निष्कर्ष निकाले गये उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों को दिये गये नये मूल्यों के आधार पर चीनी का उत्पादन लागत सम्बन्धी कोई अध्ययन किया है ; और

(घ) इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चीनी निर्माता सामान्यत: गन्ने का मूल्य सरकार द्वारा गन्ने के निर्धारित न्यूनतम मूल्य से बहुत अधिक दे रहे हैं।

(ग) और (घ). ऐसा अध्ययन मौसम की समाप्ति और विभिन्न जोनों में चीनी कारखानों के कार्यचालन सम्बन्धी परिणाम प्राप्त होने के बाद करना सम्भव होगा।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government are aware that their expectations of paying the prices at the rate of Rs. 6/- per maund have not been fulfilled and the prices paid were Rs. 4/- per maund approximately. In these circumstances, may I know whether Government realises that the sugar manufacturers are making huge profits because of the present prices of the sugar ? May I also know whether the Hon'ble Minister is aware that the policy statement made by him on the 16th August, 1967 was discussed in Calcutta and in the course of this discussion it was revealed that the Sugar Mill owners had bribed the officials concerned for formulating the new policy. I would like to know whether the Government have conducted any enquiry into this matter.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं इस आरोप का विरोध करता हूं। आंशिक रूप से चीनी पर से नियंत्रण हटाने की नीति क्यों अपनाई गई थी। यह बात कई बार बताई जा चुकी है। इसके फलस्वरूप गन्ना उत्पादकों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य से भी बहुत अधिक मूल्य मिल रहा है।

Shri Madhu Limaye: It was not my question. I wanted to know that keeping in view the present prices of the sugar and the prices paid to the sugar-cane growers, is it not a fact that the owners of the Sugar Mills are making huge profits and that they had paid something so that Government should adopt this type of the policy.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने पहले ही बताया है कि मैं माननीय सदस्य के इस आरोप का विरोध करता हूं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, यह आरोप निराधार एवं शरारतपूर्ण है। यह चीनी सम्बन्धी नीति क्यों अपनाई गई, यह सभा को बताया जा चुका है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, इस चीनी सम्बन्धी नीति से सबसे ज्यादा फायदा गन्ना उत्पादकों को हुआ है।

Shri Madhu Limaye : It is absolutely wrong to say that the sugar-cane growers are the main beneficiary of this sugar policy. The Mill owners have been benefited the most.

श्री जगजीवन राम : मैं उनके साथ बहस नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा फायदा गन्ना उत्पादकों को हुआ है। सभी जानते हैं कि इस वर्ष गन्ना-उत्पादक को सबसे अच्छा मूल्य मिला है जो उन्हें चीनी उद्योग के इतिहास में कभी नहीं मिला। इस नीति को अपनाने का कारण यह था कि गन्ने की कमी के होते हुये भी हम चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहते थे और यह बढ़ गया है।

Shri Madhu Limaye : I have come to know that 21 lac ton sugar is going to be produced this year. That means 40 percent would be sold in the open market and there would be no control over its prices. According to this 8,40,000 tons of sugar would be sold in the open market. I would like to know the amount of the additional profit per ton that the Mill owners are going to get. They are going to get additional profit this year over and above what they got last year. What would be the additional profit of the Mills owners this year on this 8,40,000 tons of sugar following the decontrol of the prices as compared to that of the previous years ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि फैक्टरियों के मुनाफे का अनुमान उसी समय लगाया जा सकेगा जब यह पता चल जायेगा कि फैक्टरियों ने कितना उत्पादन किया, कितनी चीनी की वसूली की गई तथा गन्ना-उत्पादकों को कितना मूल्य दिया जायेगा। ऐसा अनुमान सीजन समाप्त होने पर ही लगाया जा सकता है।

चीनी उद्योग में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की वसूली की जाती है क्योंकि वे फैक्टरियों में गन्ने का मूल्य गुड़ के उत्पादन की प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर देते हैं। प्रत्येक प्रदेश में थोड़ी बहुत विषमता है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I wanted to know the prices being paid by the Sugar manufacturers to the sugar-cane growers now. In the reply it has been stated that a study has been made in regard to the prices of the sugar and some conclusions have been arrived at. In the statement placed on the table of the House the prices were stated from Rs. 3·50 to Rs. 4/-. I am not asking for the details, mill-wise but Minister should give us some idea about the price of 8,40,000 tons of sugar that would be sold in the open market. Both these figures are available with the Government.

श्री जगजीवन राम : उत्पादन की लागत तीन बातों पर निर्भर करती है। गन्ने का कितना मूल्य दिया गया, गन्ने से कितनी प्राप्ति हुई और गन्ने के पेरने के मौसम की अवधि क्या थी। मूल्य के बारे में तो मालूम है किन्तु प्राप्ति और गन्ने के पेरने के मौसम की अवधि के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि चीनी का मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 385-390 रुपये प्रति क्विंटल तक है। उत्पादन का 60 प्रतिशत तो नियंत्रित मूल्य पर शुल्क के रूप में सरकार को देना होगा और 40 प्रतिशत खुले बाजार में जायेगा। उन्हें कितना मुनाफा हुआ यह प्राप्ति और पेराई की अवधि पर आधारित सारी चीनी के उत्पादन की लागत पर निर्भर करेगा। उसके बाद हिसाब लगाया जायेगा और तभी पता चलेगा कि चीनी फैक्टरियों को कितना लाभ अथवा हानि हुई है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली में टेलीफोनों का काटा जाना

+

अ०सू०प्र०सं० 13. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री लोबो प्रभु :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में 2500 टेलीफोन काट दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन काटने से पहले टेलीफोन प्रयोक्ताओं को इसकी सूचना न देने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी प्रयोक्ताओं ने भी समय पर भुगतान नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Between 20·2·68 and 19.3.68, about 2,575 telephones were disconnected for default in payment.

(b) Prior intimation over the telephone was given in all cases, before actual disconnection took place.

(c) Yes, Sir.

(d) Reasons are not known to the P & T Department.

Shri Kameshwar Singh : May I know whether the telephones of Shriniwaspuri and Tilak Marg Police Stations had also been disconnected and if so, whether it did any good to the public or it went against the interest of the public ?

Dr. Ram Subhag Singh : Disconnection of telephones does run counter to the interests of the subscribers but when there is a question of payment of Bill, telephones are being disconnected.

Shri Kameshwar Singh : Is the Hon'ble Minister aware that the Officials of the Department have connection with Private firms and when these firms make calls all their calls are being billed to some other such subscriber who never makes a call and if so, whether any action would be taken against those officers who are found guilty in this regard ?

Dr. Ram Subhag Singh : Yes, Sir. If any such information is received action would be taken.

Shri Kanwar Lal Gupta : Out of about 2,500 telephones that were disconnected, many telephones were wrongly disconnected. In some cases telephones of those persons who

had made the payment were also disconnected. The bill of the one subscriber was wrongly sent to the other subscriber and in many cases, persons were over-billed. In such cases also telephones were disconnected. I would like to know the number of those telephones, out of these about 2,500 telephones, that were wrongly disconnected and what action has been taken against those persons who wrongly disconnected the telephones. I would also like to know the names of the Government Offices whose telephones have been disconnected.

Dr. Ram Subhag Singh: I require notice for this, because we would have to prepare separate details in this regard. Out of the 2,575 telephones mentioned in the reply, about half of them belong to Government Offices, but for telling you the names of the Departments whose telephones have been disconnected, I would require notice. So far the mistake is concerned, I am prepared to take action for every mistakes that is committed.

श्री म० ला० सोंधी : क्या उनके विभाग के तरीके पुरानी अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसे नहीं लगते हैं और क्या अधिक आधुनिक तरीकों में प्रयोक्ताओं को ऋण देने की सुविधाओं की व्यवस्था करना भी शामिल नहीं होना चाहिये ताकि इन सुविधाओं का पूरी तरह से प्रयोग किया जा सके ।

डा० राम सुभग सिंह : हम माननीय सदस्य के सुझाव को मानने के लिये तैयार हैं किन्तु उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके चुनाव-क्षेत्र के लोग समय पर अदायगी करें ।

श्री म० ला० सोंधी : मैं अपना सहयोग देने के लिये तैयार हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं माननीय मंत्री का ध्यान उन दो समाचारों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनका खण्डन नहीं किया गया है । पहला समाचार तो यह है कि 1957 की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण कुछ टेलीफोनों को काट दिया गया था यद्यपि बाद की बकाया रकम की अदायगी कर दी गई थी । दूसरे विलम्बित खाते में 15 लाख रुपये की राशि दिखाई गई है क्योंकि कर्मचारीगण इन भुगतानों को इन्हें अदा करने वाले लोगों के नामों में जमा करने में असफल रहे । यदि मंत्रालय ने विलम्बित खाते की ओर ध्यान किया होता और जिन लोगों ने 1957 से अदायगी की हुई है उनका ध्यान किया होता तो जिन लोगों ने बकाया रकम का भुगतान कर दिया था उनके नाम भी इस खाते में नहीं आते ।

दूसरे दीवानी अदालतों में भी बकाया रकम की वसूली के बारे में तीन वर्ष की समय-सीमा निर्धारित है । क्या मंत्रालय एक दीवानी अदालत में इस समय-सीमा की उपेक्षा कर सकता है और क्या ऐसा कोई उपबन्ध है और लोगों के टेलीफोन काट सकता है जो कि और भी ज्यादा खराब तरीका है ? जो समय-सीमा अदालतों में लागू होती है वह यहां भी होनी चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : हम किसी भी नियम की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं, चाहे वह किसी अदालत का नियम हो या निलम्बित खाते का नियम हो । कोई भी टेलीफोन इस कारण नहीं काटा गया है कि लोगों ने अपनी पुरानी बकाया रकम की अदायगी नहीं की थी

बल्कि टेलीफोन इसलिये काटे गये हैं कि लोगों ने अपने बिलों की रकम भी अदा नहीं की। जब वे सारी बकाया रकम दे देंगे तो उन्हें फिर कनेक्शन मिल जायेगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : टेलीफोन काटने का यह तरीका इसलिये अपनाया गया है कि विभाग में काफी अदक्षता है जिसका प्रयोक्ताओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, गलत बिल भेजे जाते हैं, गलत लोगों के पास भेजे जाते हैं आदि आदि। क्या सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी क्योंकि काटे गये लगभग आधे टेलीफोन सरकारी कार्यालयों के हैं और समस्त प्रणाली को कुशल ढंग से पुनर्गठित किया जायगा।

आज के समाचार-पत्र में मनोरंजक समाचार छपा है कि यदि आप पुलिस का टेलीफोन नम्बर 100 डायल करें तो आपको आकाशवाणी का कार्यक्रम सुनाई देगा क्या मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान से विचार करेंगे ताकि सारी व्यवस्था का पुनर्गठन हो सके।

डा० राम सुभग सिंह : मुझे दुख है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न को सामान्य बना दिया है और कहा है कि पुलिस का टेलीफोन नम्बर 100 डायल करने पर उन्होंने आकाशवाणी का कार्यक्रम सुना है। उन्होंने स्वयं इस बात पर ध्यान से गौर नहीं किया है, यदि उन्हें पता होता कि टेलीफोन प्रयोक्ताओं पर 10 करोड़ रुपये की रकम बकाया है तो वे प्रश्न इस रूप में नहीं पूछते। हमने इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया है और उसी आधार पर हम टेलीफोन काट रहे हैं, या तो प्रयोक्ता टेलीफोन बिल अदा करें या फिर बिना टेलीफोन के रहें।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री महोदय ने मेरा प्रश्न नहीं समझा, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं, उन्होंने स्वयं कहा है इनमें से लगभग आधे सरकारी विभाग हैं। सरकार के विभागों में उचित समन्वय होना चाहिए था। उनका मंत्रालय भी सरकार का एक अंग है। मैं तो सरकारी अधिकारियों द्वारा ही कही गयी बात की पुनरावृत्ति एक समाचार से कर रहा हूं कि टेलीफोन लाइनों में गड़बड़ी है जिसके कारण टेलीफोन नम्बर 100 डायल करने पर आकाशवाणी का कार्यक्रम सुनाई देता है।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय प्रश्नकर्ता के पास कम से कम तीन टेलीफोन हैं—एक कांग्रेस कार्यालय में, दूसरा प्राक्कलन समिति के सभापति के रूप में और तीसरा एक प्रयोक्ता के रूप में। क्या वे अपने टेलीफोन पुलिस या आकाशवाणी से मिलने का एक उदाहरण दे सकते हैं? मैंने यही कहा है कि लगभग आधे टेलीफोन सरकारी हैं। लेकिन इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि वे सरकारी हैं या अन्य व्यक्तियों के हैं। सभी प्रयोक्ताओं के लिए वही नियम हैं। हम चाहते हैं कि सभी बकाया राशि अदा करें।

Shri Guna Nand Thakur : As per newspaper reports telephones of some Ministers have also been disconnected. Are the Ministers not instructed to pay the bills in time? Why do the Ministers and Government officials make this irregularity? When the Ministers are so irregular, it is natural that the general public will also be irregular. I want to know the names of the Ministers who have not paid their bill in time.

Dr. Ram Subhag Singh : It is obvious from the question asked that the telephone bills are sent to all the people irrespective of their status and they are required to make the payment of the bill failing which their telephone connections are liable to be disconnected. I do not have the list of all the people with me as there are 2575 names in the list.

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि कई मामलों में प्रयोक्ताओं को गलत बिल दिये गये थे और जब वे आपके विभाग के माध्यम से उन्हें ठीक करवा रहे थे, उनके टेलीफोन काट दिये गये ? और दोबारा कनेक्शन लेने के लिए उन्हें 25 रुपये का दंड देना पड़ा ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं स्वयं ऐसी सूचना प्राप्त करने का प्रयास करूंगा किन्तु मेरे ध्यान में यदि कोई घटना लायी गयी तो मैं दोबारा कनेक्शन दिए जाने के लिए ली गयी 25 रुपये की रकम को तुरन्त वापस करवा दूंगा ।

Shri Ram Charan : Telephones are disconnected because of the defects in the accounting procedure. According to the procedure the amounts up to Rs. 50 are paid in cash and the amounts in excess of Rs. 50 are paid by book adjustment. As there is no co-ordination in this adjustment, the department does not know whether the payment has been made or not and, therefore, the telephones are disconnected. Book adjustment are made in office of the Accountant General and the Department does not know this fact in the absence of the records. Therefore, the telephones are disconnected in the wrong manner. If the Telephone Deptt. keeps correct information as to who has made the payment, they would not have to disconnect telephones.

Dr. Ram Subhag Singh : You have said something about book adjustment. We know of it. If you would have made any new suggestion we would have accepted it.

श्री दी० चं० शर्मा : संचार मंत्री महोदय को अपने विभाग का बहुत अच्छा ज्ञान है। वे ऐसी कोई प्रणाली क्यों नहीं बनाते जिससे प्रयोक्ता को मालूम हो सके कि उसके टेलीफोन से कितने टेलीफोन किए गये हैं ? जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक कठिनाइयां होती ही रहेंगी चूंकि कार्यालय में बिल ठीक नहीं बनते । हम चाहे दिल्ली में रहें या नहीं, हर महीने बिल 100 रुपये का आता है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं इस सुझाव की जांच कराऊंगा । हम एक चेक मीटर बनाने का भी विचार कर रहे हैं और यह इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है ।

श्री नम्बियार : यदि उन सदस्यों के टेलीफोन जो समय पर अपने बिल अदा कर रहे हैं, सुने जायं तो क्या उनके बिल में कुछ कमी की जायेगी या रियायत दी जायेगी ? यदि टेलीफोन टैप किये जायें तो उससे टेलीफोन करने का मतलब सिद्ध नहीं होता । इसलिए ऐसी टेलीफोन कालों पर पैसे नहीं लगने चाहिए ।

डा० राम सुभग सिंह : यह एक बड़ा सुन्दर प्रश्न है । डाक-तार अधिनियम के अन्तर्गत

टेलीफोन, केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों के द्वारा सुने जाते हैं। जिन स्थानों पर माननीय सदस्य के दल की या गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं वहां केन्द्रीय सरकार बीच में नहीं आती।

Shri P. L. Barupal: Mr. Speaker, the Hon'ble Minister has very up-to-date knowledge of his Department and gives appropriate replies. But I quote the instance of a friend of mine who has a telephone at his home. He received a telephone bill for Rs. 1,400 or Rs. 1,800. The bill worked out to Rs. 14.87 paise. The matter was settled after I wrote a letter to you. His bill was corrected but he did not get the telephone connection uptil now. Secondly, I am myself a sufferer. I have a telephone at my house for which I get the bill. If I am away even for two or three days, my telephone is disconnected and I am made to pay the penalty of Rs. 30. In this manner I have paid hundreds of rupees as penalty at the rate of Rs. 30 each time. Will you make some suitable arrangements for this?

Dr. Ram Subhag Singh: Shri Barupal did not tell me this fact before. I shall arrange for the maintenance of his telephone at Bikaner while he is not there. As he himself has admitted that the bill has been adjusted, then there is no question of disconnecting the telephone. I shall see that the connection is given.

Shri Prakash Vir Shastri: Till now 15 paise was charged for a local call but now-a-days when one dials a number he easily gets five connections. With what commercial benefit has this scheme been launched by the Deptt. of Communications?

Dr. Ram Subhag Singh: Not with some commercial benefit, but there is some defect, efforts will be made to set it right.

Shri Buta Singh: Is the Hon'ble Minister aware that the businessmen and rich persons are in league with the employees of the telephone exchange thus causing a loss of laks of rupees to the exchequer. They make direct calls hour after hour and the Department is deprive of any revenue.

Dr. Ram Subhag Singh: This is a fact and that's why a number of telephones have been disconnected in Delhi in last few days.

Shri Hardayal Devgun: Mr. Speaker, disconnecting 2,500 telephones of Delhi is a very serious question and the reply given for this is far from satisfactory. It appears that the Hon'ble Minister has not examined the matter fully. How did the situation of disconnecting 2,500 telephones arise? Are you aware that all the previous files have been weeded out or destroyed? Secondly, the system of preparing telephone bills has been thoroughly overhauled. The old card system has been discarded by the new General Manager. There is no method of removing the errors in the meter. The telephone subscriber cannot point out any defect now.

Dr. Ram Subhag Singh: All the facts pointed out by the Hon'ble questioner are not true as the new General Manager has made the changes only for the sake of improvement. The earlier bill was very lengthy but now it has been cut short. The information regarding the arrear, the date of sending the bill and the date by which the payment is to be made is recorded therein. If you go and see the whole position yourself, you will appreciate that. All the good points mentioned by the Member are true and all the bad points pointed out by him are not correct. Now there is an index card for everyone and he knows the amount of the arrears

and the due date by which the bill is to be paid. Now the bill will be sent to the subscriber on the 1st or 11th or 21st of the month and the payment will have to be made before 30th of the month. In case of default he will be given a ring followed by another. What more can be done than this?

As a result thereof an amount of Rs. one crore and thirty lakhs was recovered only in one month. There are arrears of about Rs. 10 crore (9.89 crores) in whole of India out of which Rs. 2.72 crore was in Delhi. Therefore, I consider that the new system is correct.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Just now the Hon'ble Minister has stated the number of persons against whom the bills are pending and whose telephones have been disconnected on that account. Is there also some amount due for the telephone calls about which the Department is not aware as to who made the calls? Will the Hon'ble Minister state such amount due and its ratio to the total arrears?

Dr. Ram Subhag Singh: I want notice of this. I shall let the question know after collecting all the information.

श्री स० मो० बनर्जी : जब हम संसद् सदस्य अपने दिल्ली निवास से स्थानीय काल या ट्रंक काल करते हैं तो उसके पैसे हमारे वेतन में से काट लिये जाते हैं। लेकिन हमें अपने चुनाव-क्षेत्र के टेलीफोन बिल अदा करने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि उसके पैसे हमारे वेतन में से नहीं काटे जाते। उनकी सूचना हमारे घर में बच्चों को या दूसरे व्यक्तियों को दी जाती है जो हमें बताना भूल जाते हैं और हमें टेलीफोन काटने की सूचनाएं मिल जाती हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय कोई ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे ताकि हमारे चुनाव क्षेत्रों के टेलीफोन के पैसे भी हमारे वेतन में से काटे जा सकें।

डा० राम सुभग सिंह : मैं इस सुझाव पर गौर करूंगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : एक दिन जैसे ही मैंने टेलीफोन का चोंगा उठाया मैंने एक आवाज सुनी, "मैं फाइल पहले ही विदेश मंत्रालय को भेज चुका हूं। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं?" क्या मुझे इस काल के पैसे देने पड़ेंगे?

डा० राम सुभग सिंह : जब उन्हें बिना-डायल किये ही उत्तर मिल गया तब उनसे पैसे कैसे लिये जा सकते हैं?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय सारे देश में तुरन्त नयी डायलिंग प्रणाली लागू करना चाहते हैं?

डा० राम सुभग सिंह : यह हमारा प्रयास होगा।

श्री हेम बरुआ : जो लोग टेलीफोन के बिल अदा नहीं करते उनके टेलीफोन काटना ठीक है, क्योंकि अधिकारियों सहित कई भारतीय लोग जब तक उन्हें लात नहीं लगती होश में नहीं आते और वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। परन्तु यह बात भी ठीक है कि बिल भेजने और हिसाब रखने में भी कई त्रुटियां हैं। क्या सरकार टेलीफोन काटने से पहले उन त्रुटियों की जांच करेगी?

डा० राम सुभग सिंह : यदि उन त्रुटियों को हमारे ध्यान में लाया गया तो हम उन पर विचार कर उचित कार्रवाई करेंगे ।

श्री कण्डप्पन : जिन 2500 टेलीफोनों को काटा गया है उनमें से आधे सरकारी प्रयोक्ताओं के हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का मंत्रालय भी उस सूची में शामिल है क्योंकि अभी हाल ही में मालूम हुआ है कि मद्रास में डाक-तार विभाग ने मद्रास निगम को काफी दिनों से अपना बिल अदा नहीं किया है । उनके मंत्रालय की इस हरकत को देखते हुए क्या उनका मंत्रालय भी उक्त सूची में है ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि निगम भी हमारे जैसे नियम लागू करे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी ।

Shri Onkar Lal Berwa: Thousands of telephone connections were given in Delhi at the time of General Election to the candidates participating in the election. When they were defeated at the polls their telephones have been disconnected. Have the Government recovered arrears from them? Please also state the amount of arrears to be recovered and the manner in which it is being recovered.

Dr. Ram Subhag Singh: In such cases the deposit is recovered first and then the bill is adjusted against the deposit.

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय ने कहा है कि उपयोक्ताओं से लगभग 10 करोड़ रुपये की रकम बकाया है । क्या उन्हें पता है कि इसमें से लगभग 8 करोड़ रुपया सारे भारत में सरकारी कार्यालयों के पास पड़ा हुआ है और इसमें से भी बड़ी राशि राज-भवनों के पास है ? क्या वह इसकी जांच करेंगे ? यदि उनके पास सूचना नहीं है तो मैं उन्हें सूचना दे सकता हूं । वे इस धन को उगाहने के लिए क्या प्रयास कर रहें हैं ? टेलीफोन काट देने से ही आपका उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता । कभी-कभी जो आदमी बिल अदा नहीं करते, धन देने से बच जाते हैं क्योंकि उनके विरुद्ध आप मुकदमा नहीं चला सकते क्योंकि 3 साल के बाद मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । इस प्रकार टेलीफोन काटने पर बहुत बड़ी राशि डूब जाती है । क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Loss to P. and T. Department

*904. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Posts and Telegraphs Rates Enquiry Committee in their interim report

have mentioned that laxity in the enforcement of the departmental rules is mainly responsible for the increasing loss being suffered by the Posts and Telegraphs Department;

(b) whether cases where employees have been paid amounts many times their salary in the form of medical expenses, reimbursement and overtime allowances have also been cited in the report; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Government is fully alive to the problem and all such cases coming to notice are being investigated and appropriate action taken.

अनाज की वसूली

*905. **श्री स० कुण्डू :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सीजन के लिये सरकार द्वारा अब तक अनाज की कितनी मात्रा की वसूली की गई है ; और

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में निर्धारित किये गये लक्ष्य को पूरा कर पायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मार्च, 1968 के मध्य तक अथवा उसके आस-पास चालू फसल वर्ष में लगभग 27 लाख मीटरी टन खरीफ के अनाज अधिप्राप्त किये जा चुके थे ।

(ख) कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित 70 लाख मी० टन का लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना नहीं है।

संयुक्त प्रबन्ध परिषद् का कार्यक्रम

*906. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'संयुक्त प्रबन्ध परिषद्' कार्यक्रम असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन उद्योगों में इसे लागू किया गया है और इससे अब तक क्या सफलतायें प्राप्त हुई हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की योजना असफल नहीं रही है, यद्यपि प्रगति कुछ धीमी रही है। असंतोषजनक प्रगति के मुख्य कारण ये हैं :

(1) अधिकांश प्रगतिशील नियोजक यूनियनों या श्रमिकों के प्रतिनिधियों के अनौपचारिक परामर्श की पद्धति अपनाते हैं और बहुधा नियोजक, और कभी-कभी यूनियनें भी, यह महसूस करती हैं कि औपचारिक संयुक्त प्रबन्ध परिषद् बेकार होगी।

(2) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्यूनियन प्रतिद्वन्द्विता और यूनियनों की आन्तरिक प्रतिद्वन्द्विता इस योजना की क्रियान्विति के लिए प्रायः प्रतिकूल वातावरण पैदा करती है।

(3) अधिकांश प्रबन्धक कार्य समितियों, उत्पादन समितियों, सुरक्षा समितियों, संयुक्त प्रबन्ध परिषदों आदि जैसी संयुक्त निकायों की बहुलता के विरुद्ध हैं।

सरकार इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

2. इस समय यह योजना निर्माण उद्योगों के 70 प्रतिष्ठानों (कपड़ा उद्योग के 13, इंजीनियरी उद्योग के 23, रासायनिक उद्योग के 4 और अन्य उद्योगों के 30 प्रतिष्ठान), खान उद्योग के 48 प्रतिष्ठानों, बाग उद्योग के 7 प्रतिष्ठानों, बैंक उद्योग के एक प्रतिष्ठान और विविध उद्योगों के 6 प्रतिष्ठानों में चल रही है। जहां यह योजना लागू है वहां औद्योगिक सम्बन्धों में सामान्यतः सुधार हुआ है।

कानपुर कपड़ा मिल पर बकाया भविष्य निधि की देय राशि

*907. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर कपड़ा मिल के मालिकों ने भविष्य निधि की बकाया राशि दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो 1 दिसम्बर, 1967 को उनके नाम कितनी राशि बकाया थी ;

(ग) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या मिल-मालिकों के खिलाफ मुकदमे चलाये गये हैं और यदि हां, तो कितने मामलों में ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) पांच मिलों ने बकाया राशि अदा करनी है।

(ख) कुल बकाया राशि 79.66 लाख रुपये है। एक मामले में 22 अक्तूबर, 1967 से बकाया राशि का हिसाब लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ). बकाया राशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। दो मामलों में अभियोजन भी चलाये जा चुके हैं।

पंचायत राज कार्यक्रम

*908. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने 3 फरवरी, 1968 को हैदराबाद में दिये गये एक वक्तव्य में यह कहा है कि "पंचायत राज ने हमारे ग्रामीण जीवन में कुछ अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियां उत्पन्न कर दी हैं";

(ख) यदि हां, तो ये अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियां वस्तुतः क्या हैं ; और

(ग) इन अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग). 3 फरवरी, 1968 को सामुदायिक विकास के राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद में भाषण के दौरान खाद्य तथा कृषि मंत्री ने पंचायती राज की वांछनीयता स्वीकार करते हुए यह कहा था कि यद्यपि उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्रारम्भिक अवस्था में पंचायती राज के कामकाज में गुटबन्दी को बढ़ावा देने तथा पहुंच में उद्देश्य का अभाव, जैसे कुछेक अवांछनीय तत्व घुस आये थे, फिर भी उनका विचार है कि वे समय के साथ-साथ दूर हो जाएंगे ।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण और पैदा होने वाली प्रवृत्तियों तथा समस्याओं का पुनर्विलोकन लगातार किया जाता रहता है । केन्द्र तथा राज्यों दोनों द्वारा स्थापित की गई अनेक अध्ययन टोलियों और सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के वार्षिक सम्मेलनों ने समय-समय पर पंचायती राज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया है और इस प्रणाली को और अधिक चल सकने योग्य तथा प्रभावकारी बनाने के लिये उपाय सुझाए हैं । उन पर आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकारों का काम है । इस बारे में उन्हें नियमित रूप से कहा जाता रहता है । पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के और उपायों पर मुख्य मंत्रियों तथा सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के परियोजित सम्मेलन में विचार किया जाएगा ।

खाद्यान्न की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता

*909. **श्री रवि राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात में काफी वृद्धि होने के बावजूद 1966 में खाद्यान्न की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता 15 प्रतिशत कम हो गई है और 1967 में यह और कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी के कारणों का पता लगाया गया है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि, खाद्य, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1965 की तुलना में 1966 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में 15 प्रतिशत कमी हो गई; 1967 में यह उपलब्धि उतनी ही थी जितनी 1966 में ।

(ख) उपलब्धि में कमी होने का कारण यह था कि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी हो गई जिसे आयात द्वारा पूरा नहीं किया जा सका।

(ग) खाद्यान्नों के आंतरिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इससे प्रति व्यक्ति उपलब्धि में सुधार हो जाएगा।

खाद्यान्नों का लाना ले जाना

*910. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बार अनाज की बहुत अच्छी फसल होने के कारण उसके लाने ले जाने में कठिनाई होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). रबी फसल की पूर्वानुमानित भरपूर फसल, विशेषतया पंजाब में से अभूतपूर्ण पैमाने पर खाद्यान्नों का संचलन होने की आशा है। रेल वैगनों से इस संचलन के लिये आवश्यक प्रबन्ध पहले ही किये हुये हैं और किसी गम्भीर कठिनाई की आशंका नहीं है। तथापि, इन प्रबन्धों में वृद्धि करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो थोड़े फासले के संचलन सड़क से करने के लिए भी पग उठाए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाना तथा दिल्ली जैसे निकटवर्ती खपत केन्द्रों पर परिवहन भण्डारण क्षमता भी बढ़ाई जा रही है ताकि व्यस्ततम अवधि में भारी संचलन किया जा सके।

Fourth Report of Election Commission

*911. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Ram Charan :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Fourth Report of the Election Commission has been translated into Hindi by the Election Commission of India ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that the Election Commission has entrusted the work of translation of future reports to its own employees ; and

(d) if so, the names of the reports which are being translated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) and (b). The Report on the Fourth General Elections, 1967 by the Election Commission was translated into Hindi by the Official Language (Legislative) Commission and not by the Election Commission itself. The Hindi version was required to be brought out within a very short time and that would not have been possible if the work was done by the Hindi translator

in the Election Commission. The Office of the Official Language (Legislative) Commission, on the other hand, was in a position to distribute the work among a number of officers and complete the translation within 28 days. Moreover, as the Hindi version was to be placed before the Houses of Parliament, the Election Commission wanted to ensure that the translation was as accurate as possible. Hence the work was entrusted to the Official Language (Legislative) Commission, a Standing Commission of Legal experts which **inter alia** is responsible for preparing authoritative texts in Hindi of all Central Acts and Ordinances and Regulations promulgated by the President.

(c) and (d). The Election Commission has not so far entrusted the work of translation of any reports to the employees of the Election Commission. The question will be considered when Reports and other publications are to be translated in Hindi in future.

दीर्घकालीन कृषि ऋण

*912. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में सहकारी क्षेत्र ने किसानों को बयालीस करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दीर्घकालीन कृषि ऋण दिये हैं और यदि हां तो अब तक राज्य-वार कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) वर्ष 1968-69 में किसानों को कुल कितनी राशि के ऐसे ऋण देने का विचार है ;

(ग) ये ऋण किन विशिष्ट शर्तों पर दिये जाते हैं ; और

(घ) कौन सी कृषि-जन्य वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये ये दीर्घकालीन ऋण दिये जायेंगे और पहले दिये जा चुके ऋणों को व्यापारिक तथा अव्यापारिक फसलों के बीच किस प्रकार विभाजित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 30 जून, 1967 तक के आंकड़े संकलित किए गए हैं और एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-** 642/68]

(ख) 104 करोड़ रुपये के लगभग के दीर्घकालीन ऋण देने का कार्यक्रम अवेक्षित है।

(ग) हर बैंक की विशिष्ट शर्तें भिन्न-भिन्न होती हैं। आमतौर पर किसानों को ऋण, जिस प्रयोजन के लिये मांगा गया है, उसें तथा प्रार्थी की वापसी-अदायगी की क्षमता को देखते हुए 10-15 वर्षों के लिये दिये जाते हैं। प्रतिभूति, अचल सम्पत्ति की प्रथम बन्धक के रूप में अपेक्षित होती है। ब्याज की औसत दर 9 प्रतिशत के लगभग है।

(घ) निजी लघु सिंचाई कार्यों (कुओं का निर्माण तथा मरम्मत, पम्पिग सेट लगाना), ट्रैक्टर तथा कृषि सम्बन्धी मशीनें खरीदने और भूमि विकास के लिये ऋण देने हेतु प्रोत्साहन देने का विचार है। दीर्घकालीन ऋण फसलवार नहीं दिये जाते हैं और इसलिये व्यापारिक तथा अव्यापारिक फसलों के ऋणों के बारे में अलग-अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है।

रेमन इन्जीनियरिंग वर्क्स, हावड़ा

*913. **डा० रानेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्थित रेमन इंजीनियरिंग वर्क्स के प्राधिकारियों ने श्रमिकों को नवम्बर और दिसम्बर, 1967 की मजूरी नहीं दी है हालांकि पश्चिम बंगाल के श्रम उपायुक्त ने इसकी सिफारिश की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 300 श्रमिकों को सेवा से निकालने का लाभ दिये बिना ही सेवा से निकाल दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार क्लर्क कर्मचारियों को दिसम्बर, 1967 से फरवरी, 1968 तक की अवधि के लिये मजूरी की अदायगी नहीं की गई। दरवानों को फरवरी, 1968 और दूसरे श्रमिकों को जनवरी और फरवरी, 1968 की मजूरी की अदायगी नहीं की गई।

(ख) तथाकथित जबरी छुट्टी के बारे में कोई औद्योगिक विवाद राज्य श्रम निदेशालय को नहीं भेजा गया।

(ग) समझौते की कार्यवाही के प्रयत्न सफल नहीं हुये हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के उल्लंघन के लिए अभियोजन चलाने का प्रश्न राज्य-सरकार के विचाराधीन है। राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक श्रमिकों की मजूरी की वसूली के लिए कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

कृषि आयोग

*914. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री दामानी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री अंबचेजियान :
श्री रवि राय :
श्री दीवीकन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक कृषि आयोग बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसके निर्देश पद क्या होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जी, हां। फसल नमूने, भूमि पट्टा, आदानों, जल प्रयोग, ऋण, अनु-

संधान तथा विस्तार, मानव-शक्ति आदि कृषि के विभिन्न पक्षों का निरीक्षण करने के लिए एक कृषि आयोग की स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

बीज फार्मों के लिये निगम

*915. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री दामानी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में केन्द्रीय बीज फार्म खोलने तथा उन्हें चलाने के लिये एक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) निगम की स्थापना के लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). केन्द्रीय राजकीय फार्मों को चलाने के लिये कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव है। अभी ऐसा विवरण तैयार नहीं किया गया है जिससे पता चले कि प्रस्तावित निगम में कितनी पूंजी लगाई जायेगी। इस विषय में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय हो जाने की सम्भावना है।

सरकारी कर्मचारियों का राजनीति में भाग लेना

*916. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1968 में नई दिल्ली में हुए कार्मिक प्रबन्ध तथा प्रशासन सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया था कि कुछ प्रवर्गों के सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सिविल सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सदस्य महोदय, कदाचित, कार्मिक प्रशासन पर हुये उस सम्मेलन के विचार-विमर्शों के प्रति निर्देश कर रहे हैं, जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के तत्वाधान में 5 मार्च से लेकर 9 मार्च, 1968 तक नई दिल्ली में किया गया था। सम्मेलन पर एक औपचारिक रिपोर्ट भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग को पारेषित की जानी है। सम्मेलन के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप कोई भी सिफारिशें सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Parliament Session in South India

*917. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether the reports from various Ministries, which they were asked to submit in connection with holding a session of Parliament in Bangalore or Hyderabad, have been received.

(b) if so, the estimated expenditure on a session of Parliament in the South India on the basis of those reports ;

(c) whether some information in this connection has also been called from the State Governments of Andhra Pradesh and Mysore ; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. It may, however, be stated that full information is not yet available in respect of the two Secretariats of Parliament.

(b) The estimated expenses by way of Travelling Allowance and Dearness Allowance etc. for the various Ministries have been roughly calculated as Rs. 20 lakhs for a Session of one month and Rs. 29 lakhs for a Session of two months. This does not include the expenses of Lok Sabha Secretariat.

(c) Yes ; from the State Government of Mysore only.

(d) They have been asked to examine the feasibility of arranging :

1. Two Chambers ;
2. Microphones, tape recorders and simultaneous translation device ;
3. Security ;
4. Press ;
5. Accommodation for Ministers, Members and Staff ;
6. Transport.

In case these could be arranged, they have been requested to indicate the consequential financial burden on Central Government on this proposal.

उर्वरक ऋण गारंटी निगम

*918. **श्री रा० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के वितरण के लिये पर्याप्त ऋण सुविधायें प्रदान करने के लिये एक उर्वरक ऋण गारंटी निगम स्थापित करने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उस निगम के क्या कार्य होंगे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). उर्वरक ऋण प्रत्याभूति निगम स्थापित करने के बारे में अभी तक कोई

निर्णय नहीं किया गया है। उर्वरक ऋण समिति ने जिसको भारतीय उर्वरक संस्था ने स्थापित किया था अपनी हाल ही की एक रिपोर्ट में एक उर्वरक ऋण प्रत्याभूति निगम की स्थापना की सिफारिश की है, समिति की सिफारिशों पर यथासमय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

आंधी तूफान से महाराष्ट्र में फसलों को क्षति

*919. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य से जानकारी प्राप्त की है कि मार्च, 1968 में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में आंधी तूफान के कारण हुई बर्बादी से रबी फसल को, नकदी फसल को, फल उद्यानों को कितनी क्षति पहुंची, उससे कितने मकान गिरे तथा यदि कोई जीवन हानि हुई है तो कितनी;

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को अनुमानतः कितनी क्षति पहुंची और सम्पति की कितनी हानि हुई; और

(ग) प्रभावित किसानों तथा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई तथा केन्द्र की ओर से कितनी सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1967 से असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि तथा शीत लहर से खरीफ व रबी की फसलों और फलोद्यानों को बड़ी क्षति पहुंची है। बहुत से पशु भी मरे हैं। मानव व मकानों की अधिक हानि नहीं हुई है।

(ख) फसलों व फलोद्यानों को लगभग 679 लाख रुपये की क्षति पहुंची है।

(ग) राज्य सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनमें सरकारी देय को स्थगित करना, खाद्यान्नों की अनिवार्य प्राप्ति को स्थगित करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में तकाबी ऋण देने के मामलों में उदारता अपनाना है। इस प्रयोजन हेतु कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गई है।

पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव

*920. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री क० मि० मधुकर :
श्री दीवीकन :
श्री अंबचेजियान :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मध्यावधि निर्वाचन नवम्बर, 1968 में करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग ने राज्य में सभी सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को, प्रथम जनवरी, 1968 को अर्हता की तारीख मान कर, पुनरीक्षित करने के लिए पहले ही निदेश जारी कर दिए हैं। आशा है कि यह कार्य अगस्त, 1968 तक पूरा हो जायेगा। मध्यावधि साधारण निर्वाचन करने के लिए शेष कार्यवाही निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम रूप में प्रकाशित हो जाने के पश्चात् की जायगी।

पश्चिम बंगाल में कन्टाई में सहायता-कार्य

*921. **श्री मधु लिमये : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के कन्टाई तथा अन्य क्षेत्रों के बाढ़ तथा अकालग्रस्त लोगों की दयनीय दशा की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा है और कितने लोग इनसे प्रभावित हुए हैं; और

(ग) अब तक क्या सहायता कार्य किये गये हैं और क्या विचाराधीन है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कहीं भी अकाल की स्थिति नहीं थी। जहां तक कन्टाई तथा अन्य क्षेत्रों में हाल में आई बाढ़ का सम्बन्ध है, एक विवरण जिसमें प्रभावित क्षेत्र तथा जनसंख्या तथा सहायता उपायों का ब्योरा दिया गया है सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

सितम्बर, 1967 में आई बाढ़ के कारण कुल 1546 वर्गमील क्षेत्र तथा 15.89 लाख जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा था। राज्य सरकार द्वारा मुफ्त सहायता (नकद तथा वस्तु रूप में) के रूप में, सहायता कार्य को क्रियान्वित करने, ग्रुअल किचन तथा सस्ते कैन्टीन खोलने, कपड़ों का वितरण, बीज, उर्वरक ऋण, कृषि ऋण तथा गृह निर्माण अनुदान तथा ऋण के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड

*922. **श्री रवि राय : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों संबंधी मजूरी बोर्डों की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में बम्बई में हाल में हुई बातचीत के समय मुख्य श्रमायुक्त भी उपस्थित थे;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) कोई समझौता नहीं हो सका।

(ग) कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये वे श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत, जिसके अनुसार श्रमजीवी पत्रकार संबंधी मजूरी बोर्ड स्थापित किया गया था, कार्यवाई करे। गैर-पत्रकार संबंधी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों में कोई सांविधिक शक्ति नहीं है और उन्हें अनुनय तथा परामर्श से क्रियान्वित कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

खम्भों पर लगे टेलीफोन तथा बिजली के तांबे के तारों की चोरी

*923. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्भों पर लगे टेलीफोन तथा बिजली के तांबे के तारों की बार-बार चोरी के कारण उत्तर प्रदेश के जिला नगरों को मिलाने वाली टेलीफोन सेवाएं बहुधा ठप्प हो जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस वारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या अपराधियों को कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था करने के लिये सरकार का कानून में संशोधन करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विभागीय अधिकारियों को सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क गहरा करने की दृष्टि से अनुदेश दिये जा चुके हैं।

(ii) राज्य के मुख्य मंत्री को लिखा गया है कि इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस को तांबे की चोरी रोकने की दिशा में कार्यवाई करने के लिये कहें।

(iii) टेलीग्राफ तार (नियम विरुद्ध स्वामित्व) अधिनियम 1950 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि अपराधियों को और अधिक कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था हो सके।

(iv) कई स्थानों पर तांबे के तार के स्थान पर तांबा-चढ़ा लोहे का तार लगाया जा जा रहा है।

राज्यों को चीनी की सप्लाई

*924. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जनवरी और फरवरी, 1968 में विभिन्न राज्यों ने केन्द्र से कितनी चीनी मांगी थी और उनमें से प्रत्येक राज्य को कितनी चीनी नियत की गई;

(ख) देश में चीनी की कमी के क्या कारण हैं और क्या इस सीजन में अब तक चीनी का उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो वह कितना अधिक रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-643/68]

(ख) देश में चीनी की कमी 1965-66 के मुकाबले में 1966-67 और 1967-68 में चीनी का कम उत्पादन होने के कारण हुई है। चालू मौसम में 15 मार्च, 1968 तक 19.43 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ है जबकि गत वर्ष की उसी अवधि में 18.78 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

(ग) लगभग 65,000 मीटरी टन।

Prices of Foodgrains

*925. **Shri Deorao Patil :**
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) whether Government have chalked out any programme to check the artificial recession in the prices of important items of foodgrains ; and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Before the sowing starts the Government fixes the minimum support prices of major foodgrains. Before the harvest commences procurement prices of major foodgrains are fixed. The procurement prices which are by and large at a higher level than the minimum support prices, operate as a price support measure as the Government is prepared to purchase all foodgrains offered for sale at procurement prices.

कच्चे पटसन के समर्थन मूल्य

*926. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 सम्बन्धी कृषि मूल्य आयोग ने कच्चे पटसन के समर्थन मूल्य लागू करने के लिए स्थायी सरकारी व्यवस्था (मशीनरी) बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या इस आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि कच्चे पटसन की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने तथा उसकी किस्म में सुधार करने और रेशे का वर्गीकरण करने, गांठें तैयार करने तथा बेचने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को ही मिलजुल कर भार उठाना चाहिए;

(ग) क्या आयोग की इन सिफारिशों पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). मामला विचाराधीन है ।

Committee of M. Ps. on Parliament Session in South India

*927. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri S. Kundu :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether the proposed Committee of Members of Parliament to look into the question of holding a session of Parliament in Bangalore or Hyderabad in South India has since been set up ;

(b) whether it is a fact that the Chief Ministers of Andhra Pradesh and Mysore have communicated their assurances for their full co-operation in this regard ; and

(c) if so, when a final decision is likely to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, Sir.

(b) The Chief Minister of Mysore has communicated his willingness to render full co-operation if a session is held in Bangalore. We have not received any official communication from the Chief Minister of Andhra Pradesh ;

(c) No firm date can be indicated as the matter is under consideration.

Transmission of Telegrams in Hindi

5477. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telegrams transmitted in Hindi from Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab, Bihar and Delhi since November, 1967 till date ; and

(b) the action proposed to be taken by Government to encourage transmission of telegrams in Hindi ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) (a): A statement showing the number of telegrams booked and transmitted from Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab, Bihar and Delhi Circles from 1st November, 67 to 7th March, 1968, is placed on the Table of the Lok Sabha (Annexure I). **[Placed in Library. See No. LT-644/68]**

(b) Several steps have been taken by the Department to bring the Indian Language Telegraph Service in Devnagri script on par with the Roman Telegraph Service. A statement of some of the steps taken by the Department is placed on the Table of the Sabha(Annexure II). **[Placed in Library. See No. LT-644/68]**

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

5478. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय केन्द्रीय भाण्डागार निगम को भारतीय खाद्य निगम में मिलाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों में राज्यवार कितने भाण्डागार बन्द किये गये हैं और इसके क्या कारण थे;

(घ) इस कारण अखिल भारतीय केन्द्रीय भाण्डागार निगम को कितनी हानि हुई है; और

(ङ) 1968 में कितने भाण्डागारों को बन्द किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा पीछे उठाई गई हानि को देखते हुये अगस्त, 1966 से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था कि उसे इसी स्थिति में रहने दिया जाना चाहिये अथवा उसके पूरे कार्य या उनका कुछ भाग किसी और संगठन को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश—2—ये भाण्डागार किराये पर लिये गये स्थानों पर थे, जिन्हें निगम द्वारा निकटवर्ती केन्द्रों पर अपने भाण्डागारों के बनाने के बाद, बन्द कर दिया गया था ।

केरल	1	कारोबार बढ़ने के कोई चिह्न न दिखाई देने और उनके अलाभकर होने के कारण बन्द कर दिये गये थे ।
मैसूर	2	
उत्तर प्रदेश	1	
पश्चिमी बंगाल...	1	सेना प्राधिकारियों द्वारा अधिग्रहण करने के कारण ।

(घ) उनके बंद होने से केन्द्रीय भाण्डागार निगम को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है । वास्तव में जिस दौरान इन भाण्डागारों ने कार्य किया था, उस अवधि में निगम को परिचालन सम्बन्धी हानि ही हुई थी ।

(ङ) फिलहाल केवल दो । तथापि, समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है और उसी के आधार पर निर्णय किये जाते हैं ।

आंध्र प्रदेश को गेहूं की सप्लाई

5479. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोग के लिये तथा गेहूं के उत्पादों में बदलने के लिये आंध्र प्रदेश को गेहूं की सप्लाई 1967 में प्रति मास बदलती रही है, जबकि राज्य की वास्तविक मांग प्रति मास

18000 मीट्रिक टन है; और

(ख) क्या सरकार का विचार अपेक्षित मात्रा में पूरा गेहूं देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गेहूं की सप्लाई की जाने वाली मात्रा में प्रत्येक मास अवश्य ही अन्तर होता है। यह सप्लाई केन्द्र के पास खाद्यान्नों की उपलब्धि और प्रत्येक मास में विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

(ख) स्थिति वैसी ही बनी रहेगी लेकिन जहां तक उपलब्धि से सम्भव हुआ, आन्ध्र प्रदेश को अधिक से अधिक गेहूं सप्लाई करने की कोशिश की जाएगी।

कालकाजी कालोनी में प्लाटों का अलाटमेंट

5480. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को लाटरियों के आधार पर हाल में कालकाजी कालोनी (दिल्ली) में प्लाटों का अलाटमेंट किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अलाटमेंट किसी स्वीकृत नक्शे के आधार पर किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि शुरू में लाटरी हाल के सामने थोड़ी देर के लिये एक मार्गदर्शन नक्शा प्रदर्शित किया गया था परन्तु यह जल्दी ही हटा लिया गया था और सम्बन्धित व्यक्ति अपने प्लाटों के ठिकाने की जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये थे ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) बिना किसी स्वीकृत नक्शों के लाटरियां निकालने की व्यवस्था करने का क्या औचित्य था ; और

(ङ) अलाटियों को स्वीकृत नक्शा कब तक उपलब्ध किये जाने की आशा है ताकि वे जान सकें कि उनके प्लाट वस्तुतः किन स्थानों पर हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एक नक्शा जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को अलाट करने के लिये कालकाजी के निकट प्लाटों का विभाजन दिया गया है, सरदार पटेल विद्यालय के हाल के सामने प्रदर्शित किया गया था जहां की लाटरी डाली गई थी ताकि योग्य व्यक्तियों को अपने प्लाटों की स्थिति का ज्ञान हो सके। जब लाटरी का प्रारंभ हुआ, सभी व्यक्ति लाटरी देखने के लिये हाल के अन्दर एकत्रित हो गये। इसलिये नक्शा हटा दिया गया था। अलाटियों को सूचित किया गया था कि वे नक्शे को पुनर्वास विभाग के स्वागत कमरे में देख सकते हैं और उनमें से अधिकांश इस व्यवस्था का लाभ उठा चुके हैं और अन्य द्वारा लाभ उठाने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में चावल तथा गेहूं का मूल्य

5481. **श्री दंडपाणि :**

श्री नारायणन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघराज्य क्षेत्र में खुले बाजार तथा राशन की दुकानों में चावल तथा गेहूं का मूल्य क्या है; और

(ख) यदि कोई अन्तर है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खुले बाजार में चावल तथा गेहूं के भाव और केन्द्रीय सरकार के निर्गम मूल्यों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

किस्म	खुले बाजार में थोक भाव (प्रति क्विंटल)	केन्द्रीय सरकार के निर्गम मूल्य (प्रति क्विंटल)
* चावल		
बेगमी	115 रुपये से 120.00 रुपये तक	103.00 रुपये
बासमती	160 रुपये से 185.00 रुपये तक	126.00 रुपये
** गेहूं		
दड़ा	86.00 रुपये	95.00 रुपये
बढ़िया	96.00 रुपये	100.00 रुपये

(ख) दिल्ली में चावल और गेहूं पर कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं है और खुले बाजार में मूल्य मांग तथा सप्लाई संबंधी बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। लेकिन सरकार के निर्गम मूल्य अनाजों की अधिप्राप्ति लागत पर आधारित होते हैं जो कि अपरिवर्तनीय होते हैं।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये नई बैरकपुर कालोनी

5482. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के 24 परगने में नई बैरकपुर बस्ती जो कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का एक पुनर्वास केन्द्र है, दर्जा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) 1950 से अब तक विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत इस बस्ती में सहायता और पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक कितनी धनराशि व्यय की है ;

* खुले बाजार के भाव 22-3-1968 के हैं।

** खुले बाजार के भाव 23-3-1968 के हैं।

(ग) क्या प्रति वर्ष खर्च हुए धन का ठीक हिसाब-किताब रखा गया है और उनकी लेखापरीक्षा की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि इस कालोनी की विभिन्न योजनाओं से संबंधित कागजात और रिकार्ड तथा विभिन्न अनुदानों, ऋणों आदि की मंजूरी और वितरण सम्बन्धी कागजात सम्बन्धित कार्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) नई बैरकपुर बस्ती पूर्वी पाकिस्तान से आये कुछ विस्थापित व्यक्तियों ने बनाई थी, जिन्होंने एक समिति बनाई जो कि बंगाल सहकारी समिति अधिनियम, 1949 के अन्तंगत पंजीकृत है। समिति का वर्तमान नाम नई बैरकपुर सहकारी गृह लिमिटेड है। जुलाई 1965 में बस्ती के क्षेत्र को नगरपालिका के रूप में घोषित कर दिया गया था।

(ख) निर्धारित स्तर के अनुसार समिति के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप में राज्य पुनर्वास विभाग द्वारा पुनर्वास सहायता मंजूर कर दी गई थी। विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत वितरित किये गये ऋण का ब्योरा निम्न में दिया गया है :

(I)	(1) गृह-निर्माण ऋण	32,44,633 रुपये
	(2) छोटे-मोटे कार्य के लिये ऋण	1,87,000 रुपये
	(3) कृषि ऋण	1,01,500 रुपये

(II) नल-कूपों की खुदाई के लिये समिति को 6,000 रुपये का ऋण मंजूर किया गया था।

(III) समिति को निम्नलिखित अनुदान भी मंजूर किये गये :

(1)	प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र, सामान्य अस्पताल तथा वक्ष चिकित्सालय के निर्माण के लिये।	99,400 रुपये
(2)	पुराने 25 नान टी० बी० बेड्स की उन्नति के लिये।	2,20 लाख रुपये
(3)	कन्या विद्यालय	1,10,000 रुपये
(4)	मिलन मन्दिर (सामुदायिक केन्द्र)	18,000 रुपये
(5)	आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र कालेज	6,98,000 रुपये

यह कुल राशि भारत सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार को सहायता/पुनर्वास प्रयोजन के लिये उपलब्ध की गई राशि में से दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये नई बैरकपुर कालोनी

5483. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये पश्चिमी बंगाल के 24 परगना में नई बैरकपुर कालोनी बनाने के लिये स्वीकृत योजनाओं में से एक योजना के अन्तर्गत जैसा कि 1951 में कलकत्ता के गजट में अधिसूचित किया गया है कृषि बस्तियां स्थापित करने तथा कृषि के विकास तथा सुधार के लिए लगभग 800 बीघा (262 एकड़) 'बीज' भूमि अर्जित की जानी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस उद्देश्य हेतु वस्तुतः केवल 387 बीघा (128 एकड़) भूमि अर्जित की गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कालोनी में बसे कृषकों को अर्जित की गई यह थोड़ी सी भूमि का भी पूरी तरह आवंटन नहीं किया गया और 'खास' भाग तथा अलाट किये गये कुछ प्लाटों को धीरे-धीरे नगरीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने तथा अधिनियम की विशिष्ट धारा के अन्तर्गत अर्जित की गई भूमि को अधिसूचित उद्देश्यों हेतु क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये नई बैरकपुर कालोनी

5484. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुये व्यक्तियों के लिये नई बैरकपुर कालोनी के सम्बन्ध में कृषि योजना की (एक कृषि बस्ती की स्थापना के लिये) कोई खाकायोजना कभी तैयार की गई थी और इस योजना से लाभ उठाने वालों को उपलब्ध की गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मौखिक आवंटन के अतिरिक्त प्रत्येक आवंटित प्लाट की ठीक

स्थिति का पता देने अथवा स्वामित्व आदि के सम्बन्ध में कोई लिखित प्रमाण देने के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) के लिये नये टेलीफोन केन्द्र

5486. **श्री नारायण रेड्डी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में निजामाबाद जिले में वर्ष 1968-69 के लिये कितने नये टेलीफोन केन्द्रों की मंजूरी दी गई है ;

(ख) इस क्षेत्र में वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के लिये कितनी नई योजनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किये गये हैं तथा आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) निजामाबाद तथा अदिलाबाद जिलों के लिये निजामाबाद में एक पृथक एस० डी० ओ० कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1968-69 के लिए जिला निजामाबाद में 7 नये टेलीफोन केन्द्र खोलने की मंजूरी दी गई है।

(ख) आज की तारीख तक 1968-69 तथा 1969-70 के लिये और कोई नई योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं ।

(ग) फिलहाल निजामाबाद में उपमंडल के निर्माण के औचित्य का पर्याप्त आधार नहीं है ।

निजामाबाद और हैदराबाद के बीच टेलीफोन लाइन का खराब रहना

5487. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामाबाद और हैदराबाद के बीच प्रतिदिन टेलीफोन लाइन के खराब हो जाने के कारण निजामाबाद एक्सचेंज के टेलीफोन प्रयोगकर्त्ताओं को होने वाली असुविधाओं और कठिनाइयों की जानकारी सरकार को है ;

(ख) निजामाबाद और हैदराबाद के बीच 1966 और 1967 के बीच प्रतिमास कितनी बार टेलीफोन लाइनें खराब हुईं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का इस मामले में क्या प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) निजामाबाद और सिकन्दराबाद के बीच ट्रंक लाइनों में मुख्यतः तांबे के तार की अक्सर चोरी के कारण कुछ गड़बड़ी होती रहती है ।

(ख) निजामाबाद और सिकन्दराबाद के बीच टेलीफोन परिपथों के औसत सफल संचालन के माहवार आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :

महीना और वर्ष	लाइन की गड़बड़ियों की संख्या	दक्षता प्रतिशत
जनवरी, 1966	6	90
फरवरी, 1966	4	85
मार्च, 1966	3	98
अप्रैल, 1966	5	85
मई, 1966	3	78
जून, 1966	7	80
जुलाई, 1966	6	85
अगस्त, 1966	5	75
सितम्बर, 1966	4	78
अक्तूबर, 1966	4	84
नवम्बर, 1966	8	76
दिसम्बर, 1966	6	71
जनवरी, 1967	8	81
फरवरी, 1967	4	75
मार्च, 1967	7	76
अप्रैल, 1967	3	85
मई, 1967	4	86
जून, 1967	11	70
जुलाई, 1967	3	71
अगस्त, 1967	11	62
सितम्बर, 1967	10	72
अक्तूबर, 1967	9	68
नवम्बर, 1967	3	82
दिसम्बर, 1967	5	72

(ग) अनुरक्षण कर्मचारियों को लाइनों पर होने वाली गड़बड़ी को तुरन्त ठीक करने के आदेश दे दिये गए हैं।

सिकन्दराबाद और निजामाबाद के बीच तांबे के झले तारों की, जिनकी चोरी होने की सम्भावना कम रहती है एक नई लाइन भी निर्माणाधीन है और इन दो स्थानों के बीच शीघ्र ही 8 सरणि प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।

उभरी हुई टिकट-मुहर के बिना अन्तर्देशीय पत्रों का छापा जाना

5488. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में उभरी हुई टिकट-मुहर के बिना अन्तर्देशीय पत्र छापने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन राज्यों में अब छापे जाने वाले इन अन्तर्देशीय पत्रों को उनकी अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषा में छापने की अनुमति होगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जनता की ओर से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए।

(ग) और (घ). सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार उन्हें द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में छापा जाता है। ऐसा करना मानक डिजाइन के अन्तर्देशीय पत्र कार्डों के सामान्य नमूने के अनुरूप है।

सरकारी बीज प्रक्षेत्र

5489. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का इस वर्ष कितनी मात्रा में आयात किया गया और इसका ब्योरा क्या है ; और

(ख) सरकारी बीज प्रक्षेत्र कितने हैं और वे कहां-कहां पर हैं तथा प्रति वर्ष औसतन किस किस्म के और कितनी मात्रा में बीज तैयार किये जाते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 की अवधि में अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों को आयात नहीं किया गया है।

(ख) "उन्नत बीजों का वर्धन व वितरण बीज फार्मों की स्थापना" नामक योजना के अन्तर्गत राज्यों ने दूसरी योजना के आरम्भ से देश में विभिन्न आकार के लगभग 4,000 बीज फार्मों की स्थापना की है। ये फार्म प्रायः खण्ड स्तरों पर स्थापित हैं और विभिन्न आकार के हैं।

इनमें मुख्यत: स्थानीय किस्मों के आधार बीज तैयार होते हैं । ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि औसतन वर्ष में कितने बीजों का उत्पादन हुआ है ।

वीर घाटम (आंध्र प्रदेश) में टेलीफोन केन्द्र खोलना

5490 **श्री नरसिम्हा राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में वीर घाटम में 20 लाइनों वाला टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रश्न 1966 से विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . वीर घाटम में एक 25 लाइनों का स्वचल टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । पोस्टमास्टर जनरल, हैदराबाद द्वारा इस प्रस्ताव के लिए शीघ्र ही मंजूरी जारी कर दी जाएगी ।

Import of Tractors

5491. **Shri Ramchandra Veerappa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tractors received from various foreign countries since 1962 till 1967 ; and

(b) the States amongst which these tractors were distributed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 14,644 tractors were imported from 1962-63 to 1967-68 (till October, 1967), from various foreign countries.

(b) Tractors were imported through trade channels and no allocation thereof was made State-wise. However, according to a census of tractors taken in 1966, there were about 53,121 tractors in the country. The State-wise distribution of these tractors is indicated in the Statement attached. **[Placed in Library. See No. LT-645/68]**

बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीय

5492. **श्री किरुतिनन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 2 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7522 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों की सम्पत्ति के लिये प्रतिकर प्राप्त करने के सम्बन्ध में बर्मा सरकार से बातचीत पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव इस वर्ष जनवरी में रंगून गये थे वहां उन्होंने बर्मा प्राधिकारियों से इस प्रश्न पर बातचीत की थी। उस वार्तालाप को ध्यान में रखते हुये रंगून में हमारे राजदूत इस मामले का पीछा कर रहे हैं।

(ग) इस मामले में कुछ विचार वस्तु अन्तर्ग्रस्त है जिनपर आगे बातचीत की आवश्यकता है। इसलिये इसमें विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं है।

Cultivation of Soyabeans

5493. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the estimated production of soyabeans in the country by the end of 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : No estimate of soyabean production is prepared at All-India level, although it is known that soyabeans are grown to a limited extent in several States for local consumption specially in the Northern Himalayan regions.

आसनसोल में रथीवाथी और कुआरडीह कोयला खानें

5494. **श्री भगवानदास** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री गणेश घोष** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसनसोल में राथीवाथी और कुआरडीह कोयला खानों में श्रमिकों तथा नियोजकों के बीच बिगड़ते जा रहे सम्बन्धों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान संसद् सदस्यों के उस दल द्वारा, जिसने 17 जनवरी, 1968 को या उसके आस-पास उस क्षेत्र का दौरा किया था, दिये गये वक्तव्य की ओर भी दिलाया गया है ;

(ग) क्या उस आधार पर कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इन कोयला खानों के श्रमिकों और नियोजकों के सम्बन्धों में ह्रास नहीं आया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जांच से अभियोग सिद्ध नहीं हुए।

भूमिगत जल का सर्वेक्षण

5495. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि कार्यों के लिये भूमिगत जल का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कृषि विभाग के अधीनस्थ समन्वेषी नलकूप संगठन देश के विभिन्न भागों में नलकूपों द्वारा सिंचाई के विकास के लिये भूमिगत जल-क्षमता वाले क्षेत्रों को छांटने के लिये भूमिगत जल का समन्वेषण कर रही है । आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरयाना, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में 15 विभिन्न क्षेत्रों का समन्वेषण किया गया । इन क्षेत्रों में खोदे गये 583 समन्वेषी छिद्रों में से 268 छिद्र सफल सिद्ध हुए और दूसरों को पानी के दोषपूर्ण और अपर्याप्त निस्सरण के कारण छोड़ दिया गया । भूमिगत जल के समन्वेषण द्वारा देश के विभिन्न भागों में 62160 किलोमीटर (24,000 वर्ग मील) का क्षेत्र भूमिगत जल के विकास द्वारा सिंचाई के योग्य सिद्ध हुआ ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की वित्तीय और तकनीकी सहायता से समन्वेषी नलकूप संगठन ने राजस्थान में भूमिगत जल निर्धारण की एक परियोजना हाथ में ली है । इस परियोजना के अन्तर्गत जालौर, जैसलमेर और जोधपुर के जिलों में भूमिगत जल का अध्ययन किया जा रहा है । छोटे नलकूपों, फिल्टर प्वाइंट्स, बोर किये हुए कुओं, उथले कुओं आदि के योग्य क्षेत्रों को छांटने के लिये भूमिगत जल के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिये अभी हाल ही में एक केन्द्रीय परियोजना भी जारी की गई है । अभी तक बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान के सम्बन्ध में यह परियोजना अनुमोदित कर दी गई है । इस परियोजना के उद्देश्य निम्न हैं :

(क) कृषकों को तकनीकी विषयों में निर्देशन जैसे :

(1) आकार, किस्म, कुओं/नलकूपों की सुरक्षित दूरी ।

(2) कार्य क्षेत्र, किस्म और जल निस्सरण में वृद्धि के लिये खुदे हुए कुओं को बोर और गहरा करने की विधियां ।

(3) कुओं पर संस्थापन के लिये कुओं से जल निकालने के उपयुक्त यन्त्रों का चुनाव ।

(ख) कुओं/नलकूपों के निर्माण को नियमित करना जिससे कि जल अधिक मात्रा में निकाले जाने के कारण कुओं के सूखने का भय न रहे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Hoarding of Foodgrains in Delhi

5496. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the number of traders arrested in Delhi in connection with food adulteration, speculation and hoarding of foodgrains during this year and the number of those prosecuted ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : No trader was arrested in Delhi in connection with speculation and hoarding of foodgrains and no prosecution was launched. Information regarding arrests and prosecutions in connection with food adulteration is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Parliamentary and Assembly Constituencies

5497. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the population of each Parliamentary Constituency, along with the names of the respective States, from which Member of Parliament have been elected, and the number of voters in each Constituency ;

(b) the population on the basis of which each Member to Legislative Assembly is elected, State-wise ;

(c) whether there is a considerable difference between the number of voters who elect a Member of Parliament and of those who elect a Member of the Legislative Assembly ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) and (b). The Election Commission has not maintained any statistics showing the figures of population of each parliamentary or the assembly constituency in any State. It will be a huge task to collect from the basic census tables the population figures of the areas comprised within a parliamentary or assembly constituency which is not co-terminous with any major administrative units such as Districts or Taluks. In most cases figures may have to be compiled down to the village level and the time and labour involved to compile the data for 520 parliamentary constituencies and 3553 assembly constituencies will not be commensurate with the results achieved. The number of voters in each Parliamentary and Assembly Constituency is available in Volume II of the Commission's Report on the Fourth General Elections in India, 1967, which was laid on the Table of the House on 14th November, 1967.

(c) Yes, Sir.

(d) As a parliamentary constituency in the States comprises 5 to 9 assembly constituencies, the electorate for a parliamentary constituency is naturallay and obviously 5 to 9 times more than that of an assembly constituency.

जम्मू तथा काश्मीर में गुप्त रेडियो स्टेशन

5498. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में एक गुप्त रेडियो स्टेशन "सदा-ए-काश्मीर" काम कर रहा है और वह भारत विरोधी प्रचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) "सदा-ए-काश्मीर" नाम से एक रेडियो स्टेशन काम कर रहा है और वह भारत-विरोधी प्रचार कर रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पता चला है कि यह पाकिस्तान-अधिकृत-काश्मीर क्षेत्र से परिचालित होता है।

(ख) आकाशवाणी के जम्मू और श्रीनगर केन्द्र इस प्रचार पर नजर रखते हैं और इस स्टेशन द्वारा किये जाने वाले भारत-विरोधी झूठे प्रचार का प्रभाव समाप्त करने के लिये अनुकूल और सही सूचना प्रसारित करते हैं।

उर्वरकों का वितरण

5499. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों के वितरण में भिन्न-भिन्न नीति के परिणामस्वरूप अविकसित क्षेत्रों में उर्वरक ले जाने में कोई भी अभिकरण रुचि नहीं ले रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विधि मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी का पद

5501. **श्री सेझियान** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में एक विशेष कार्याधिकारी पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ;

(ख) क्या इस निमित्त यह शर्त रखी गई है कि आवेदन ऐसा स्नातक होना चाहिए जिसका डिग्री कोर्स में एक विषय हिन्दी रहा हो ;

(ग) यदि हां, तो इस चुनाव में हिन्दी की जानकारी के पक्ष में भेदभाव दिखाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस पद के लिए वेतनमान और अन्य उपलब्धियां क्या नियत की गई हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां ।

(ग) विशेष कार्य अधिकारी का पद, अन्य पदों के साथ भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दो किस्मों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सृजित किया गया है अर्थात् (1) हिन्दी में दो विधि पत्रिकाओं का प्रकाशन जिनमें से एक में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय और दूसरी में उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय होंगे तथा (2) हिन्दी-भाषी राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के एल० एल० बी० पाठ्य-क्रमों के विषयों पर हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। इस पद के धारक के लिए हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक होगा ताकि वह अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निष्पादन कर सके। इसलिए इस पद के आवेदकों के लिए अर्हताओं में से एक अर्हता डिग्री कोर्स में एक विषय के रूप में हिन्दी सहित विश्वविद्यालय की डिग्री विहित की गई हैं।

(घ) 900–50–1250 रु० और सामान्य भत्ते ।

त्रिचूर में कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिए डाक व तार विभाग द्वारा अर्जित भूमि

5502. **श्री जनार्दनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग ने 1965 में कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिए केरल राज्य में त्रिचूर में कुछ भूमि अर्जित की थी परन्तु क्वार्टरों का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वहां क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) साधनों के अभाव के कारण विभाग जिस गति से क्वार्टरों का निर्माण करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है ।

(ग) लगभग 7.4 लाख रुपयों की लागत पर त्रिचूर में 52 क्वार्टरों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है। आशा है कि आगामी वित्तीय वर्ष तक यह निर्माण-कार्य हाथ में ले लिया जाएगा।

श्रीलंका से आये भारतीयों का पुनर्वास

5503. **श्री सीताराम केसरी** :
श्री किरुतिनन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अनुसार इस वर्ष कितने भारतीयों की

श्रीलंका से भारत आने की संभावना है ;

(ख) उन व्यक्तियों को किन-किन राज्यों में बसाया जायेगा ; और

(ग) उन लोगों के पुनर्वास के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) श्रीलंका से 1968-69 के वर्ष के अन्तर्गत लौटने वाले भारतीयों की ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि इस वर्ष के अन्तर्गत लगभग 30 से 35 हजार व्यक्तियों के लौटने की सम्भावना है।

(ख) श्री लंका से लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन की समस्या पर एक "राष्ट्रीय समस्या" के रूप में कार्यवाही की जा रही है और सभी राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गई है कि वे उनके पुनर्व्यवस्थापन के सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। फिर भी कम से कम प्रारम्भिक अवस्था में लौटने वालों का झुकाव अधिकांशतः दक्षिणी राज्यों में बसाने का होगा। तदनुसार पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनायें आयोजित/तैयार की जा रही हैं।

(ग) श्रीलंका से लौटने वाले भारतीयों की सहायता तथा पुनर्वास के लिये 1968-69 के बजट अनुमानों में "अनुदान" के अधीन 46.00 लाख रुपये तथा "ऋण" के अधीन 89.75 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

Self-Sufficiency in Foodgrains

5504. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the total food requirements of the country for achieving self-sufficiency in food and the year fixed for achieving this target?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : India is committed to achieve self-sufficiency in foodgrains by 1970-71 when the targetted production of 120 million tonnes is expected to match the requirements for human population, seed, cattle feed, etc.

पूर्वी बंगाल को चावल की तस्करी

5505. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1968 को पटना से छपने वाले दैनिक समाचार पत्र 'आर्यवर्त' में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि शाहबाद जिले के दक्षिणी भाग से बड़ी मात्रा में चावल चोरी छिपे पूर्वी बंगाल में ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) तथ्य मांगे गये हैं।

(ग) यदि रिपोर्ट ठीक पायी गयी तो उपयुक्त पग उठाए जायेंगे।

सहकारी चावल मिल

5506. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस देश में 775 सहकारी चावल मिलों को वित्तीय सहायता दी है जिनमें से इस समय 445 मिलों में उत्पादन हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो शेष मिलों में उत्पादन न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) मिलों की कितनी परिष्करण क्षमता बेकार पड़ी है और उन्हें चालू करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) शेष यूनिटें अभी पूर्णतः स्थापित नहीं की गई हैं और वे स्थापना की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) भाग को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Information Bulletins issued by Electtion Commission

5507. **Shri Ram Gopal Shalwale:**
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Brahmanandji:
Shri Y. S. Kushwah:

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the information bulletins issued by the Election Commission are generally in English ;

(b) whether Hindi versions of the (i) instructions issued to the candidates, and (ii) the book entitled "Reports on the Last Three General Elections in India" are available ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) Yes, Sir. The Election Commission's Press Notes are released through the Agency of the Press Information and Bureau.

(b) and (c). No, Sir. The Election Commission did not consider that Reports of the first three General Elections were books of general interest to the public and as such they were not published in Hindi. However, the Report on the Fourth General Elections is being published in Hindi.

The Election Commission did not bring out "Hand book for candidates" in 1967. There was no demand for its Hindi versions during the first three General Elections.

बिहार के उप-डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन

5508. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा जिले (बिहार) में बाबू बराही, बासोपट्टी और बाहेड़ी के उप-डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के सुझावों पर विचार तथा निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) उनका ब्योरा क्या है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). बाबू बराही, बासोपट्टी और बाहेड़ी में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्तावों की जांच कर ली गई है। बासोपट्टी के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है। इस दिशा में कार्य प्रगति पर है और आशा है कि यह कार्य लगभग एक माह में पूरा हो जाएगा। बाबू बराही तथा बाहेड़ी में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने से सम्बन्धित प्रस्तावों को क्रियान्वित करने से विभाग को घाटा होगा और इन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर केवल गारन्टी के आधार पर उसी स्थिति में खोले जा सकते हैं जबकि इच्छुक पार्टियां विभाग को होने वाले घाटे की पूर्ति करना स्वीकार कर लें।

आन्ध्र प्रदेश में चावल की खरीद

5509. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में चावल किस मूल्य पर खरीदा जाता है ; और

(ख) केरल में इसे किस मूल्य पर बेचा जाता है और इन दोनों भावों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश में चावल के खरीद मूल्य इस प्रकार हैं :

चावल की किस्म	(रुपया प्रतिक्विंटल) खरीद मूल्य (बिक्रीकर तथा बोरी की लागत छोड़कर)
मोटा	72.69
बढ़िया	86.42
बहुत बढ़िया	109.31

(ख) केन्द्रीय भण्डार से केरल राज्य तथा अन्य राज्यों को भी सप्लाई किये गये चावल

के निर्गम मूल्य 1-1-1968 से इस प्रकार हैं :

(रुपये प्रतिक्विंटल)

चावल की किस्म	निर्गम मूल्य (बोरी सहित केन्द्रीय गोदामों के द्वार पर सुपुर्दगी अथवा रेल तक निष्प्रभार)
मोटा	96.00
बढ़िया	110.00
बहुत बढ़िया	115.00 (बहुत बढ़िया II)
	125.00 (,, ,, I)

चावल का निर्गम मूल्य इसके अनुमानित लागत दाम, जिसमें लाभ की कोई बात नहीं होती है, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। लागत दाम निकालने के लिये सप्लाई करने वाले विभिन्न राज्यों में अधिप्राप्त किये जाने वाले चावल के दाम जिसमें चावल के अधिप्राप्त मूल्य और खरीदारी भंडारण तथा वितरण सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चे और प्रशासकीय अधिभार तथा सप्लाई करने वाले राज्य को देय बोनस शामिल होता है, को एकीकृत कर लिया जाता है और देश भर में चावल का एक-सा निर्गम मूल्य निर्धारित किया जाता है।

भविष्य निधि की राशि का निवेश

5510. **श्री नायनार :** **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री गणेश घोष :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री भविष्य निधि की राशि के निवेश के बारे में 22 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1555 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इस बोर्ड की सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं।

Agricultural Graduates

5511. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of Graduates in Agriculture who completed their course during the last five years in the country and number of those out of them who have been employed within the country and those who have gone abroad;

(b) the number of Agricultural experts who have been invited to India during the above period and are still working in the country;

(c) whether it is also a fact that there is still dearth of agricultural graduates in the country; and

(d) if so, the steps taken to make up this dearth?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) About 22,300 Agriculture Graduates completed their degree courses during the last 5 years (1962-66) in the country. The number, out of them, who have been employed within the country is not available with the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation as employment opportunities are offered by the State Governments and Private Agencies also besides some of the Ministries of the Central Government. Similarly the number of those who have gone abroad is not available with this Ministry.

(b) 325 Agricultural Experts/Consultants arrived in India during 1962-67 under various programmes viz. USAID (O. A. 28), F. A. O., Colombo Plan and USAID (Regular) to serve in the country in different capacities. Out of them 99 are still working in the country.

(c) No. There is no dearth of Agriculrural Graduates at present taking the country as a whole.

(d) Does not arise.

Radio Licences

5512. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of radio licences renewed during the last three years in the country; year-wise; and

(b) the number of unlicenced radio sets detected and the action taken against the owners of such sets?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

(a)	1965	—	37,53,854
	1966	—	47,99,299
	1967	—	58,66,318

(b) The number of unlicenced radio sets detected was—

In 1965	—	1,02,772
In 1966	—	1,19,734
In 1967	—	1,15,311

Most of these cases were compunded on payment of surcharges and prosecution was resorted to in cases where the offenders persistently refused to obtain licenses for the apparatus

in their possession. The number of cases settled by levying surcharge and cases taken to a court of law are:

		No. of cases settled on payment of surcharge.	No. of cases in which prosecution was launched.
1965	—	51,851	2,201
1966	—	1,09,577	5,682
1967	—	1,11,846	4,091

As it is not possible to settle all the detection cases of a particular year during the same year, the figures furnished for each year above may include some cases of the earlier years also.

मोसाबानी तांबा खानें

5513. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोसाबानी तांबा खानों के लगभग 5000 कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) मेसर्स इण्डियन कौपर कारपोरेशन लि० की मोसाबानी खानों के प्रबन्धकों को मोसाबानी तांबा खान कर्मचारी यूनियन और मोसाबानी खान श्रमिक यूनियन ने क्रमशः 20-2-68 और 7-3-68 को हड़ताल के नोटिस दिये।

(ख) मोसाबानी तांबा खान कर्मचारी यूनियन द्वारा दिया गया हड़ताल का नोटिस श्रमिकों को वर्ष 1966 के अनुग्रहपूर्वक बोनस की अदायगी और कम्पनी में भर्ती के लिये उम्मीदवारों का वजन लेने के बारे में हैं। मोसाबानी खान श्रमिक यूनियन द्वारा भेजा गया हड़ताल का नोटिस मुख्य रूप से निर्वाह खर्च सूचकांक के अनुसार 1-4-68 से बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दर के अनुसार अदायगी के बारे में है।

(ग) और (घ). ये विवाद समझौता कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं।

Residential Accommodation for P & T Employees

5514. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of cities in the country where residential accommodation do not exist for the P & T employees and whether the plots of land purchased by Government for this purpose at these places are lying unutilised ;

(b) if so, the details thereof;

(c) the steps taken by Government for the construction of quarters there ; and

(d) the amount of rent paid by Government so far for the buildings in these cities annually ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The P & T Department has provided residential accommodation for staff in all but eleven of the cities having a population of more than one lakh (1961-Census). These cities are :—

(i) Darbhanga (Bihar) ; (ii) Jammu, (iii) Srinagar (J & K), (iv) Nagarcoil (Madras) ; (v) Ulhasnagar (Maharashtra) ; (vi) Kolar Gold Field (Mysore) ; (vii) Jodhpur (Raj) ; (viii) Rampur (U. P.) ; (ix) Bhatpara ; (x) Bally & (xi) Kamarhati (West Bengal). At two of these places—Jammu & Jodhpur—plots of land for construction are available.

(c) Estimate for consturction of 24 quarters at Jammu is being processed for sanction.

An estimate for construction of quarters at Jodhpur has been called for.

(d) Annual rent paid for the buildings is :

	Residences	Offices	Total
Jammu	Rs. 3,556	Rs. 54,060	Rs. 57,616
Jodhpur	Rs. 1,680	Rs. 32,917	Rs. 34,597

Immigrants Settled in Kashmir

5515. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number of persons repatriated from foreign countries, country-wise, who have been settled in Kashmir during the last three years and the facilities provided to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

किसानों को लम्बी अवधि के लिए ऋण

5516. **श्री मयावन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री दीवीकन : **श्री अंबचेजियान :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1968 तक देश में किसानों को लम्बी अवधि के लिए कितनी राशि के कृषि ऋण दिए गये ;

(ख) चालू वर्ष में लम्बी अवधि के लिये कितनी राशि के ऋण किसानों में बांटे जायेंगे ;

(ग) इसके वितरण का आधार क्या है ;

(घ) लम्बी अवधि के लिये ऋणों के कार्यक्रम की अन्य मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में यह किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग). 30 जून, 1967 को प्राथमिक स्तर पर दीर्घकालीन ऋणों की कुल बकाया राशि 205 करोड़ रुपए (लगभग) आंकी गई है। आशा है कि वर्ष 1967-68 में देश के भूमि बन्धक बैंक 80-85 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण देंगे। ऋण-पत्रों के माध्यम से एकत्रित किया गया धन बैंकों के अपने साधनों से धनराशि मिलाकर किसानों को दीर्घकालीन ऋणों के रूप में वितरित किया जाता है। चालू वर्ष के आंकड़े कुछ समय पश्चात् ही सुलभ हो सकेंगे। विभिन्न भूमि विकास बैंकों के माध्यम से उपलब्ध किये गये ऋणों की राशि प्रमुखतः बैंक की अपने ऋण देने के कार्यक्रम को चलाने की क्षमता पर निर्भर करती है।

(घ) भूमि विकास (बन्धक) बैंक पात्र किसानों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए दीर्घकालीन ऋण देते हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं :

(1) कुंओं तथा अन्य निजी लघु सिंचाई स्रोतों का निर्माण तथा मरम्मत ;

(2) लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए तेल इंजिन तथा बिजली की मोटरों की खरीद ;

(3) ट्रैक्टरों तथा कृषि सम्बन्धी मशीनों की खरीद ;

(4) भूमि सुधार प्रयोजन ;

(5) भूमि की खरीद ;

(6) ऋण-निर्मोचन।

कुछ समय से बैंक आमतौर पर उत्पादी प्रयोजनों के लिए ऋण देते रहे हैं। ऋण अचल सम्पत्ति की प्रथम बन्धक पर 10-15 वर्षों की अवधि के लिए दिये जाते हैं।

(ङ) चूंकि अधिकांश ऋण उन प्रयोजनों के लिए दिये जाते हैं जो भूमि की उपज को (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से) बढ़ाते हैं, यह आमतौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने कृषि उत्पादन के लिए सम्भाव्यता बढ़ाने में सहायता दी है।

बर्मा से चावल

5517. **श्री दीवीकन : श्री चेंगलराया नायडू : श्री मयाबन : श्री अंबचेजियान :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा भारत को हाल में दो जहाज चावल भेजने के लिए सहमत हो गया है लेकिन श्रीलंका में चावल की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें वहां भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन जहाजों में कुल कितनी मात्रा में अनाज था ; और

(ग) जब देश में चावल की कमी है तो इन जहाजों को श्रीलंका को भेजने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार 10,000 टन बर्मा चावल उधार देने दथा 15 मार्च, 1968 को रंगून से 8483 टन चावल लेकर चले जहाज को कोलम्बो में उतारने के लिए सहमत हो गई थी। तथापि, श्रीलंका सरकार ने बाद में यह सूचित किया कि उसे अब इस उधार चावल की आवश्यकता नहीं है। अतः उस जहाज को कोचीन की ओर मोड़ दिया गया है।

(ग) पड़ोसी मित्र देश श्रीलंका अपने कठिन स्थिति से उबर सके, इसलिये सहायता करने के उद्देश्य से उसे उधार चावल देने पर सहमति हुई थी। श्रीलंका ने भी अगस्त, 1967 के कठिन महीने में थाईलैण्ड और बर्मा से ला रहे लगभग 18,000 टन चावल के अपने दो जहाजों को भारत भेज कर हमारी सहायता की थी। बाद में थाईलैण्ड तथा बर्मा से आयात की गई अपनी मात्रा में से इस मात्रा को श्रीलंका को वापस कर दिया गया था।

General Orders Issued by Election Commission in Hindi

5518. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah:

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether General orders by the Election Commission are being issued in Hindi since the enactment of the Official Languages Act ;

(b) whether any orders about recognition of political parties have been issued in Hindi ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Translations in Hindi of the general orders of the Commission are issued wherever required.

(b) and (c). No, Sir. However, Commission's statutory orders Nos. 3156, 3367 and 3366 dated the 17th October, and 1st December, 1966 relating to the recognition of political parties have been translated and incorporated in the Manual of Election Law in Hindi brought out recently by the Official Language (Legislative) Commission.

Elections to Rajya Sabha

5519. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Sradhakar Supakar :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the number of seats in Rajya Sabha State-wise for which elections are to be held ; and

(b) when they will be held ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a)

Andhra Pradesh	6
Assam	2
Bihar	7
Gujarat	3
Kerala	3
Madhya Pradesh	5
Madras	6
Maharashtra	6
Mysore	4
Orissa	3
Punjab	2
Rajasthan	4
Uttar Pradesh	12
Jammu & Kashmir	1
Nagaland	1
Delhi	1
Himachal Pradesh	1
Tripura	1

(b) The programme of these elections except Andhra Pradesh is as follows :—

Last date for making nominations	18th March, 68.
Scrutiny of nominations	19th March, 68.
Last date for withdrawal of candidatures.	21st March, 68.
Date of Poll Except (Rajasthan)	28th March, 1968.
Date of Poll for Rajasthan	31st March, 1968.

The programme in respect of elections from the State of Andhra Pradesh is as under :—

Last date for making nominations	16th March, 1968.
Scrutiny of nominations	18th March, 1968
Last date for withdrawal of candidatures	20th March, 1968.
Date on which a poll shall be taken, if necessary.	27th March, 1968.

हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्न की सप्लाई

5520. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में हिमाचल प्रदेश को कितना खाद्यान्न दिया गया ; और

(ख) आगामी तीन महीनों में हिमाचल प्रदेश को कितना खाद्यान्न नियत किया गया है अथवा नियत करने का विचार है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितना खाद्यान्न मांगा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) दिसम्बर, 1967 से फरवरी, 1968 तक गत इन तीन महीनों में हिमाचल प्रदेश को 15.1 हजार मीटरी टन गेहूं और 2.4 हजार मीटरी टन चावल सप्लाई किया गया था।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च के लिए 14.5 हजार मीटरी टन गेहूं और 5.0 हजार मीटरी टन चावल मांगा था। मार्च और अप्रैल के लिये क्रमश: 8.6 हजार मीटरी टन और 3.0 हजार मीटरी टन गेहूं का आंवटन किया गया है। इन दोनों महीनों के लिये कोई चावल आंवटित नहीं किया गया। मई मास के लिये आंवटन केन्द्र के पास उपलब्धि और उस मास के लिये विभिन्न राज्य सरकारों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

Food Procurement Areas

5521. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government have invited some suggestions from the State Governments in regard to food procurement areas ;

(b) if so, the nature of suggestions made by the State Governments and the names of those State Governments ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) (a) : No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई

5522. **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को अनाज सप्लाई करने के लिये किये गये वायदे में प्रस्तावित कमी के बारे में राज्यों की ओर से सरकार के पास कोई शिकायतें आई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का कोई निर्धारित कोटा आंवटन करने के लिये बचनबद्ध नहीं है। केन्द्र के पास उपलब्धि और विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुये प्रत्येक मास आंवटन किये जाते हैं। असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से हाल ही में अधिक आंवटन के लिये अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक

5523. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन की अन्तिम बैठक कब तथा किस स्थान पर हुई थी ;

(ख) उस बैठक में किन व्यक्तियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था ;

(ग) क्या उस बैठक में भारत में खाद्यान्न का रक्षित भण्डार बनाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में खाद्य तथा कृषि संगठन ने किस हद तक सहायता की है अथवा करेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्मेलन की अन्तिम बैठक 4 नवम्बर, 1967 से 23 नवम्बर, 1967 तक रोम में हुई।

(ख) इस बैठक में खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम, मद्रास के खाद्य तथा राजस्व मंत्री श्री के० मथियालागन, पटियाला के महाराजा श्री यदविन्द्र सिंह और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के आठ अधिकारी तथा सलाहकार और एक गैर-अधिकारी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महेश्वरी देवी पटसन मिल, कानपुर

5524. **श्री अब्राहम** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री रमानी : **श्री सत्यनारायण सिंह** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महेश्वरी देवी पटसन मिल कानपुर के कर्मचारियों को जबरी छुट्टी का मुआवजा फरवरी, 1966 से नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जबरी छुट्टी का मुआवजा न देने के कारण नियोजकों पर मुकदमा चलाया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कर्मचारियों को जबरी छुट्टी का मुआवजा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्पादन गम्भीर आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द हुआ । चूंकि उत्पादन फिर शुरू करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, इस मिल के विरुद्ध अभियोजन चलाना वांछनीय नहीं समझा गया ।

परन्तु अन्त में यह मिल नीलाम करके मेसर्स जैयपुर उद्योग लि० को सितम्बर, 1967 में बेच दी गई । नीलामी अभी तक पंजीकृत नहीं हुई है क्योंकि इस मिल ने इलाहाबाद डिवीजन के कमिश्नर के सामने ऐतराज दाखिल किये हैं । यह मामला उनके विचाराधीन है ।

(घ) जब इलाहाबाद डिवीजन के कमिश्नर नियोजकों द्वारा इस मिल के बेचने के विरुद्ध दाखिल किये गये ऐतराजों पर अपना फैसला दे देंगे, उसके बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है ।

निर्वाचन आयोग

5525. **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1962 को चुनाव आयोग में प्रत्येक ग्रेड में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ख) उनमें से प्रत्येक ग्रेड के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने हिन्दी में मैट्रिक अथवा उससे ऊंची योग्यता प्राप्त की है ; और

(ग) उनमें कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है और उन्होंने केन्द्रीय सचिवालय प्रशिक्षण संस्था की प्राज्ञ और प्रवीन परीक्षायें पास की हैं तथा कितने कर्मचारियों को अभी हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना शेष है ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ग). जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-646/68]

चुनाव आयोग में हिन्दी का प्रयोग

5526. **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रामजी राम :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनाव आयोग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो हिन्दी में काम कर सकते हैं ;

(ख) वहां पर वास्तव में कितने कर्मचारी हिन्दी में काम कर रहे हैं ; और

(ग) हिन्दी में क्या काम किया जा रहा है तथा दूसरे काम हिन्दी में न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) निर्वाचन आयोग के नब्बे कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान है। वे हिन्दी सहित मेट्रीकुलेशन या उच्चतर परीक्षा अथवा प्राग्य परीक्षा पास हैं।

(ख) 3.

(ग) उन राज्यों से, जिनकी राजभाषा हिन्दी है, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, और ऐसी दशाओं में जहां उत्तर हिन्दी में भेजा जाना आवश्यक समझा जाता है, उसे हिन्दी में, उसके अंग्रेजी अनुवाद सहित, भेजा जाता है। काम की अन्य मदों की बाबत आयोग गृह मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गये अनुदेशों का यथासम्भव पालन करता है।

Use of Hindi in Election Commission

5527. **Dr. Surya Prakash Puri:**
Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Ramji Ram:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Y. S. Kushwah:

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the number of letters received in Hindi in the Election Commission in 1967-68 so far and the number of those replied to in English instead of in Hindi;

(b) the names of Hindi-speaking States with which correspondence is conducted in Hindi by the Commission;

(c) whether there are some Hindi speaking States with which the Commission does not correspond in Hindi; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) The number of letters received in Hindi in 1967-68 so far is 2893 and the number replied to in Hindi is 26. In other cases replies were either sent in English or no replies were called for and no separate statistics have been kept of such cases.

(b) and (c). The Commission does not correspond in Hindi with any of the Hindi-speaking States. However, Hindi translations of communications in English are sent, where necessary.

(d) As far as possible the instructions of the Home Ministry in the matter are being followed.

केरल में भारत-स्विटजरलैण्ड कृषि योजना

5528. **श्री चक्रपाणि :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री प० गोपालन : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कृषि सम्बन्धी योजना का विकास करने के लिये भारत और स्विटजरलैण्ड के बीच एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) स्वीडन की सहायता से सरकारी भूमि में मुन्नार स्थित कृषि केन्द्र की स्थापना करने के विषय में भारत सरकार और स्वीडन सरकार के बीच 12-7-63 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। करार का उद्देश्य यह था कि स्वीडन व भारतीय नस्ल के पशुओं का संकर प्रजनन कराकर सन्तति में सुधार किया जाये। मौजूदा कृषि विधियों के माध्यम से इस केन्द्र को चारे की विभिन्न किस्में उगाने के लिये प्रदर्शन परियोजना के रूप में काम में लाना था। यह परियोजना 27 अगस्त, 1963 को शुरू की गई थी।

प्रथम चरण में मैदापट्टी व मुन्नार में एक मिश्रित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव था।

विकास के दूसरे चरण के विषय में करार पर 5-5-66 को हस्ताक्षर किये गये थे। इसका उद्देश्य कृषकों के पुनर्वास के माध्यम से इस कार्य को 11000 एकड़ भूमि में फैलाने का विचार था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरे चरण में क्षेत्र में चारे की विभिन्न किस्मों की बुवाई शुरू की गई। केन्द्र ने प्रशीतन तकनीकों के माध्यम से ब्राउन स्विस तथा जरसी नस्लों के पशुओं की धातु को एकत्रित व वितरित किया। परियोजना व बाहर दोनों स्थानों की गायों का गर्भाधान कराया गया।

इस योजना को तीसरे दौर तक फैलाने के विषय में एक करार पर 15 फरवरी, 1968 को हस्ताक्षर किए गए। यह करार 31-3-1969 तक चलेगा। इस अवधि में स्वीडन की सरकार 21.5 लाख स्वीडिश मुद्रा देगी और केरल सरकार 25.00 लाख रुपये की रकम देगी।

तीसरे दौर में इस कार्यक्रम का और विस्तार होगा और उसके अन्तर्गत कार्य होंगे :

1. मैदापट्टी में होने वाले प्रयोगों को जारी रखना व उनका विस्तार करना। ये प्रयोग चारा उत्पादन, चरागाह भूमि के विकास, पशु सुधार, पशुचिकित्सा, सस्य विज्ञान, बागवानी तथा वनारोपण के विषय में होंगे।

2. पीरमेड क्षेत्र में ब्राऊन स्विस नस्ल के पशुओं के संकर प्रजनन का प्रारम्भ व विस्तार करना।

3. समस्त प्रकार के तकनीकी स्टाफ व फार्म प्रबन्ध के विषय में कृषि प्रशिक्षण के कार्यक्रम का विकास करना।

4. मैदापट्टी प्रयोगात्मक फार्म में प्राप्त अनुभव के आधार पर कार्य शुरू करना। जहां तक पशु प्रजनन का सम्बन्ध है, मुख्य लक्ष्य एक नई नस्ल को तैयार करना है। यह कार्य ब्राऊन स्विस पशुओं के प्रयोग से किया जायेगा।

मनीआर्डर फार्म

5529. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीआर्डर फार्म के लिए 3 पैसे का जो मूल्य नियत किया गया था उससे जनता को बहुत असुविधा होती है क्योंकि डाकघरों के पास छोटे सिक्कों की कमी होती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मनीआर्डर फार्म के मूल्य इस प्रकार निश्चित करने का है जो सुविधाजनक हो तथा पांच पैसे के पूरे सिक्के के रूप में हो अथवा पहले के तरह इनको मुफ्त देने का है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) फिर भी डाकघर में लेन देन को अधिक सरल और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये मनीआर्डर फार्म की कीमत 5 पैसा रखने का प्रस्ताव है जिसको कमीशन में समंजन कर दिया जायेगा।

Post Office in Ramcharitra Maidan Vangama Village (Bihar)

5530. **Shri Madhu Limaye**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the residents of Ramcharitra Maidan, Vangama village under Kharagpur Block (Monghyr) Bihar for the opening of post office there; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) A post office has been established at Ramcharitra Maidan village on 27-2-68.

बुकरगांव (बिहार) में डाकघर

5531. **श्री मधु लिमये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मुंगेर (बिहार) के बुकर गांव के निवासियों ने अपने गांव में एक डाकघर खोले जाने के लिये एक अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रतापनगर (गुजरात) में टेलीफोन की सुविधायें

5532. **श्री मधु लिमये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला भड़ौच (गुजरात) में प्रतापनगर में टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने के लिये वहां से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। मेसर्स भोलाराम रामेश्वरदास के हाते में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये मांग प्राप्त हुई है।

(ख) यह टेलीफोन कनेक्शन लम्बी दूरी का है और गारंटी बांड के भरे जाने पर खोला जा सकता है। आवेदक को बांड का फार्म पहले से ही भेज दिया गया है।

Employment Exchange, Delhi

5533. **Shri Balraj Madhok**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons whose names were registered in the Employment Exchange, Delhi during the last three years ;

(b) the number of persons among them who have been provided employment opportunities so far ;

(c) whether it is a fact that Government Offices notify very less number of vacancies to the Employment Exchanges ; and

(d) if so, whether Government propose to issue any orders to all the Government and private offices for filling in all the posts through the Employment Exchanges and if so, when ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a)	1965	..	1,39,888
	1966	..	1,31,768
	1967	..	1,38,468

(b)	1965	..	26,536
	1966	..	27,842
	1967	..	33,091

(c) No.

(d) As far as Government offices are concerned instructions already exist; private establishments are persuaded to use the Employment Exchange machinery to the maximum extent possible:

Issue of Milk Tokens

5534. **Shri Balraj Madhok :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of those persons who had applied for issue of new milk tokens and whose names are registered in the office of the Delhi Milk Scheme for the last two years but tokens have not been issued to them so far ;

(b) whether it is a fact that the persons in the waiting list sometime succeed in getting the cards issued to them out-of-turn ; and

(c) if so, the reasons for issuing cards out-of-turn ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 52,127 applications for issue of new milk tokens have been registered with the Delhi Milk Scheme during the last two years.

(b) Yes, Sir.

(c) These tokens are issued only in exceptional cases.

Use of Hindi in Election Commission

5535. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Law** be pleased to state the steps being taken by the Election Commission to promote the use of Hindi in the Commission ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : The Commission has on its establishment one Hindi Unit consisting of one Translator and two Hindi Assistants. A Section Officer is in overall charge of the work of this Unit in addition to his other duties. Members of the staff for whom training in Hindi is obligatory are being sent for such training, according to the instructions issued by the Government from time to time.

आंध्र प्रदेश में फसलों को हानि

5536. **श्री जी० एस० रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के जिलों में फसली वर्ष 1377 में फसलों को हुई हानि के बारे में सरकार को जानकारी दी गई है ; और

(ख) इन क्षेत्रों को सहायता पहुंचाने के लिये क्या केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल शीघ्र ही राज्य का दौरा करेगा जो फसलों को हुई हानि का अनुमान लगायेगा और सिफारिशें करेगा कि केन्द्रीय सरकार ने सहायता के रूप में कितनी रकम देनी चाहिए।

Retrenchment in Katras—Chhotaidih Colliery

5537. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 300 workers of Katras-Chhotaidih Coal Mines in District Dhanbad have been illegally retrenched ;

(b) whether it is also a fact that the Regional Labour Commissioner there enquired into the matter and ordered that the labourers be re-employed ;

(c) whether it is further a fact that M/s. Bird and Co. are still employing new labourers instead of those labourers and that the retrenched labourers have also not been paid any compensation ; and

(d) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No. There has, however, been a lay-off of 252 workers out of whom 43 workers were subsequently provided employment in the Colliery and the remaining 209, transferred to Loyabad colliery under the same management. The workers, however, refused to work there.

(b) and (c) : The Regional Labour Commissioner (Central) Dhanbad enquired into the matter and found that some new workers were working in the colliery. He advised the management to replace them by old workers, but the management did not agree to this. Since there has been no retrenchment, the question of payment of retrenchment compensation does not arise.

(d) The dispute regarding lay-off and transfer of the workmen involved was fixed for conciliation on 25th March, 1968. On receipt of the report of the Assistant Labour Commissioner (Central), Dhanbad-I, further necessary action will be taken by Government.

बिहार में बीरपुर के निकट बीजों का उत्पादन बढ़ाने का कार्य

5538. **श्री गुणानन्द ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के सहरसा जिले में बीरपुर के निकट विदेशी सहयोग से बीजों का उत्पादन बढ़ाने का फार्म स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी और उस पर कुल कितना खर्च आयेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि वहां रेतीली तथा घटिया दर्जे की भूमि है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वहां फार्म खोलने का जनता ने विरोध किया है और इस सिलसिले में उसने एक प्रदर्शन किया था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस फार्म को कहीं अन्यत्र खोलने की व्यवस्था करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). इस सरकार की यंत्रों और उपकरणों के रूप में सहायता से बिहार के सहरसा जिले में बीरपुर के निकट 10,000 एकड़ के क्षेत्र में एक केन्द्रीय सरकारी फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है।

जहां तक मिट्टी के गुणों का प्रश्न है, बिहार सरकार से मिट्टी के गुणों के सम्बन्ध में अभी हाल ही को दित्ता प्रस्तुत करने को कहा गया है।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इस मामले पर बिहार सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है और अन्तिम निर्णय करने से पूर्व इन सब विषयों पर विचार किया जायेगा।

योजना पर संभावित कुल व्यय का ब्योरा देना सम्भव नहीं है क्योंकि इस ब्योरे को अभी निकाला नहीं गया है। यदि प्रस्तावित क्षेत्र में फार्म की स्थापना का अन्तिम निर्णय कर दिया गया तो यह भी कर दिया जाएगा।

Smuggling of Foodgrains to East Pakistan

5539. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large quantities of rice and other foodgrains are being smuggled to Pakistan by boats on the river Ganges near Katihar in District Purnea in Bihar ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). No such report has been received so far. Suitable action will be taken if and when any such activity comes to the notice of Government.

आजाद हिन्द आरजी हकूमत के स्थापना दिवस के रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर विशेष टिकट जारी करना

5540. **श्री समर गुह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आजाद हिन्द फौज की अखिल भारतीय एसोसियेशनों, नेताजी अनुसंधान ब्यूरो तथा नेताजी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की ओर से अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के अधीन आजाद हिन्द आरजी हकूमत के स्थापना दिवस के रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर सरकार से विशेष टिकट जारी करने का अनुरोध किया गया हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) उक्त प्रस्ताव की जांच डाक टिकट सलाहकार समिति अपनी आगामी बैठक में करेगी।

कोन्टाई सब-डिवीजन में भूख से मौतें

5541. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोन्टाई सब-डिवीजन के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में हाल ही में भुखमरी के कारण 11 मौतें हुई हैं और 4 व्यक्तियों ने आत्महत्या की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीतियों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार को अभावग्रस्त क्षेत्रों में उस राज्य को केन्द्र द्वारा दी गई राजसहायता से सस्ती कैन्टीनें और दलियों आदि के लंगर खोलने की अनुमति नहीं है ;

(ग) क्या वहां भूख से पीड़ित लोगों को भोजन देने के लिये शुरू किये सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी सहायता-कार्य पिछले दिसम्बर के बाद बन्द कर दिये गये हैं ;

(घ) क्या इस बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र की भुखमरी की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये 21 फरवरी, 1968 को कोन्टाई न्यायालय के समक्ष 2000 महिलाओं समेत 7000 लोगों ने सत्याग्रह किया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कोन्टाई सब-डिवीजन के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है।

(ख) सहायता कार्यों पर खर्च करने के लिये केन्द्रीय सहायता जब राज्य सरकार द्वारा किया गया खर्च अथवा किये जाने वाले खर्च की कुछ विहित सीमाओं से बढ़ने की आशा होती है तब केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिशों पर विहित प्रतिमान के अनुसार दी जाती है। इस प्रयोजन के लिये खर्च की जिन मदों पर विचार किया जाता है उनमें प्रभावित जनता को खाद्यान्नों की मुफ्त अथवा रियायती दरों पर सप्लाई सम्मिलित होती है। पश्चिमी बंगाल के मामले में केन्द्रीय अध्ययन दल जिसने सहायता सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाने के लिये बाढग्रस्त-क्षेत्रों का दौरा किया था, को ज्ञात हुआ है कि कुछेक गैर-सरकारी संगठनों ने खाद्य वितरण केन्द्र स्थापित किये थे और यह सिफारिश की कि राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सस्ती कैन्टीनें और सत्तू प्रधान भोजनालय खोलने की बजाय टैस्ट कार्यों से सहायता सुलभ करना उपयुक्त होगा।

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने पश्चिमी बंगाल सरकार को विशिष्ट रूप से बाढ़ सहायता के लिए मुफ्त 2000 मीटरी टन मकई और कमी तथा बाढ़ सहायता दोनों के लिए 6,094

मीटरी टन मकई दी थी। इससे पूर्व राज्य सरकार को कमी सम्बन्धी सहायता के लिये 5,000 मीटरी टन गेहूं दिया गया था। राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे कुछ स्वयंसेवी संगठनों को भी कमी तथा बाढ़ सहायता के लिये खाद्यान्न दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, राज्य सरकार वहां पर सहायता कार्य चला रही है।

(घ) पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 21 फरवरी, 1968 को तीन हजार व्यक्ति जिनमें कुछ महिलायें भी थीं, जलूस में सब-डिवीजनल अधिकारी, कोन्टाई की कचहरी के अहाते में आये और वहां पर प्रदर्शन किया और बाढ़ ग्रस्त-क्षेत्रों में और अधिक विस्तृत पैमाने पर सहायता की मांग की। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि कोन्टाई सब-डिवीजन के बाढ़ ग्रस्त-क्षेत्रों में किसी भी समय भुखमरी की स्थिति थी।

पश्चिम बंगाल को कृषि उपकरणों की सप्लाई

5542. **श्री चपला कान्त भट्टाचार्य :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अधिक अन्न उपजाओ" अभियान के अंग के रूप में किसानों को रियायती दामों पर उन्नत कृषि उपकरण सप्लाई करने की पश्चिम बंगाल सरकार की योजना असफल रही है ;

(ख) क्या राज्य के कृषि विभाग ने इस योजना के अन्तर्गत लघु निर्माण के द्वारा कुछ उन्नत उपकरणों का निर्माण किया है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितना व्यय हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली में अन्नपूर्णा भोजनालय

5543. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में अन्नपूर्णा भोजनालय का काम कम हो रहा है और वह बन्द होने की स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उसे पहले की भांति लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग). अन्नपूर्णा भोजनालय को अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद, नई दिल्ली

चलाती है जो कि एक गैर-सरकारी पंजीवद्ध संस्था है। सरकार का इस भोजनालय अथवा परिषद से कोई सम्बन्ध नहीं है और इस बारे में कोई सूचना भी नहीं है।

राजस्थान में अकाल

5544. **श्री म० ला० सोंधी : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के 2368 गांव अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन गांवों को सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के 12 जिलों के 2365 गांव कमी से प्रभावित घोषित किये गये हैं।

(ख) कमी से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य गठित करना राज्य-सरकारों का दायित्व है। राजस्थान सरकार ने सहायता कार्य चालू करने, लगान माफ करने, पानी व चारा सप्लाई करने आदि जैसे विभिन्न सहायता सम्बन्धी उपाय पहले ही शुरू कर दिये हैं। दैवी-विपदा विषयक राहत कार्यों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रतिमान के अनुसार जब ऐसे राहत कार्यों पर खर्च चौथे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से बढ़ जाता है अथवा बढ़ने की आशा होती है तब राज्य सरकार से ऐसी सहायता के लिये अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता सुलभ की जायेगी।

दिल्ली धोबी सहकारी समितियां लिमिटेड

5545. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में एक योजना तैयार की गई थी कि सरकारी अस्पतालों, हौस्टलों, स्थल सेना, वायुसेना आदि के धुलाई सम्बन्धी ठेके दिल्ली धोबी सहकारी समिमियां लिमिटेड को दिये जायें और अन्य संगठनों को नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये निर्णय को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 1962 में तैयार की गई योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को कहा गया था कि जहां अधिक ग्राहक मिलने सम्भव हों, वहां वे धोबियों की सहकारी समितियां गठित करें, ताकि धोबियों को उनका कारोबार कुशल ढंग से व्यवस्थित करने और समुचित लाभ कमाने में सहायता दी जा सके। यह कहा गया था कि इस दिशा में शुरुआत सैनिक संस्थापनों, मेडिकल कालिजों, अस्पतालों, होटलों, हौस्टलों आदि से की जा सकती है,

जिन्हें धोबियों की सेवाओं की स्थायी रूप से आवश्यकता रहती है और जो निरन्तर काम दे सकते हैं। तथापि, इन संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं था कि वे धुलाई के ठेके केवल धोबियों की सहकारी समितियों को ही दें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दिल्ली में दिल्ली धोबी कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी लि०, 25 जून, 1965 को पंजीकृत की गई थी और सरकारी अस्पतालों तथा अन्य संगठनों से इस समिति को धुलाई के ठेके देने की सिफारिश की गई थी। यह सूचना मिली है कि यह समिति अपने को गठित न कर सकी और अपने कामकाज को उचित ढंग से नहीं चला सकी।

शरणार्थी शिविरों का बन्द किया जाना

5546. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभाजन के फलस्वरूप बेघरबार हुये व्यक्तियों को बसाने वाले शिविरों को बन्द कर देने का सरकार ने निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिविरों को कब तक बन्द कर दिए जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). विभाजन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्वागत शिविर खोले गए थे, उपयुक्त पुनर्वास उपाय करने के उपरान्त इन सबको बन्द कर दिया गया था। जनवरी, 1964 तथा उसके उपरान्त पूर्वी पाकिस्तान में अशान्ति फैलने तथा जीवन तथा सम्पत्ति के खतरे के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान से अल्प संख्यक समुदाय के सदस्यों ने भारी संख्या में भारत आना आरम्भ कर दिया। इसलिए नए सिरे से उनके स्वागत के लिए शिविर स्थापित किए गए, जिनकी संख्या 105 तक पहुंच गई, इनमें से 9 शिविर सीधे भारत सरकार द्वारा प्रशासित थे। चूंकि नये प्रव्रजकों में से अधिकांश को कृषि योजनाओं तथा गैर-कृषक कार्यों में पुनर्वास सुविधाएं दे दी गई हैं, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित 49 शिविर तथा भारत सरकार द्वारा चलाए गए 6 शिविर पहले ही बन्द कर दिए गए हैं। शेष शिविरों के सम्बन्ध में विभिन्न सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि प्रव्रजकों के लिए मंजूर किये गये पुनर्वास कार्यक्रम की गति को और बढ़ाया जाए ताकि जो प्रव्रजक परिवार अभी सहायता शिविरों में रह रहे हैं उन्हें पुनर्वास स्थलों पर भेज दिया जाये और जैसे ही सहायता शिविर खाली कर दिए जाते हैं उन्हें बन्द कर दिया जाये। सहायता शिविरों में बन्द करने के बारे में कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई है, उन्हें यथासम्भव समय में बन्द करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कार्मिक संघ आन्दोलन

5547. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने नई दिल्ली में

हो रहे संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के अधिवेशन को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें विकासशील देशों में कार्मिक संघ आन्दोलन को बढ़ावा दिये जाने के लिए अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) जहां तक भारतीय श्रम आन्दोलन का सम्बन्ध है इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). माननीय सदस्य स्पष्टतया स्वतंत्र मजदूर संघों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ का उल्लेख कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन विकासशील देशों में कार्मिक संघ आन्दोलन को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

Insurance of Agricultural Equipment

5548. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that among the equipment used in agriculture such as diesel engines, pumping sets, tractors, only tractors can be insured by farmers ;

(b) if so, whether Government are formulating any scheme permitting the insurance of all implements used by farmers in agricultural operations ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :(a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Sugar-cane Price

5549. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have urged upon the Central Government to raise the price of sugar-cane ;

(b) if so, the present price of sugar-cane in that State and the increase for which request has been made ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). The Bihar Government had recommended a minimum sugar-cane price of Rs. 10·72 per quintal without being linked to recovery payable by sugar factories during 1968-69 season as against the basic minimum price of Rs. 7·37 per quintal linked to a recovery of 9·4% or less, fixed for 1967-68.

(c) Government have decided to continue the same basic minimum price of sugar-cane for 1968-69 season as was fixed for 1967-68 season.

खिलाड़ियों सम्बन्धी स्मृति डाक टिकट

5550. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में खिलाड़ियों की स्मृति में कुछ डाक टिकट जारी किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उन खिलाड़ियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ये डाक टिकट कब जारी किए जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में अध्यापकों के लिये कर्मचारी राजकीय बीमा योजना

5551. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अध्यापकों को कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इस समय ऐसे सभी बारह-मासी कारखानों पर लागू होता है जो बिजली का प्रयोग करते हैं और जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति काम करते हैं । लेकिन इसके उपबन्ध अन्य प्रतिष्ठानों पर भी लागू किये जा सकते हैं । कर्मचारी राज्य बीमा योजना की पुनरीक्षण समिति ने, जिसने इस योजना को अन्य वर्गों के श्रमिकों पर लागू करने के प्रश्न पर विचार किया और यह सिफारिश की है कि इस योजना को और श्रमिकों पर लागू करते समय ऐसे श्रमिक वर्गों के बजाय जिन्हें कुछ रक्षण प्राप्त है; ऐसे श्रमिकों के वर्गों को तरजीह दी जानी चाहिए जिन्हें कोई रक्षण प्राप्त नहीं है और यह कि आगामी कुछ वर्षों में सब कारखाना श्रमिकों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के अतिरिक्त, यह योजना सड़क परिवहन उपक्रमों की गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों और दुकान तथा वाणिज्यिक श्रमिकों पर लागू की जाय । इस समिति की सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है ।

Prevention of Spread of Desert

5552. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the results achieved so far in the efforts made in Rajasthan, Haryana and Gujarat to arrest the spread of desert ;

(b) the percentage of desert area found suitable for planting grass and trees, where plantation has been possible so far and the area proposed to be covered by 1970-71 ;

(c) the kind of grass planted suitable for consumption by cows, goats and sheep and whether some such kind of trees have also been planted, the wood of which could be made use of for building purposes and in industry ; and

(d) whether there are any possibilities of irrigation in future where such experiments have been conducted ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) In Rajasthan, the Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur brought 4,000 hectares, at 52 different places, under grasses. It undertook afforestation measures over about 1,500 hectares, of which 900 hectares were under sand dunes and 600 hectares under rocky and semi-rocky terrain. In has also completed 320 kilometres of roadside avenue plantation. In Haryana and Gujarat, no work has been done so far. The State Governments of Rajasthan, Haryana and Gujarat have been asked by the Desert Development Board to prepare suitable pilot projects for the development of desert in these States.

(b) The Institute has completed detailed survey of 11% of the total desert area of Rajasthan and has recommended certain species of grasses and trees suitable for growth in the area. Another 10% of the area is proposed to be surveyed by the end of 1970.

(c) Indigenous perennial grasses namely, **Lasiurus indicus, Cenchrus ciliaris, Cenchrus setigerus, Panicum antidotale, Dichantium annulatum** etc., were introduced in pastures for higher production of forage and utilisation by cattle, goats and sheep. The trees introduced so far, have not been tested for their use in building purposes or for industry. Studies on gum yields from **Acacia senegal** are in progress.

(d) There is no possibility of irrigation in the near future, in areas where the Institute is conducting experiments at present, except two areas in Bikaner which would be irrigated by the Rajasthan Canal.

Dung Gas Plant

5553. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reasons for which the farmers are reluctant to accept manure produced in liquid form in the Dung Gas Plant ; and

(b) whether any scheme is in progress to manufacture solid manure through this plant which can easily be collected and stored and which the farmers prefer to use than the liquid manure ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The chief reason for the reluctance of the farmers to use dung gas plants slurry in liquid form is the difficulty in handling, storage and its application in the field.

(b) Yes. A device has been worked out at I.A.R.I. by which the liquid slurry is passed over an absorbing column of dry leaves and saw-dust which retains the solid material while water trickles down. The solid material is then easily handled.

Alternatively, where feasible, the liquid slurry is spread over a compact soil-bed and dried in the sun which can be used when desired.

Delhi Milk Scheme

5554. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the steps being taken by Government to improve the breed of milch cattle, provide cheap fodder and financial assistance in places outside Delhi wherefrom milk is collected for the Delhi Milk Scheme?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): With a view to increasing production of milk rapidly for supply to Delhi Milk Scheme the establishment of 4 Intensive Cattle Development Projects in the States of Rajasthan (1) Uttar Pradesh (1), Haryana (2) has been sanctioned in June, 1967 by the Government of India at a cost of Rs. 25 lakhs during the current financial year and at a total estimated cost of 313.52 lakhs in 5 years' period. These are Centrally sponsored projects for which the Central Government is giving financial assistance on the basis of 75 per cent grant and 25% loan. The projects are located in the districts of Bikaner (Rajasthan), Meerut (U. P.), Karnal and Gurgaon (Haryana) wherefrom Delhi Milk Scheme collects or proposes to collect milk in future. These are comprehensive projects on the lines of a package programme for Agricultural production and attend to all aspects of cattle development, such as, controlled breeding, mass castration of scrub bulls, effective disease control, subsidised rearing of calves, feeds and fodder development, rural dairy extension and organisation of milk producers' Co-operatives etc. These projects cover about 4.87 lakhs of breedable cows/she buffaloes; marketable surplus milk resulting from the increased production arising out of the operation of these projects could be taken over by the Dairy Plant. Special emphasis on improvement of cattle for augmenting production of milk by taking up systematic breeding with improved Indian milch breeds and/or of suitable exotic breeds and on development of feeds and fodder resources is being laid in these projects. Breeding facilities are provided to the female bovine population of these projects through a network of artificial insemination centres, sub-centres set up and proposed to be set up under these projects. Superior breeding bulls are located at the Artificial Insemination. Centres to collect semen and inseminate animals. Semen of some of these high-quality bulls is also transported from the Artificial Insemination Centres to sub-centres to breed the village cows so as to bring about a progressive improvement in the genetic merit of the cattle population covered under these projects. So far 17 Artificial Insemination Centres and 50 A. I. Sub-centres have been set up in these projects.

The feeds and fodder development programme taken up in the projects **inter alia** will include production and distribution of seeds and planting materials of high-yielding varieties of fodder, development of grazing areas, setting up of feed mixing plants and distribution of standard balanced feeds for milch animals, installation of tubewells for irrigation purposes besides subsidised construction of silo pits and distribution of chaff cutters at subsidised rates. So far 200 fodder demonstrations have been organised and seeds to cover 2,000 acres of land under improved varieties of fodder supplied to the cultivators located in the area covered by the Meerut project. One Feed Mixing Plant has been purchased under the I.C.D. Project at

Bikaner which will start functioning soon. Intensive fodder development programmes are proposed to be taken up in all the projects during the year 1968-69 which include organization of about 600 fodder demonstration plots, construction of 95 Kunds, repairs and silting of 20 wells, renovation of 100 **nadis**, establishment of 5 Feed Mixing Plants and development of 1,000 acres of grassland in these projects. The scheme also provides loan facilities to Co-operatives/individual farmers for purchase of milch animals/cattle feeds. Loans are also advanced to milk co-operatives for the purchase of equipments required for collection, haulage, assemblage and testing of milk. In addition, loans are advanced to Co-operatives for setting up of balanced feed preparation units. During the current financial year a beginning has been made and amount of Rs. 2.70 lakhs is being distributed to the cattle breeders for purchase of milch animals.

जाली ब्रिटिश पोस्टल आर्डर

5555. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर में पकड़े गये जाली ब्रिटिश पोस्टल आर्डरों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस अन्तर्राष्ट्रीय जालसाजी में कितने तथा कितनी राशि के जाली पोस्टल आर्डर अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ग) इन जालसाजों की कार्य प्रणाली क्या है और जनता को क्या चेतावनी दी गई है ; और

(घ) इस जालसाजी को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अभी तक केवल एक ही व्यक्ति श्री मुहम्मद यूसफ शाह को गिरफ्तार किया गया है ।

(ख) 2600/- रुपये के मूल्य के 25 जाली ब्रिटिश पोस्टल आर्डर भुनाए गए हैं और छानबीन के दौरान 5 पौंड के मूल्यवर्ग के बिना भुनाये 400 जाली ब्रिटिश पोस्टल आर्डर कब्जे में लिए गए हैं ।

(ग) जाली ब्रिटिश पोस्टल आर्डर असली पोस्टल आर्डरों जैसे ही लगते हैं और उन पर जारी करने वाले कार्यालय की मोहर के जाली ठप्पे लगे हुए हैं । प्राप्तकर्ता का नाम हाथ से लिखा गया है और अदायगी डाकघर में पहचान पर प्राप्त की गई है । अभी पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है । जालसाजों द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली के संबंध में छानबीन पूरी होने और उसका ब्योरा उपलब्ध होने पर जनता को चेतावनी जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(घ) इस प्रकार के ब्रिटिश पोस्टल आर्डर भुनाए जाने के सम्बन्ध में सतर्कता बरतने के लिए सभी डाकघरों को समुचित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।

उड़ीसा में घंटापोरा पुलिस थाना क्षेत्र में डाक बाटने में देरी

5557. **श्री अ० दीपा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरकारों को फूलबनी की बजाय वालंगोर जिले के रास्ते भेजे जाने के कारण उड़ीसा में घण्टापोरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र, कंटामाल पंचायत समिति क्षेत्र तथा फूलबनी जिले के अस्पताल में डाक बांटने में विलम्ब होने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) पोस्टमास्टर जनरल, उड़ीसा सर्कल, कटक पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी अनुमान

5558. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों और केन्द्र के प्राधिकारियों के बीच खाद्यान्न की फसल के अनुमान के बारे में मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार अपना राष्ट्रीय खाद्य बजट किन आंकड़ों के आधार पर बना रही है और इस बजट का मुख्य ब्योरा क्या है ;

(ग) इस वर्ष खाद्यान्न का कितना रक्षित भंडार बनाने की योजना है ; और

(घ) क्या अधिक समय तक गेहूं के परिरक्षण और स्टोरेज के लिये अधिक खत्तियां प्राप्त करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्यान्नों के अखिल भारतीय उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दिए गए अनुमानों का एकत्रीकरण होता है। अतः अन्तिम अनुमानों में खाद्यान्नों की फसल के आकार के बारे में किसी मतभेद का प्रश्न ही नहीं है। तथापि, नीति बनाने और प्रशासनिक उपायों के लिए कभी-कभी अग्रिम अनुमान लगाने पड़ते हैं और कभी-कभी राज्य स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर लगाए गए अनुमानों में घट-बढ़ हो जाती है। उत्पादन, खपत के तरीके आदि के अग्रिम अनुमान समय पर तैयार करने के लिए एक तरीका जोकि सभी को स्वीकार्य हो, विकसित होने तक, राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करना स्थगित कर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास 30 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का एक बफर स्टाक तैयार करने का विचार है।

(घ) परम्परागत किस्म के गोदाम बनवाने के अलावा, खाद्यान्नों का ठीक प्रकार से भण्डारण करने के लिए धात्विक तथा कंक्रीट बिन बनाने के लिए कुछ प्रस्तावों पर सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

Unemployment

5559. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of uneducated and Matriculates, Intermediates, Graduates and Post-Graduates unemployed persons registered in various Employment Exchanges upto December, 1967 ; and

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes unemployed persons out of above in each category ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b). The information is given below :

Type of applicants.	Number on Live Register of Employment Exchanges as on 31.12.1967.		
	All Categories of applicants.	Scheduled Castes (included in column (2).	Scheduled Tribes (included in column (2).
1	2	3	4
1. Below Matric (including illiterates).	16,53,064	2,32,866	44,038
2. Matriculates	7,14,148	67,877*	11,395*
3. Higher Secondary passed (including Intermediates/Under-Graduates).	2,51,744		
4. Graduates	1,06,101	4,894	509
5. Post-Graduates	15,378	341	26
Total :	27,40,435	3,05,978	55,968

* Figures relate to Matriculates and above but below Graduates. Separate data in respect of Higher Secondary passed (including Intermediates/Under Graduates) Secheduled Caste and Scheduled Tribe applicants are not available.

Central Labour Organisation, Gorakhpur

5560. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Questions Nos. 337 and 4859 on the 14th November, 1967 and the 19th December, 1967 respectively regarding Central Labour Organisation, Gorakhpur and state :

(a) the number of other employees retrenched in proportion to the Junior most Scheduled Castes employees retrenched ;

(b) whether the percentage of non-Scheduled Castes employees was kept in view at the time of retrenchment ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) None after August, 1967.

(b) and (c). Do not arise.

Trade Unions in Uttar Pradesh

5561. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of Trade Unions functioning in Uttar Pradesh at present ;

(b) the total membership of each Trade Union in March, 1966 ?

(c) whether the accounts of these Unions have been prepared and audited ; and

(d) whether they submit their Annual Statement in time as laid down in Section 28 of the Trade Unions Act, 1926 ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (d). Information has been called for from the Uttar Pradesh Government and will be laid on the Table of the House, when received.

उर्वरकों की उपलब्धता

5562. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में अनुमानतः कुल कितनी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने की सम्भावना है ;

(ख) इस वर्ष इनकी प्रति एकड़ उपलब्धता कितनी है ; और

(ग) इस वर्ष कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-647/68]

Allotment of Quarters in Kingsway Camp (Delhi)

5563. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have set up an Allotment Committee to provide quarters/plots to the residents of Kingsway Camp :

(b) if so, the names of members of the Committee and the considerations for appointing them ;

(c) whether Government have received any protest note in this regard ; and

(d) if so, the nature thereof and the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) The Delhi Municipal Corporation have constructed 700 tenements from out of a loan of Rs. 190 lakhs given to the Corporation for re-development of the Kingsway Colony. These tenements are meant to be allotted to eligible displaced persons living in old barracks in Outram Lines and Hudson Lines. To help the Delhi Municipal Corporation to examine the eligibility of displaced persons for allotment of the said tenements, it was decided at a meeting with the representatives of the Delhi Municipal Corporation to constitute an Allotment Committee. The tenements are at the disposal of the Delhi Municipal Corporation and not of Allotment Committee. Further, the allotment which is in view is of only tenements and not of any plots.

(b) The Allotment Committee as finally constituted consists of the followings :—

1. Shri G. D. Bahri, Deputy Commissioner, Municipal Corporation, Delhi.
2. Shri Janki Nath, Under Secretary, Department of Rehabilitation.
3. Shri R. B. L. Mathur, Regional Settlement Commissioner, New Delhi (Convener)
4. Shri Hardayal Devgun, M. P.
5. Shri Uttam Prakash Bansal, Member, Metropolitan Council, Delhi.
6. Shri B. D. Wadhwa, Member, Metropolitan Council, Delhi.
7. Shri Jagdish Anand, Councillor, Municipal Corporation of Delhi.
8. Ch. Surat Singh, Councillor, Municipal Corporation of Delhi.
9. Dr Ladika Ram, Representative of displaced persons, Outram Lines.
10. Shri Amar Nath Sharma, President, Hudson Lines, Barracks Association.
11. Shri Puran Singh, Barrack No. 29, Outram Lines, Kingsway Camp.

In selecting the personnel of the Committee Government have kept in view their Public standing and ability to assist the Delhi Municipal Corporation in examining the eligibility of the displaced persons for allotment of the tenements.

(c) and (d). Representations have been received from individuals claiming to be the Office bearers of institutions alleged to represent the residents of the old barracks in Outram Lines and Hudson Lines, suggesting certain names for inclusion in the personnel of the Committee. Objections were also taken to the inclusion of one or two names. After mature consideration of the various aspects of the matter, the personnel of the Committee as mentioned above have been finally decided.

महाराष्ट्र राज्य में दूसरी टेलीफोन फैक्टरी

5564. **श्री देवराव पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोनों का निर्माण करने के लिये महाराष्ट्र राज्य में एक दूसरा कारखाना लगाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या इस उद्योग को नागपुर में अथवा महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में किसी स्थान में लगाने की कोई मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सुझाव दिया गया है कि लम्बी दूरी के प्रेषण उपस्कर के निर्माण का कारखाना महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाए। महाराष्ट्र सरकार के इस अनुरोध पर अन्य राज्य-सरकारों से प्राप्त उसी प्रकार के अनुरोधों के साथ विचार किया जा रहा है। इस कारखाने को विदर्भ क्षेत्र में स्थापित करने के विषय में कोई सुझाव नहीं प्राप्त हुआ है।

महाराष्ट्र में अधिक उपज वाली किस्मों के बीज बोने का कार्यक्रम

5565. **श्री देवराव पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी ग्रीष्म ऋतु में महाराष्ट्र राज्य में कितने एकड़ भूमि पर अधिक उपज वाली किस्मों के बीज बोने का विचार है ;

(ख) सरकार ने अपेक्षित बीज और उर्वरक उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सरकार ने किसानों को ऋण दिए जाने के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आगामी गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र में जितनी भूमि में अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती की जाएगी, उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

(i)	धान	15,000 एकड़
(ii)	संकर मक्का	5,000 एकड़

(ख) राज्य सरकार ने उपरोक्त कार्यक्रम के लिये स्थानीय तौर पर बीजों का प्रबन्ध किया है। जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है राज्य सरकार को केन्द्रीय उर्वरक भण्डार से नाईट्रोजनपूरक उर्वरकों की काफी मात्रा सप्लाई की जा चुकी है जिससे कि 1968 के गर्मी के मौसम में उपरोक्त क्षेत्र की मांग को पूरा किया जा सके। जहां तक कार्यक्रम के लिये पोटासपूरक व फास्फोरसपूरक उर्वरकों की मांग का सम्बन्ध है, इसकी पूर्ति का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) 1967-68 की अवधि में (29-2-68 तक) महाराष्ट्र सरकार के लिये 3.00 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है। यह रकम कृषकों के लिए उर्वरकों के क्रय व वितरण के उपयोग में लाई जायेगी।

कोयला मजूरी बोर्ड

5566. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला मजूरी बोर्ड ने जिन क्रियान्वित समितियों की सिफारिश की थी उन्हें अभी तक स्थापित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने क्रियान्वित समितियों की स्थापना की सिफारिश नहीं की ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्यान्नों का आयात

5567. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1968 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में विभिन्न देशों से कितनी मात्रा में खाद्यान्न मंगाये गये और किन-किन देशों से मंगाये गये और उन देशों को कितनी राशि दी गई ; और

(ख) इन आयातित खाद्यान्नों पर सरकार ने कितनी राज-सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1964, 1965, 1966 और 1967 के वर्षों में और जनवरी, 1968 के मास में आयातित खाद्यान्नों की मात्रा, साथ ही उनका चुकाया गया मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-648/68]

(ख) 1964-65, 1965-66 और 1966-67 के वित्तीय वर्षों में आयातित खाद्यान्नों की विक्री पर दी गई राज-सहायता की राशि तथा 1967-68 के लिये अनुमानित राशि दूसरे संलग्न विवरण में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-648/68]

Sugar Supply to Madhya Pradesh

5568. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the cuts made in the sugar quota of States after partial decontrol were in the same proportion as in the case of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Yes, Sir. The sugar quotas of the States fixed at the time of introduction of the partial decontrol on 23rd November, '67 were 63.45% of the quotas prevailing before it.

Distribution of Sugar to States

5569. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one lakh tonnes of procured sugar is being distributed by the Central Government each month for consumers;

(b) whether it is also a fact that only 5,832 tonnes of sugar is being supplied to Madhya Pradesh which works out to 180 grams per capita while it is 228 grams per capita in respect of other States; and

(c) if so, the details therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir. One lakh tonnes of levy sugar is being allotted to States every month for distribution mainly to domestic consumers.

(b) The monthly quota of levy sugar for Madhya Pradesh is 5,832 tonnes. The quotas of various States were determined in uniform proportion to their quotas prior to introduction of the partial decontrol of sugar. The per capita consumption of Madhya Pradesh works out to 185 grams which is higher than some States and lower than some other States.

(c) A statement showing Statewise the annual per capita availability on the basis of the existing monthly quotas of sugar is attached. **[Placed in Library. See No. LT-649/68]**

खाद्यान्नों के लिये राज-सहायता बन्द किये जाने पर राज्यों को ऋण

5570. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के लिये राज-सहायता बन्द किये जाने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये ऋण दिया है ;

(ख) किन-किन राज्यों को यह ऋण दिया गया है ; और

(ग) गत 15 वर्षों में इस काम के लिये प्रत्येक राज्य को कितना ऋण दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Cultivation of Land in Bulandshahr District

5571. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the area of cultivable land lying idle along the Yamuna in Bulandshahr District;

(b) whether it is a fact that the residents of nearby areas had requested Government for permission to cultivate this land ;

(c) whether it is also a fact that a big portion of this land has been given to persons living elsewhere and not to the nearby residents ;

(d) whether it is further a fact that the allottees of this land have acquired land in excess of the land actually allotted to them ; and

(e) whether Government propose to look into the matter and the reasons for not allotting land to nearby residents ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (e). In Uttar Pradesh, all vacant land is vested in Gaon Sabhas, the Managing Committee of which allots land to the landless persons under the provisions of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and the Rules made thereunder. The information asked for is, therefore. not immediately available with the State Government. Information on the specific points raised herein is, however, being collected from the local authorities and will be placed on the Table of the Sabha as soon as received.

Tubewells in Bulandshahr (U. P.)

5572. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the tubewells, which had been installed earlier in District Bulandshahr are lying out of order ;

(b) if so, their number ;

(c) whether it is a fact that no action has been taken to get them repaired so far ; and

(d) if so, the time by which it would be possible to get them repaired ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d). The information is being collected from the Govt. of U. P. and will be laid on the Table of the Sabha when received.

धार्मिक और विन्यास संस्थाएं

5573. **श्री शिवप्पा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में धार्मिक और विन्यास संस्थाओं के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके मुख्यालयों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या राज्यवार कोई क्षेत्रीय कार्यालय है ;

(ग) क्या मैसूर राज्य के लिये कोई क्षेत्रीय कार्यालय है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (घ). हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों या मुख्यालयों की स्थापना के लिये किसी केन्द्रीय विधि में कोई उपबन्ध नहीं है ।

वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) के अधीन, राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भतः एक वक्फ आयुक्त और उतने अपर या सहायक वक्फ आयुक्त जितने आवश्यक हों, नियुक्त करने का उपबन्ध है । राज्य में एक वक्फ बोर्ड स्थापित करने और राज्य बोर्डों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद गठित करने के लिये भी उपबन्ध है ।

जहां तक खैराती विन्यासों का सम्बन्ध है, खैराती विन्यास अधिनियम 1890 (1890 का 6), केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के लिए खैराती विन्यासों का एक कोषपाल नियुक्त करने और हर राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिये खैराती विन्यासों का एक कोषपाल नियुक्त करने के लिये उपबन्ध करता है ।

Supply of Telephone Instruments

5574. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have approached the Central Government during the last two years for the supply of a large number of telephone instruments for the development of telephone and telegraph system in that State;

(b) whether it is a fact that the said demand has not been met in full;

(c) the types of instruments and number thereof asked for by the Madhya Pradesh Government during the last two years; and

(d) the number of instruments supplied to them during the above period?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes. The Madhya Pradesh Government have approached the Postmaster-General, Bhopal, through the Telephone Advisory Committee for various facilities, **viz.**, opening of Public Call Offices, Combined Offices, Exchanges and providing telephone connections.

(b) The demands have been met to the extent possible. The demands are further being kept in view while planning the expansion of telecommunication facilities in the State.

(c) and (d). The particulars of facilities asked for and supplied during the two years are as follows:—

Sr. No.	Type of Demand	Demand Recd.	Demand executed
1.	Long Distance Public Offices	14	2
2.	Combined Posts and Telegraph Offices	5	2
3.	Telephone Exchanges	3	2
4.	Telephone connections	All demands met in full.	
5.	PABX/PBXs.	2	1

पूंजी विनियोजन से पहले वन-आधारित उद्योगों का सर्वेक्षण

5575. **श्री अहमद आगा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्तराष्ट्र संघ की विशेष निधि की सहायता से वन-आधारित उद्योगों सम्बन्धी आयोजना करने के लिये पूंजी विनियोजन से पहले किया जा रहा सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है और देश के किन-किन क्षेत्रों में इन उद्योगों की स्थापना की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय डाक विभाग के भूतपूर्व हवलदार क्लर्क

5576. **श्री मयाबन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय डाक विभाग के भूतपूर्व योद्धा क्लर्कों अर्थात् भूतपूर्व हवलदार क्लर्कों को, जिन्हें युद्ध-रिजर्व पदों अथवा अनारक्षित पदों पर नियुक्त किया गया है, सैनिक डाक सेवा में मिलने वाले वेतन के बराबर वेतन नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) **और** (ख). भूतपूर्व योद्धा क्लर्कों का असैनिक पदों पर प्रारम्भिक वेतन निश्चित करने में भारतीय सैन्य डाक सेवा में उनके द्वारा की गई सेवा के लिये तरजीह दी गई थी। "युद्धकालीन सेवा" वाले उम्मीद-वारों और समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत असैनिक पदों पर नियुक्त किये गये और छटनी किए गए अस्थायी कर्मचारियों का वेतन नियत करने में दिए जाने वाले लाभ भी इन कर्मचारियों को दिये गये थे।

सेना लेखा विभाग के भूतपूर्व क्लर्क

5577. **श्री मयाबन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना लेखा विभाग के जो भूतपूर्व बी० तथा सी० ग्रेड क्लर्क डाक विभाग में नियुक्त हुए हैं को— चाहे उन्हें युद्ध सेवा के लिए आरक्षित पदों पर रखा गया था अथवा अनारक्षित पदों पर— उन्हें दोहरा लाभ दिया गया है अर्थात् (1) सेना लेखा विभाग में उनका जो अन्तिम वेतन था उसका संरक्षण किया गया था और (2) उन्हें असैनिक पद प्राप्त करने की तारीख से वेतन की बकाया राशि प्राप्त करने का लाभ दिया गया है हालांकि भारतीय

डाक विभाग में नौकरी प्राप्त करते समय उन्हें भारतीय सेना डाक सेवा के भूतपूर्व हवलदार क्लर्क होने के नाते डाक सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त नहीं था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) (i) उन व्यक्तियों के मामले में, जिनकी पुनर्नियुक्ति उन सिविल पदों पर की गई हो जिनका वेतन-मान उन पदों के उस वेतन-मान के समरूप था जो वे सैनिक लेखा विभाग में काम करने के वक्त ले रहे थे, वेतन का नियमन मूल नियम 22 (क) (ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया यानी पुनर्नियुक्ति पर उनको वह वेतन दिया गया जो कि वे उस विभाग में समरूप वेतनमान में आखिर में ले रहे थे और वह अवधि जिसके दौरान वे वह वेतन ले रहे थे, उसको सिविल पदों में वेतन वृद्धि की ओर गिना गया ।

(ii) उन व्यक्तियों के मामले में जो सैनिक लेखा विभाग में प्रवर श्रेणी के क्लर्कों के पदों पर 80/220 रुपये के निर्धारित वेतन-मान पर काम करते थे और जो बाद में जिनकी पुनर्नियुक्ति सिविल कार्यालयों में अवर श्रेणी/तीसरे दर्जे के क्लर्क पदों पर कर दी गई, उनके वेतन का निर्धारण नियम (i) के अन्तर्गत अवर श्रेणी/तीसरे दर्जे में कर दिया गया लेकिन उसका निर्धारण उनके उस वेतन के सन्दर्भ में किया गया जो उन्होंने सैनिक लेखा विभाग में लिया होता बशर्ते कि वह अवर श्रेणी/तीसरे दर्जे का 'निर्धारित' वेतनमान उस विभाग में प्रवर श्रेणी के क्लर्कों के लिये निर्धारित होता ।

(iii) उनको उपर्युक्त वेतन निर्धारण पर वेतन का बकाया उस दिनांक से दिया गया जिस दिनांक को सिविल कार्यालयों में उनकी नियुक्ति की गई ।

(ख) उनके मूल वेतन का निर्धारण और वेतन के बकाया की अदायगी का नियमन सरकार के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत किया जाता है ।

Central Co-operative Bank, Hissar

5578. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any case of misappropriation of huge amount of funds in the Central Co-operative Bank, Hissar has come to the notice of Government;

(b) whether Government propose to make a thorough inquiry into the matter; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) No, Sir..

(b) and (c). Do not arise.

संसद् सदस्यों को बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा

5579. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री नीति राज सिंह :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्रीमती अगम दास गुरू मिनिमाता :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **संसद्-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य के संसद् सदस्यों के लिये राज्य में चलने वाली मोटर बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधाओं की व्यवस्था की है, जिससे कि वे अपने संसदीय कार्यों को निभा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उसका ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में टेलीफोन की मांग में वृद्धि

5580. **श्री बेधर बेहेरा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में टेलीफोनों की मांग बहुत बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ती हुई मांग को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में इस समय कितने प्रार्थियों के नाम हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) उड़ीसा राज्य में टेलीफोन की इस वर्ष की मांग पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

(ख) 1000 लाइनों का दूसरा स्वचल टेलीफोन केन्द्र राउरकेला टाउनशिप में हाल में ही खोला गया है। साथ में इस वर्ष बरहामपुर, सम्बलपुर तथा कटक स्थित टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 1970 के आरम्भ में ही भुवनेश्वर और कटक स्थित मौजूदा करचल टेलीफोन केन्द्रों के स्थान पर विशाल स्वचल टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना करने की योजना भी है।

(ग) लगभग 2,800।

दिल्ली और अन्य नगरों के बीच सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था सम्बन्धी योजनाएं

5581. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली और अन्य नगरों के बीच चालू की गई सीधा टेलीफोन

करने की व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं का ब्योरा क्या है और ये योजनाएं किन-किन तारीखों से आरम्भ की गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर मामलों में लाइनें दिन में खराब बताई जाती हैं और सीधे टेलीफोन करने के लिये बहुत कठिनाई से लाइन मिलती है ;

(ग) टेलीफोन विगाग के रिकार्ड के अनुसार गत छै महीनों में विभिन्न नगरों के लिये कितने घंटे लाइनें खराब हुई बताई गईं ; और

(घ) क्या देखभाल और मरम्मत के लिये कोई आवश्यक व्यवस्था की गई है और सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली के कार्यकरण को किस प्रकार सुधारने का सरकार का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली दिल्ली से निम्नलिखित स्थानों के लिये उनमें से प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों को चालू की गई--

मेरठ	5-2-1966
जालंधर	15-3-1966
शिमला	19-11-1966
अहमदाबाद	7-4-1967
जम्मू	16-9-1967
श्रीनगर	18-11-1967

(ख) जी नहीं । यह ठीक नहीं है कि ये लाइनें दिन में खराब बताई जाती हों । यह पाया गया है कि उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग चालू करने से परियात में पहले की अपेक्षा अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप व्यस्त समय में कालों की संख्या बढ़ जाती है ।

(ग) गत छः माह के दौरान निम्नलिखित घंटों के लिये लाइनें खराब बताई गईं :

दिल्ली मेरठ (सहधुरीय)-27 घंटे 16 मिनट

जालंधर--27 घंटे 16 मिनट

शिमला (सूक्ष्म तरंग)--91 घंटे 23 मिनट

अहमदाबाद--154 घंटे 8 मिनट

जम्मू (सहधुरीय और सूक्ष्मतरंग)--41 घंटे 24 मिनट

श्रीनगर--173 घंटे 44 मिनट

(घ) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग परिपथों की देख-भाल और मरम्मत के लिये व्यवस्था

मौजूद है। उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग योजना में सुधार के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं।

(i) विभाग के पास उपलब्ध सीमित साधनों से यथासम्भव परियात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परिपथों की संख्या में वद्धि।

(ii) दिन भर में विभिन्न समयों पर नमूने के तौर पर सेवा के परीक्षण किये जाते हैं और निरन्तर ध्यान रखा जाता है।

डाक तथा तार प्रशुल्क जांच समिति

5582. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार प्रशुल्क जांच समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश किया है ;

(ख) क्या इस समिति ने वर्तमान डाक प्रशुल्कों में परिवर्तन करने की सिफारिश की है ;

(ग) क्या बचत उपायों का भी सुझाव दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने डाक शुल्कदरों के निर्धारण के लिये सिद्धान्त सुझाये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) 1968-69 का बजट प्रस्ताव तैयार करने के वक्त समिति की डाक शुल्क-दरों से सम्बन्धित सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। उनकी व्यय कटौती से सम्बन्धित सिफारिशों की जांच की जा रही है।

दिल्ली में सुपर बाजार

5583. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सुपर बाजार घाटे में चल रहा है जबकि देश के अन्य नगरों में स्थित सुपर बाजार लाभ दिखा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बाजारों के कार्य-संचालन की जांच कराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 30 जून, 1967 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में दिल्ली के सुपर बाजारों के अलावा विभिन्न शहरों में 11 अन्य सुपर बाजार भी घाटे में चल रहे थे।

(ख) इस प्रकार की जांच कराने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। तथापि, सुपर बाजार, दिल्ली के प्रबन्धक, कर्मचारियों का नवीन व्यवस्थाकरण, आदि जैसे विभिन्न कदम उठा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में तम्बाकू का विकास

5584. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वर्जिनिया तम्बाकू के विकास के लिये केन्द्र द्वारा शुरू की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस उद्देश्य हेतु प्रतिवर्ष कितना धन नियत किया जाता है ; और

(ख) यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी, और इस उद्देश्य हेतु आंध्र प्रदेश में किन स्थानों का चयन किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश में, वरजीनिया धूम्र शोधित तम्बाकू के लिये केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी योजना के अन्तर्गत नैल्लोर, करनूल, पश्चिमी गोदावरी तथा पूर्वी गोदावरी के जिले आ जाते हैं, इस योजना को मंजूरी दी गई थी तथा यह 1966-67 में कार्यान्वित हुई थी। योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(1) वरजीनिया धूम्र शोधित तम्बाकू की कृषि को उन नये क्षेत्रों में बढ़ाना जहां अनुसंधान के परिणामस्वरूप इस बात का पता लगा है कि वहां इसकी कृषि करना अधिक उपयुक्त है।

(2) पुराने क्षेत्रों में इस फसल को उगाकर कृषि का विकास करना और कृषि के परिष्कृत नये तरीकों, खाद तथा कीटनाशी का प्रयोग करके प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करना।

(3) विदेशी बाजारों में ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिये उत्पादित तम्बाकू की किस्म में सुधार करना।

इस योजना के अन्तर्गत उत्पादकों को 6 से 10 एकड़ तक में पैदा किये जाने वाले तम्बाकू को सुखाने के हेतु कोष्ठागारों के निर्माण के लिये 4000 रुपये प्रति कोष्ठागार की दर से ऋण तथा 1000 रुपये प्रति कोष्ठागार की दर से उपदान दिया जाता है। अनुपूरक सिंचाई के लिये कुएं खोदने के लिये उत्पादकों को केन्द्रीय सरकार की ओर से 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता

है जो अधिकतम 1250 रुपये प्रति कुआं होता है तथा राज्य सरकार की ओर से भूमि-बंधक बैंकों के द्वारा 3750 रुपये प्रति कुएं की दर से ऋण भी दिया जाता है।

वरजीनिया धूम्र शोधित तम्बाकू के विकास (अधिक उत्पादन) के लिये जो केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी योजनाएं हैं, उनके लिये राज्य सरकार को 1966-67 तथा 1967-68 के लिये निम्नलिखित राशि प्रदान की गयी है :

वर्ष	प्रदत्त राशि		
	अनुदान	ऋण	योग
1966-67	रु० 77,001	रु० 50,000	रु० 1,27,001
1967-68	रु० 8,43,000	रु० 15,00,000	रु० 23,43,000

तेवरा का निर्यात

5585. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानवीय उपभोग के लिये तेवरा (खिसारी या लाखोटी) के निर्यात पर प्रतिबन्ध किन कारणों से है ;

(ख) क्या इस प्रतिबन्ध के कारण बिहार तथा मध्य प्रदेश में इसका बड़ा स्टाक जमा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो काश्तकारों को इस कठिनाई से बचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बिहार राज्य के अत्यधिक सूखे से प्रभावित होने के कारण नवम्बर, 1966 में उस राज्य से खसारी दाल सहित दालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। अन्य किसी राज्य में खसारी समेत दालों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। क्योंकि, इस दाल के उपभोग से न्यूरोलाजीकल रोग जिसे लैथीरिजम कहते हैं, को बढ़ावा मिलता है, इस आधार पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन अधिकांश राज्य सरकारों ने खसारी दाल के रखने, बेचने तथा इसका उत्पादन करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। बिहार और मध्य प्रदेश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) और (ग). बिहार और मध्य प्रदेश में बहुत अधिक स्टाक एकत्रित हो जाने के

बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि बिहार से दालों के निर्यात करने की अनुमति देने के प्रश्न को बिहार सरकार से अलग से उठाया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में निर्यात करने की इजाजत है। यद्यपि बहुत से राज्यों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन इस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है लेकिन इस दाल को मवेशियों के चारे के रूप में प्रयोग करने पर कोई मनाही नहीं है।

बस्तर क्षेत्र का विकास

5586. **श्रीमती अगम दास गुरू मिनीमाता :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व वित्तमंत्री, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने आदिवासियों की हालत सुधारने और पूर्वी पाकिस्तान के नये प्रव्रजकों और विदेशों से भारत लौटने वाले अन्य भारतीयों को बसाने के लिये बस्तर क्षेत्र में संसाधनों के समन्वित विकास के लिये प्रस्तावों का सूत्रपात किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या बस्तर जिले में संसाधनों के समन्वित विकास के लिये एक प्राधिकार की स्थापना के लिये किसी प्राधिकारी द्वारा कोई सिफारिश की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). भूतपूर्व वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) तथा भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री श्री महाबीर त्यागी दण्डाकारण्य गये थे, उन्हें प्राप्त सामग्री के आधार पर यह पता चला कि यहां उपलब्ध खनिज और वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की कुछ सम्भावनाएं हैं। फिर भी विशिष्ट योजना को बनाने से पहले वहां आगे जांच-पड़ताल और सर्वेक्षण करना पड़ा।

जो दो विशेषज्ञ दल इस क्षेत्र का तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन कर रहे थे और वहां की सिंचाई और विद्युत सम्बन्धी क्षमताओं का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने इस बीच अपने सुझाव दे दिये हैं, जिन पर सम्बन्धित अधिकारी विभिन्न सोपानों पर अध्ययन और विचार कर रहे हैं।

(घ) और (ङ). दण्डाकारण्य विकास प्राधिकरण जो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को फिर से बसाने और उस क्षेत्र के आदिमजाति के लोगों के हितों के उत्थान को दृष्टि में

रखते हुए सम्पूर्ण विकास के इन दो उद्देश्यों को लेकर बनाई गई थी, उस पर दण्डाकारण्य विकास परियोजना में अंग के रूप में बस्तर जिले के स्वीकृत विकास कार्यक्रम की देखरेख का कार्य सुपुर्द था।

किसी भी अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिये दूसरा एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश नहीं की गई थी।

राजस्थान में कृषि-औद्योगिक निगम

5587. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार का विचार एक कृषि-औद्योगिक निगम स्थापित करने का है तथा उसने इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस प्रकार की सहायता मांगी है ; और

(ग) क्या उस मांग पर विचार किया गया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). कृषि-औद्योगिक निगम की स्थापना पर राजस्थान सरकार विचार कर रही है। राज्य सरकार को यह संकेत कर दिया गया है कि यदि आर्टीकल्ज आफ एसोसिएशन अनुकूल हुए तो भारत सरकार इकुटी कैंपीटल पर 50 प्रतिशत तक अंशदान देने के लिए तैयार होगी। निगम की स्थापना नहीं हुई है और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के लिए राज्य सरकार ने कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं की है।

कम अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों का आयात

5588. **श्री वेदब्रत बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कम अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों का आयात करने के बारे में सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा ;

(ग) इनका किस देश से आयात किया जायगा ; और

(घ) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 4,000 ट्रैक्टर ।

(ग) और (घ). उपरोक्त 4,000 ट्रैक्टरों में से भारत सरकार ने लगभग 1.10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा से चैकोस्लावेकिया से 1,000 जैटर ट्रैक्टरों को खरीदने का निर्णय किया है । बाकी 3,000 ट्रैक्टरों के आयात का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । इन ट्रैक्टरों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस देश या किन देशों से ये ट्रैक्टर आयात किये जायेंगे ।

बम्बई में अहमद मिल्स समूह

5589. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कस्टोडियन ने 'अहमद मिल्स समूह, बम्बई' की निष्क्रांत सम्पत्ति का पट्टा समाप्त करने के बाद अम्बरनाथ वूलन सिल्क मिल्स लिमिटेड, बम्बई के श्री राजनाथ ने निष्क्रांत सम्पत्ति को खरीदने के लिये सितम्बर, 1954 में 60 लाख रुपये तथा अक्तूबर, 1955 में 70 लाख रुपये की लिखित पेशकश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सम्पत्ति अन्ततः किसको तथा कितने मूल्य में बेची गई थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). विभिन्न शर्तों के अधीन श्री राजनाथ ने अम्बर नाथ मिल्स कार्पोरेशन, बम्बई की ओर से सम्पत्ति खरीदने के लिये 1954 में 60 लाख रुपये, जुलाई, 1955 में 55,55,555 रुपये और अक्तूबर, 1955 में 75 लाख रुपये की लिखित पेशकश की थी । श्री राजनाथ ने अपनी ओर से अगस्त, 1956 में एक और पेशकश की और जिसके उत्तर में अन्ततः सम्पत्ति 68.11 लाख रुपये में उसे बेच दी गई ।

दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी समितियां

5590. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो 1966 के आरम्भ में कितनी सहकारी समितियां थीं तथा उनमें से इस बीच कितनी समितियों का दिवाला निकल गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) और (ख). 1-7-66 से 29-2-68 तक की अवधि में 28 उपभोक्ता सहकारी समितियां परिसमापन कार्यवाही के अन्तर्गत लाई गई थीं। तथापि, उपभोक्ता सहकारी समितियों की कुल संख्या में कमी नहीं हुई, क्योंकि उसी अवधि में 30 नई उपभोक्ता सहकारी समितियां गठित की गई थीं। इस प्रकार, उपभोक्ता सहकारी समितियों की कुल संख्या, जो 1-7-1966 को 376 थी, 29-2-1968 को बढ़कर 378 हो गई।

(ग) सम्बन्धित सहकारी समितियों के विरुद्ध परिसमापन कार्यवाही मुख्यतः निम्न कारणों से आरम्भ की गई थी :

(1) समितियों ने काम करना बन्द कर दिया था और उनके कार्यकरण के प्रति सदस्यों में उदासीनता थी ;

(2) समितियों को लगातार घाटे हुए जिनमें सुधार की गुंजायश नहीं थी।

(3) सहकारी समितियों की प्रबन्धक समितियों के सदस्यों की अपनी समिति के कार्यों की उपेक्षा ; और

(4) लेखों का असंतोषजनक ढंग से रखा जाना, निधियों का दुरुपयोग किया जाना इत्यादि।

मनीआर्डर फार्मों की तमिल में छपाई

5591. **श्री सोमसुन्दरम् : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीआर्डर फार्म मद्रास क्षेत्र में अंग्रेजी तथा तमिल में और दिल्ली क्षेत्र में अंग्रेजी तथा हिन्दी में छापे जा रहे है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मनीआर्डर फार्मों में तमिल में छपाई तब से बन्द कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी हां।

(ख) जी हां। क्षेत्रीय भाषाओं में फार्मों की छपाई का काम रोक दिया गया है।

(ग) चूंकि मनीआर्डर फार्म एक भाषा-क्षेत्र से दूसरे भाषा-क्षेत्र को भेजे जाते हैं, अतः यह तथा इसी तरह के अन्य फार्म हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी छापने का निर्णय किया गया था। तथापि अब यह निश्चय किया गया है कि यह फार्म त्रिभाषी अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में छापा जाए।

आन्ध्र प्रदेश में अकाल

5592. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसका पता है कि आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिला राज्य का सर्वाधिक अकालग्रस्त तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्र है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कोई ऐसी योजना प्रस्तुत की है, जिसकी क्रियान्विति से इस जिले में अकाल पड़ने की कभी सम्भावना न रहने पाये ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है और इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में इस राज्य को क्या तथा कितनी सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1770.51 लाख रुपये की लागत पर अनन्तापुर जिला के विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की है जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :

विकास का शीर्षक	**राशि लाख रुपयों में**
(1) कृषि	28.08
(2) मध्यम तथा लघु सिंचाई	614.99
(3) भूमि संरक्षण	540.00
(4) वन रोपण	10.00
(5) पशु-पालन	5.63
(6) सेरीकल्चर	46.50
(7) सड़क	131.00
(8) उद्योग	51.41
(9) पीने के पानी की सप्लाई	31.90
(10) ग्रामीण विद्युतीकरण	311.00
	1770.51

उपरोक्त योजना की कार्यान्विति के लिये राज्य सरकार ने 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मांगी है ।

(घ) बुरी तरह सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के विकास के प्रश्न पर भारत सरकार कुछ समय से विचार करती रही है। पर्याप्त निधि उपलब्ध करने में मुख्य रूप से कठिनाई आई है। अब यह निर्णय किया गया है कि शुरुआत की जाये और ऐसे क्षेत्र में नमूना परियोजनायें शुरू की जायें जो एक औसत जिला से बड़ा न हो। इस योजना के अन्तर्गत भू जल तथा खनिज पदार्थ संसाधनों, लघु सिंचाई योजनाओं, भूमि तथा जल संरक्षण कार्यों, चरागाहों के वनरोपण तथा विकास के सम्बन्ध में जांच कार्य शुरू किये जायेंगे। विशेषज्ञों का एक केन्द्रीय दल जो सम्बन्धित क्षेत्रों में जायेंगे और प्रदेश क्षेत्र की आवश्यकताओं का अनुमान लगायेंगे, के मार्गदर्शन के अनुसार इन मदों की ठोस योजनायें राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जायेगी। एक दल हाल ही में अनन्तापुर जिला गया और उसने राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से इस समस्या के बारे में बात-चीत की। अनन्तापुर जिला के विकास दल की सिफारिशों के अनुसार ठोस योजनायें बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जायेगी। ये योजनायें आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही प्रस्तुत किए गए उन प्रस्तावों के अधिक्रम में होंगी जो उपरोक्त (ग) में दिए गए हैं।

बिजली कर्मचारियों की एसोसिएशनों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

5593. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली कर्मचारी एसोसिएशनों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने भारत में बिजली कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड ने क्या सिफारिशें की हैं तथा क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) बिजली उपक्रम सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अंतरिम सहायता के बारे में सिफारिशें की हैं।

(ख) ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इनकी घोषणा सरकारी निर्णयों के साथ की जायेगी।

संगणकों का निर्माण

5594. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'इंटरनेशनल ब्यूरो आफ मशींज' ने '1401' संगणकों का निर्माण किया है ;

(ख) क्या इस बात की संभावना है कि इससे हजारों व्यक्ति बेकार हो जायेंगे ;

(ग) यदि हां, तो क्या बेकार होने वाले व्यक्तियों को दूसरा काम दिलाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) मेसर्ज आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, नई दिल्ली, को '1401' सीरीज के 68 संगणक भारत में सन् 1968 से 1970 तक की तीन वर्ष की अवधि में निर्मित करने के लिये अक्तूबर 1967 में एक लाइसेंस दिया गया था।

(ख) से (घ). भारत सरकार की नीति इस सम्बन्ध में यह रही है कि इलैक्ट्रोनिक मशीनों को चयनात्मक आधार पर और समाज कल्याण के अनुरूप लगाया जाना चाहिए तथा इनके परिणामस्वरूप कोई छंटनी नहीं होनी चाहिए व भारतीय श्रम सम्मेलन के पंद्रहवें अधिवेशन में निर्णीत अभिनवीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया इस प्रकार के सभी मामलों में बर्ती जानी चाहिए।

दूध के स्थान पर अन्य तरल पदार्थों का प्रयोग

5595. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि मैसूर राज्य में शिमोगा में नीम के पेड़ से दूध जैसा एक तरल पदार्थ निकाला जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस तरल पदार्थ को दूध आदि के स्थान पर प्रयोग में लाने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह देखने के लिए कि यह तरल पदार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी है या नहीं कोई समिति बनाई गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के नीम के पेड़ के बीजों को देश के अन्य भागों में उगाने के उद्देश्य से उन्हें जमा करने का है ; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). इस विषय में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैसूर सरकार से जानकारी मांगी जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मिट्टी परीक्षण की चलती फिरती प्रयोगशाला

5596. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी परीक्षण की एक चलती फिरती प्रयोगशाला आरम्भ करने की योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सन् 1968-69 के दौरान 34 चलती फिरती भूमि परीक्षण प्रयोगशालायें भारत सरकार द्वारा निर्मित की जायेंगी और विभिन्न राज्यों को निर्धारित की जायेंगी। प्रत्येक प्रयोगशाला की लागत अनुमानतः 1.25 लाख रुपये होगी। ये चलती-फिरती प्रयोगशालायें स्थायी भूमि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर कार्य करेंगी। ऐसा प्रत्येक यूनिट एक दिन में 100 नमूनों का और वर्ष में 25 सप्ताहों में 10,000 नमूनों का विश्लेषण करेगा। इससे किसानों को उसी समय भूमि विश्लेषण परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, जब तक यह स्थायी प्रयोगशाला में रहेगा तब तक वह लगभग 6,000 नमूनों का विश्लेषण कर लेगा। इस प्रकार एक वर्ष में लगभग 16,000 नमूनों की कुल क्षमता है।

भूमि परीक्षण की अनेक सुविधायें देने के अतिरिक्त ये चलती-फिरती प्रयोगशालायें इस सेवा को किसानों तक पहुंचा देंगी और इससे किसान तथा विस्तार स्टाफ एक दूसरे के निकट हो सकेंगे। साथ ही ये प्रयोगशालायें फिल्म प्रोजैक्टर, पोस्टर तथा चार्ट जैसी प्रोत्साहनवर्द्धक सामग्री ले जाएंगे ताकि किसान उर्वरकों के प्रयोग को समझ सकें और उनके गुण निरूपण कर सकें। ये प्रयोगशालायें राज्यों को सप्लाई की जायेंगी बशर्ते वे चलते-फिरते यूनिटों के कुशल कार्य के लिए अतिरिक्त स्टाफ, चालू खर्च आदि जैसी समस्त पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करें।

जनरल पोस्ट आफिसों का दर्जा बढ़ाना

5597. **श्री मनुभाई पटेल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद जी० पी० ओ०, बड़ा बाजार कलकत्ता जी० पी० ओ० हैड आफिस, बंगलौर जी० पी० ओ० कानपुर हैड आफिस तथा लखनऊ जी० पी० ओ० का दर्जा बढ़ाने का है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इन जी० पी० ओ० का दर्जा बढ़ाने के परिणामस्वरूप कितने नये पद बनाये जायेंगे ; और

(ग) क्या अहमदाबाद जी० पी० ओ० में प्रथम श्रेणी का पोस्टमास्टर है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). अहमदाबाद जी० पी० ओ०, बड़ा बाजार हैड आफिस, बंगलौर जी० पी० ओ० कानपुर हैड आफिस और लखनऊ जी० पी० ओ० के पोस्टमास्टरों को राजपत्रित श्रेणी II से श्रेणी I में पदोन्नत करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Delhi Milk Scheme

5598. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a deputation of the representatives of milk producers met the Union Deputy Minister of Food and Agriculture in the third week of February, 1968;

(b) whether it is also a fact that the deputation handed over to him a list of charges of corruption and irregularities prevailing in the Delhi Milk Scheme; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) A deputation of the representatives of milk producers met Minister of State for Food and Agriculture (Shri Annasahib Shinde), not the Dy. Minister Food and Agriculture, on 14-2-1968.

(b) No, Sir. The deputation submitted a representation against rise in procurement prices of milk and about quality of milk.

(c) The Association has been advised to discuss the problem with the Chairman, Delhi Milk Scheme, so that healthy trade practices are evolved in milk-shed areas of Delhi city to the benefit of all concerned.

तम्बाकू का उत्पादन

5599. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तम्बाकू की कितनी पैदावार हुई है ;

(ख) नाट तम्बाकू की कितनी मात्रा अभी तक बिक्री के लिये पड़ी है ;

(ग) पिछले वर्ष की कीमतों की तुलना में एफ० सी० बी० तम्बाकू की वर्तमान बाजार कीमतें क्या हैं ; और

(घ) ब्रिटेन, जापान और पश्चिम जर्मनी को तम्बाकू का कितना निर्यात किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस वर्ष के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । सन् 1966-67 के दौरान तम्बाकू का उत्पादन 350 मिलियन कि० ग्रा० है ।

(ख) 1.3 मिलियन कि० ग्रा० नाटू तम्बाकू अभी तक आन्ध्र प्रदेश में उत्पादकों के पास बिना बिका पड़ा है ।

(ग) गुन्टूर बाजार में एफ० सी० वी० तम्बाकू की वर्तमान कीमतें विभिन्न 'कुटचा' ग्रेडों के लिए 150 रुपये से 460 रुपये प्रति क्विटल है । ये कीमतें पिछले वर्ष की कीमतों की तुलना में उच्चतम ग्रेड के लिये लगभग 40 रुपये प्रति क्विन्टल कम मध्यम ग्रेड के लिए 15 रुपये प्रति क्विन्टल कम और निम्न ग्रेडों के लिए 25 रुपये प्रति क्विन्टल कम कीमतें हैं ।

(घ) सन् 1968 के दौरान इन देशों को अनुमानित निर्यात निम्नलिखित हैं :

(1) ब्रिटेन	22 मिलियन कि० ग्रा०
(2) जापान	3.2 मिलियन कि० ग्रा०
(3) पश्चिनी जर्मनी	25,000 कि० ग्रा०

बम्बई जनरल पोस्ट आफिस का ट्रेजरी विभाग

5601. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई जनरल पोस्ट आफिस के ट्रेजरी विभाग में चीफ के रूप में काम कर रहे ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनकी सेवाएं भूतपूर्व ट्रेजरी ठेकेदार श्री पी० टी० अंक्लेसरिया से उनके ठेके की समाप्ति के बाद प्राप्त की गई थी ;

(ख) इन कर्मचारियों ने उस ठेकेदार के पास कुल कितने समय तक नौकरी की थी और डाक विभाग में नियुक्ति के समय उनमें से प्रत्येक कर्मचारी कितना वेतन ले रहा था ;

(ग) इनमें से प्रत्येक कर्मचारी को इस समय कितना वेतन दिया जाता है ; और

(घ) ठेकेदार से काम अपने हाथ में लिये जाने के बाद डाक विभाग को कुल कितनी बचत हुई है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय संसद् के सामने रख दी जाएगी ।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में तीन भाषाओं में मनीआर्डर फार्म

5602. **श्री पे० वेंकटासुब्बया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में तीन भाषाओं में मनीआर्डर फार्म चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्ताव है कि जनता द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला भाग त्रिभाषी अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में हो । यदि इस प्रकार से फार्म का आकार बहुत बड़ा बना तो इसे अलग-अलग भाषाओं में तैयार करना पड़ेगा इस मामले को छपाई तथा लेखन-सामग्री के मुख्य नियंत्रक के साथ उठाया गया है जो डाक-तार फार्मों की छपाई के लिए जिम्मेदार हैं ।

कृषि ऋण निगम

5603. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 29 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि ऋण निगम स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकारें निगम स्थापित कर सकें, इस बारे में विधेयक का मसौदा सम्बन्धित राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। प्राप्त टिप्पणियों के प्रकाश में अब इस मामले की जांच की जा रही है।

सरकारी प्रक्षेत्र

5604. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सरकारी क्षेत्रों के बारे में 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 565 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन प्रक्षेत्रों की स्थापना पर अनुमानतः कितना व्यय होने की सम्भावना है ; और

(ख) उन पर अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि इन फार्मों की स्थापना पर कुल कितना खर्च होगा। यह फार्म के साइज, भूमि, सिंचाई प्रबन्धों जैसी स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए एक फार्म से दूसरे फार्म पर अलग-अलग होगा। फिर भी मोटे अनुमान के अनुसार मशीनरी, भवनों, भूमि सुधार आदि पर प्रारम्भिक पूंजी खर्च लगभग 2 करोड़ रुपये प्रति फार्म होगा।

(ख) रूसी सरकार पांच फार्मों के लिये प्रति फार्म पर लगभग 31 लाख रुपये की मशीनरी सप्लाई करने के लिये सहमत हो गई है। अतः इन पांच फार्मों की स्थापना पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च किये जाने की सम्भावना नहीं है।

शेष फार्मों के सम्बन्ध में अविलम्बित अदायगी शर्तों पर मशीनरी रूसी सरकार द्वारा सप्लाई की जाने की सम्भावना है।

कोयला खान मजूरी बोर्ड

5606. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम रेलवे और ट्रेडिंग कम्पनी ने कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस कम्पनी से सिफारिशें कार्यान्वित कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने कोयला खान और कोयला खान से भिन्न इस प्रकार दो अलग-अलग विभाग बना दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोयला खान से भिन्न काम के विभाग के कर्मचारियों पर मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने से इन्कार करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को प्रबन्धकों द्वारा क्रियान्वित कराने के प्रयत्न अभी तक सफल नहीं हुए हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी फिर से इसके लिए प्रयत्न कर रही है।

(ग) सरकार को यह मालूम हुआ है कि विगत लम्बे समय से इस कम्पनी के कर्मचारी कोयला खान कर्मचारी और गैर-कोयला खान कर्मचारी इन दो वर्गों में विभाजित किये गये हैं।

(घ) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

Commemoration Postal Stamps

5607. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of new commemoration postal stamps issued so far since January, 1967 and the denomination of each postal stamp so issued;

(b) the amount credited to Government by the sale of each new series of postal stamps on the first day of its issue;

(c) the estimated number of series of new postal stamps to be issued upto December, 1968; and

(d) whether Government propose to issue postal stamps also in commemoration of pilgrim centres, famous places and some prominent persons of the country?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) 22 stamps in the denomination of 15 paise each.

(b) The sale figures are being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha later.

(c) and (d). A list containing the particulars of stamps so far decided to be issued during 1968 is placed on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-650/68]**

सीयरसोल कोयला खान

5608. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानीगंज-आसनसोल क्षेत्र की सीयरसोल कोयला खान के 130 कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताये मुअत्तिल कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें बहाल कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। परन्तु यह सूचित किया गया है कि प्रबन्धक जबरी छुट्टी मुआवजा न देने के लिए 120 श्रमिकों की हाजिरी नहीं लगा रहे हैं

और यह कि इन श्रमिकों को दिनांक 11.1.1968 को हुए समझौते का उल्लंघन कर नौकरी भी नहीं दी गई है ।

(ख) इस मामले की केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी जांच कर रही है ।

मैसूर राज्य में वीराशैव मठ न्यास की सम्पत्तियां

5609. **श्री अगाडी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विन्यास विभाग से कोई शिकायतें की गई हैं कि मैसूर राज्य में वीराशैव मठ न्यास की सम्पत्तियों का अन्य संक्रमण किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि मैसूर राज्य के रायचूर जिले के कोप्पल तालुक तथा बेल्लारी जिले के होस्पेट तथा हडगली तालुक में वीराशैव मठ न्यास की सम्पत्तियों का गत पन्द्रह वर्षों में धर्मस्व अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध अन्य संक्रमण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी तथा कितने मूल्य की न्यास सम्पत्तियों का अन्य संक्रमण किया गया है ; और

(घ) संस्थाओं के उद्देश्यों तथा हितों की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (घ). चूंकि यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है अतः भारत सरकार को इस बाबत कोई जानकारी नहीं है ।

श्रम अधिकारी

5610. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय पुंज के श्रम अधिकारियों को इस नियम के प्रतिकूल कि श्रम अधिकारियों को 3 वर्ष से अधिक समय तक किसी एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए, पांच वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में रहने दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) संबंधित नियम नीचे दिया जा रहा है :

"सामान्यतः किसी भी श्रम अधिकारी को एक प्रतिष्ठान में लगातार 4 वर्ष से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए ।" दिल्ली क्षेत्र में नियुक्त 35 श्रम अधिकारियों में से केवल 5 अधिकारियों को ही 4 वर्ष की सीमा से अधिक समय तक दिल्ली क्षेत्र में रहने दिया गया है । इनमें से दो अधिकारियों को बदली का आदेश दिया जा चुका है और तीसरे अधिकारी के संबंध में यह निर्णय किया जा चुका है कि उनका कार्य काल जून, 1968 में समाप्त हो जायेगा ।

(ख) जहां तक शेष दो अधिकारियों का संबंध है, वे नि:संवर्ग पदों पर कार्य कर रहे हैं— एक योजना आयोग के अधीन और दूसरा निर्माण आवास तथा संभरण मंत्रालय के अधीन। इन नि:संवर्ग पदों पर श्रम अधिकारियों का कोई हक नहीं है। यदि इन अधिकारियों को वापस बुला लिया जाय तो पुंज के अन्य अधिकारियों का इन पदों के लिये चुना जाना निश्चित नहीं है। ये चुने भी जा सकते हैं और नहीं भी चुने जा सकते।

Allotment of Land to Landless Persons and Ex-Servicemen in U. P.

5611. **Shri Ram Singh Ayarwal:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of landless persons and ex-servicemen, separately to whom land has been allotted during the last two years in Uttar Pradesh; and

(b) the details of the rules and conditions laid down by the State Government for allotment of such land?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). In Uttar Pradesh, all vacant land is vested in Goan Sabhas, the land Management Committee of which, allots land to landless persons including ex-Servicemen, under section 198 (1) of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950, read with Rule 174 and the Rules made thereunder. Dependents of personnel killed in action as well as ex-Servicemen are given high priority amongst landless persons. Since Gaon Sabha land is not allotted by the State Government, statistics of land allotted to persons of the category referred to in the Question, during the last two years, is not available at the level of the State Government.

पालाघाट और कालीकट जिलों में नये डाकघर

5612. **श्री नायनार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में 1967 में पालागाट और कालीकट जिलों में कितने नये डाकघर खोले गये हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

पालाघाट जिला	1
कालीकट जिला ...	5

आम की फसल

5613. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों की यह राय है कि इस वर्ष आम की फसल अच्छी नहीं होगी ; और

(ख) यदि हां, तो आम की कम फसल होने के कारण आमों के निर्यात से मिलने वाली कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। अभी यह कहना कठिन है कि इस वर्ष आम की फसल अच्छी नहीं होगी। उत्तरी भारत में आमों के पेड़ों पर इसी मास बौर आने लगा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता। देश में जितना आम उत्पन्न होता है उसका कुछ ही अंश निर्यात किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम को गोदाम सौंपे जाना

5614. **श्री दुरायरासु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जोरदार कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्य में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों को भारतीय खाद्य निगम को सौंपने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच केन्द्रीय भाण्डागार निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को और पदोन्नति देने का विचार क्यों किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को आगे तरक्की देने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

5615. **श्री दुरायरासु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य विभाग के कितने वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय भाण्डागार निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(ख) क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर गये हुये उन कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है जो नियमों के अन्तर्गत तीन वर्ष से अधिक सेवाकाल पूरा कर चुके हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 10।

(ख) प्रतिनियुक्ति पर गए ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने निगम में तीन वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है। निगम के विशिष्ट अनुरोध पर और जनहित में उन्हें तीन वर्ष के बाद थोड़ी अवधि के लिये रहने की अनुमति दी गयी है।

खाद्यान्नों को क्षति

5616. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाण्डागारों की पर्याप्त सुविधाएं न होने तथा चोरी आदि के कारण प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की बर्बादी होती है ; और

(ख) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने यह अनुमान लगाया है कि चूहों, चिड़ियों, कीड़ों आदि के कारण इस समय गोदाम में 6.58 प्रतिशत खाद्यान्न की हानि होती है। चोरी से हुई हानि के संबंध में कोई भी अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) सरकार द्वारा की गई उपचारात्मक कार्यवाही का उल्लेख लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 424 और 2255 के उत्तर में क्रमशः 4-4-1967 और 29-2-1968 को कर दिया गया है।

भेंड़ पालन उद्योग

5617. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भेड़ पालन के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में वर्ष वार प्रत्येक देश से कितनी भेड़ों का आयात किया गया है ; और

(ग) भेड़ों के सम्भरण के लिये देश में क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

मदुरै में रेलवे डाक सेवा कार्यालय

5618. **श्री किरुतिनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै में रेलवे डाक सेवा कार्यालय के निर्माण तथा विस्तार के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी और वह कब मंजूर की गई थी;

(ख) इस काम को करने में देरी के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अब तक रेल विभाग ने इस कार्य की मंजूरी नहीं दी है ।

(ख) रेलवे प्राधिकारियों ने यह मांग की थी कि उनके काम को हाथ में लेने से पूर्व पुरानी इमारतें गिराने के लिए खर्चे की अदायगी एक मुश्त कर दी जाय । अब इस मांग को वे छोड़ देने के लिये सहमत हो गए हैं ।

(ग) अब रेल विभाग से 50,007 रुपये का एक संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है और शीघ्र ही इसकी मंजूरी दे दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में जमाखोरी को समाप्त करने का अभियान

5619. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जमाखोरी को समाप्त करने के लिए नाकाबन्दी करने के उपायों के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के मूल्य गिरे हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) चावल के मूल्यों में जोकि पश्चिमी बंगाल का प्रमुख खाद्य अनाज है, गिरावट आयी है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल में जमाखोरी को समाप्त करने सम्बन्धी कार्य सांविधिक आदेश अर्थात् पश्चिमी बंगाल खाद्यान्न (अधिग्रहण) आदेश, 1967 के अधीन कार्यान्वित किये जाते हैं । जमाखोरी समाप्त करने के अभियान से अधिप्राप्ति-प्रवेग बढ़ गया है । अधिप्राप्ति तेज करने के लिये अतिरिक्त उपायों के पश्चात् आन्तरिक अधिप्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है और 21 फरवरी, 1968 से चावल के हिसाब से यह 61,202 मीटरी टन बैठती है । जमाखोरी समाप्त करने का अभियान शुरू करने के बाद चावल के मूल्य में भी गिरावट आई है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों से सम्बन्धित अमानुषिक घटनाओं का समाचार

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"जिला महबूब नगर के एक गांव में हरिजन महिलाओं से संबंधित भद्दी एवं अमानुषिक

घटनाओं और आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में एक हरिजन लड़के के जिन्दा जलाये जाने का समाचार।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 24 फरवरी, 1968 को कृष्णा जिले के कंचीकछेरला के गांववासियों ने एक हरिजन लड़के को पीतल के कुछ बर्तन चुराने के आरोप में पकड़ लिया था। तब उसे उस होटल में ले जाया गया जहां उसने बर्तन बेचे थे तथा वहां से चुराये हुए बर्तन बरामद हो गये थे। तब गांव-वासी उसे एक पण्डाल में ले गये और उसे एक खम्भे के साथ बांध दिया, उसे खूब मारा पीटा गया और फिर उसके कपड़ों को आग लगा दी गई। इसके फलस्वरूप वह बुरी तरह से जल गया फिर वह थाने में गया और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 326 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की और उसे नंदीगांव सरकारी अस्पताल में भेज दिया। बाद में उसे उपचारार्थ विजयवाड़ा अस्पताल में लाया गया। 26 फरवरी, 1968 को उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने अब जांच पूरी कर ली है तथा अपराधियों की पहचान कर ली गई है। अब तक पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष दो अपराधियों को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। यह बर्बरतापूर्ण घटना है और मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इस सभा के सभी पक्ष ऐसे कार्यों की कड़ी भर्त्सना करेंगे।

मैंने इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार को लिखा है और उनसे कहा है कि वे अपराधियों को दण्ड देने के लिये भरसक प्रयत्न करें।

महबूबनगर जिले में घटनाओं के बारे में तथ्यों की जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है।

श्री बूटा सिंह : मैं मंत्री महोदय का ध्यान "प्रजावाणी" के 16 मार्च, 1968 के अंक में छपे सम्पादकीय लेख की ओर दिलाता हूं जिसमें हरिजनों के प्रति किये गये अत्याचारों का उल्लेख किया गया है और उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन बर्बरतापूर्ण घटनाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार उन सभी घटनाओं की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराने और अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिये तैयार है। ऐसी जांच अवश्य की जानी चाहिये क्योंकि ऐसी घटनायें प्राय: होती रहती हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न पर अवश्य विचार करूंगा क्योंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को इस मामले में विशेष संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ स्वयं बातचीत की थी तथा उन्होंने इस बारे में स्वयं चिन्ता प्रकट की है। मुझे बताया गया था कि इस घटना में लगभग सात व्यक्तियों का हाथ था। उनमें से छः फरार थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि

कुछ दिन पहले पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे तथा शेष दोनों व्यक्तियों के पकड़े जाने की भी सम्भावना है ।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : माननीय मंत्री के वक्तव्य से पता चलता है कि आंध्र पुलिस पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है । उन्होंने अपराधियों को दण्ड देने के लिये तुरन्त कार्यवाही नहीं की । क्या यह सच है कि हरिजनों के अतिरिक्त गांव के अन्य लोगों का इस घटना में हाथ था तथा पुलिस ने कई दिनों तक लोगों को गिरफ्तार नहीं किया तथा बाद में मामला बनाने के लिये दो तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । यदि यह बात सही है तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सही है कि लगभग तीन या चार सप्ताह तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था । परन्तु जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मैंने स्वयं इस मामले को अपने हाथ में लिया तथा वहां के मुख्य मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की । यदि मैंने एक प्रतिशत भी यह महसूस किया कि राज्य प्रशासन ने इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की तो मैं अवश्य ही इस बारे में हस्तक्षेप करूंगा ।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : May I know whether Government have realised that untouchability cannot be put an end to merely by legislations and whether it is not a fact that 90 per cent officers of Administration believe in untouchability and thus they ignore the incidents amongst Harijans. That is why these incidents are on the increase. May I also know whether Government now propose to take the co-operation of institutions like such Arya Samaj which help to remove the corrupt practices in social life ? May I also know whether Government propose to appoint one Harijan officer in the Enquiry Committee in future ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं यह मानता हूं कि केवल कानून से काम नहीं चल सकता । इसके लिये समाज संगठनों के जरिये कार्यवाही करनी पड़ेगी । हम ऐसी संस्थाओं को सहयोग देने और उनका सहयोग प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं । यदि माननीय सदस्य के मन में कोई विशेष सुझाव हो तो वे उन सुझावों को हमें बता सकते हैं हम उन पर विचार करेंगे । हरिजन अधिकारी को नियुक्त करने के सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

Shri Ram Charan (Khurja) : It is a matter of great shame that in a State like Andhra Pradesh where there is Congress Government such incident are taking place. If they consider themselves true followers of Gandhiji then the Chief Minister should tender his resignation immediately and a judicial enquiry should be launched in the matter. May I know whether the Hon. Minister is going to set up a separate cell in his own Ministry to prevent such barbarous activities and give rigorous punishment to the culprits.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को अच्छी तरह से समझता हूं । परन्तु एक और माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि इस मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिये । निश्चय ही मैं उस बारे में विचार करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो दो घटनायें आंध्र प्रदेश में हुई हैं

उनके लिये हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। परन्तु बात यह है कि जहां तक दूसरी घटना का सम्बन्ध है माननीय मंत्री के पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। अतः जब वे उस जानकारी को प्राप्त कर लेंगे तब इस बारे में अवश्यमेव ही चर्चा की जायेगी। हरिजन औरतों को नंगा करके बाजार में घुमाना निश्चय ही निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। अब चूंकि ध्यान दिलाने वाली सूचना का समय समाप्त हो गया है इसलिये माननीय सदस्य कृपया और प्रश्न न उठायें। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे सहयोग दिया जाये। जानकारी एकत्र होने पर चर्चा की जायेगी। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE. QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to say something about direction 2 and 115, Rule 222 and Article 105 of the constitution.

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना के पश्चात् सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे। इस बीच व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye : In a direction by the speaker it has been mentioned that after the Calling Attention Notice if there is no adjournment motion then the point of privilege will be taken up. I will not go into the merits of the case. I want your guidance ?

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत यह प्रश्न उठा सकते हैं।

Shri Madhu Limaye ; Please refer to Direction 2 (6). It has been mentioned there "Question involving breach of privilege"

अध्यक्ष महोदय : परन्तु विशेषाधिकार का प्रश्न सभा के समक्ष नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार प्रश्न, ध्यान दिलाने वाली सूचना और स्थगन प्रस्तावों के नोटिस दिये हैं। यदि प्रत्येक सदस्य इसके लिये मेरी अनुमति चाहेगा तो यह मामला कैसे खत्म होगा।

Shri Madhu Limaye : I will not go into its merits.

अध्यक्ष महोदय : परन्तु तब भी वह उसे उठा रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, my submission is that there are two procedures and I want your guidance in regard to them. As far as the question of substatement by the Minister is concerned there is a procedure for that under direction 115.

अध्यक्ष महोदय : इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक सदस्य को विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार है परन्तु उस पर निर्णय देने के लिये मुझे भी कुछ समय चाहिये।

Shri Madhu Limaye : I have given notice of a privilege motion.

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने नोटिस दिया है कि मंत्री महोदय ने सही वक्तव्य नहीं दिया है।

Shri Madhu Limaye : 'Deliberately misleading statement'.

अध्यक्ष महोदय : आप चाहे गलत सूचना कहें या सभा को जानबूझ कर गुमराह करने वाला बयान कहें परन्तु प्रश्न तो यह है कि उसे कैसे उठाया जा सकता है। परन्तु आज 4 बजे म०प० पर गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर मतदान तथा उसके पश्चात् और भी कार्य लिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : But, Sir, it is a question of privilege. I want your guidance.

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि यदि मैं आज श्री मधु लिमये को किसी भी विषय पर अपनी राय बनाने की अनुमति दे देता हूं तो कल को मैं दूसरे सदस्यों को कैसे मना कर सकता हूं।

Shri Madhu Limaye : Sir, there is one procedure which can be referred in Direction 115 of the Speaker. In the other procedure there is 'deliberately misleading statement'.

अध्यक्ष महोदय : परन्तु क्या अध्यक्ष की अनुमति लेने सम्बन्धी निर्देशिका का पालन किया गया है।

Shri Madhu Limaye : Sir, direction 115 relates to incorrect statement. But about 'deliberately misleading statement' May's Parliamentary practice says that' "The House may treat the making of a deliberately misleading statement as a contempt." My Contention is that the House has been deliberately mislead about Kutch-Tibu matter. Hence I would like to be guided whether I can raise the point of privilege under Article 105 of the constitution or under Direction 115 of the Speaker ? I would like to have your decision regarding it.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत सेवक समाज के प्रधान की ओर से पत्र

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : मैं भारत सेवक समाज के बारे में आधे घण्टे की चर्चा के दौरान 22 मार्च, 1968 को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में, खाद्य तथा कृषि मंत्री के नाम प्रधान, भारत सेवक समाज, नई दिल्ली, के दिनांक 21 मार्च, 1968 के पत्र संख्या बी०एस०एस०/पी०ए०सी०/68 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-**636/68]

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के कार्य की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये दुर्गापुर प्रोजक्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दुर्गापुर प्रोजक्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-637/68]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा मान्यीकरण) अध्यादेश

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 18 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 571 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दिल्ली बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मिल पर तथा फुटकर) मूल्य नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1968 जो दिनाक 18 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 572 में प्रकाशित हुआ था।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-638/68]

(2) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन तथा मान्यीकरण) अध्यादेश, 1968 (1968 का उत्तर प्रदेश संख्या V) की एक प्रति को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 15 फरवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-639/68]

कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1968

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : श्री स० चु० जमीर की ओर से मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 500 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 640/68]

अधिवक्ताओं के रूप में प्रवेश (प्रशिक्षण तथा परीक्षा) नियम

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49-क की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिवक्ताओं के रूप में प्रवेश (प्रशिक्षण तथा परीक्षा) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 8 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 926 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०** 641/68]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :

"(एक) कि 26 मार्च, 1968 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने प्रस्ताव स्वीकार किया कि लोक लेखा समिति में कार्य कर रहे राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि, सिवाय उन सदस्यों के जो 2 अप्रैल, 1968 को सेनानिवृत्त हो रहे हैं, 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाई जाये।

(दो) कि 26 मार्च, 1968 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने प्रस्ताव स्वीकार किया कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में कार्य कर रहे राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों की पदावधि, सिवाये उन सदस्यों के जो 2 अप्रैल, 1968 को सेनानिवृत्त हो रहे हैं, 30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाई जाये।"

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

आठवां प्रतिवेदन

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : मैं हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सामान्य आयव्ययक, 1968-69
GENERAL BUDGET, 1968-69

अनुदानों की माँगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

गृह-कार्य मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान करेगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह मंत्रालय आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने और विधि के शासन को बढ़ावा देने के अपने कार्य में असफल रहा है। संकल्प पारित किये जाते हैं आश्वासन दिये जाते हैं, किन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : इस मंत्रालय को अभी तक यह भी नहीं पता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। इस सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई मानचित्र नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि भारत का यह राज्य-क्षेत्र है जिसकी इसे सुरक्षा करनी है।

राज्यों के पुनर्गठन के समय से ही अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद चल रहे हैं। महाजन आयोग के प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात भी उस प्रतिवेदन पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है। सीमा विवाद केवल मैसूर महाराष्ट्र राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं ; अपितु अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी इस प्रकार के विवाद हैं। सरकार ने जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार कर लिया था, तो गांवों को भाषा के आधार पर एक इकाई समझा जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जाये तो फिर किसी विवाद के उठने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

देश के पूर्वी भाग में स्थिति बड़ी गम्भीर है। वह प्रदेश विदेशी एजेंटों का अड्डा बन गया है। विदेशी तत्व खुलमखुल्ला विद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं। विद्रोही नागा युद्ध-विराम की अवधि को 6 मास तक के लिये इसलिये बढ़ाना चाहते हैं कि वे सैनिक प्रशिक्षण के लिये चीन जा सकें और वहां से हथियार ला सकें। कलकत्ता में एक समाचार-पत्र में यह खबर छपी है। नागाओं के पास अब सभी प्रकार के आधुनिक हथियार मौजूद हैं जो उन्हें चीन से प्राप्त हुए हैं।

मैं जानना चाहता हूं । कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ।

आसाम में एक अभियान चल रहा है, जिसके कारण गैर-आसामी लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और एक-एक करके उस राज्य को छोड़ रहे हैं । इसके अतिरिक्त वहां एक लचित सेना है जो कहती है "भारतीयों आसाम से चले जावो ।" उस राज्य में कांग्रेसी सरकार के होते हुए ऐसा हो रहा है । सारे देश में अराजकता व्याप्त है और इसका कारण यह है कि आज संविधान की अवहेलना की जाती है जिससे हिंसात्मक तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है ।

जमशेदपुर, रूरकेला और रांची में जो कुछ हुआ है उसके सम्बन्ध में एक जांच होनी चाहिये । एक खुला आरोप लगाया गया था कि रुरकेला में जो कुछ हुआ उसमें स्थानीय सरकार का हाथ था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक जांच की गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया है । यदि आप इस समस्या के प्रति गम्भीर हैं तो आपको राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ सरकार को दृढ़ता का रुख अपनाना चाहिये ।

देश में भाषा के प्रश्न पर जो दंगे हुए हैं उन सबके लिये सरकार जिम्मेदार है क्योंकि इसने 20 वर्षों से सांवैधानिक उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं किया है । भाषा सम्बन्धी संकल्प में कुछ कांग्रेसियों के दबाव के कारण संशोधन किया गया था । मद्रास का कांग्रेसी दल आरम्भ से ही भाषा विवाद को हल करने में रुकावट डाल रहा है । जब श्री कामराज मद्रास के मुख्यमंत्री थे उस समय भी कांग्रेस सरकार ने मद्रास में हिन्दी को अनिवार्य नहीं बनाया । अतः द्राविड़ मुन्नेत्र कषगम दल पर आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है । इस मास के 26 तारीख के हिन्दू में जो कुछ छपा है उसके आधार पर मैं महसूस करता हूं कि श्री कामराज इस देश की शांति के लिए एक खतरा हैं और उन्हें जेल में डाला जाना चाहिये था । उस समाचार-पत्र के अनुसार मद्रास के शिक्षा मंत्री ने केन्द्र को एक पत्र में लिखा था :

"हो सकता कुछ समय बाद हिन्दी एक संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान ले ले । भारत की अन्य किसी भाषा के लिये संपर्क भाषा बनना असम्भव दीख पड़ता है ।"

श्री कामराज ने इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा :

"इसका अर्थ तो यह हुआ कि द्राविड़ मुन्नेत्र कषगम सरकार इस बात से सहमत है कि हिन्दी को बाद में किसी दिन अंग्रेजी का स्थान दे दिया जाये ।"

देश में विभाजनकारी शक्तियों की जड़ श्री कामराज हैं । इस समय हमारा लोकतन्त्र कसौटी पर है । यदि इस देश में संघीय संविधान को चलाना है तो केन्द्र को दृढ़ होना होगा और गृह-कार्य मंत्री को दलबन्दी से ऊंचा उठना होगा ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : मैं इन मांगों का विरोध करता हूं । यदि इस देश में साम्प्रदायिक दंगों को न रोका गया तो देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे । इस मंत्रालय के

प्रतिवेदन के अनुसार इस मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारी देश की आंतरिक सुरक्षा, विधि के शासन को बढ़ावा देना आदि हैं। किन्तु विशेषरूप से इन्हीं कर्तव्यों के पालन में यह मंत्रालय बुरी तरह विफल रहा है। देश में अराजकता व्याप्त है और अल्प-संख्यक अपनी जन्म-भूमि में ही अपने आपको प्रत्येक क्षण पूर्णरूप से असुरक्षित समझते हैं। यह बहुत खेद की बात है कि इस मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार इन साम्प्रदायिक दंगों और घटनाओं में पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत वृद्धि हुई है। विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और इन सभी दंगों में मुस्लिम अल्प-संख्यकों को ही हानि उठानी पड़ी है। शरारती तत्वों को दण्ड देने और इन साम्प्रदायिक दंगों की पुनरा-वृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? चिकमागैलोर के स्थान पर 63 दुकानों में से केवल दो को छोड़कर सबको जलाया गया और लूटा गया। दो वर्ष पहले रूरकेला में महिलाओं पर पेट्रोल में भीगे बम गिराये गये। हाल ही में अलाहाबाद में एक भीड़ ने मुसलमानों की एक बस्ती पर आक्रमण किया और औरतों और बच्चों पर अत्याचार किये। इस सभा में मेरे साथी श्री अमृत नाहाटा ने हाल ही में अलाहाबाद का दौरा किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो 24 मार्च के "पैट्रिअट" में छपी है, कहा है :

"सब कुछ सुयोजित ढंग से किया गया था। अल्प-संख्यकों की दुकानों को योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया था। सारी लूटमार करफ्यू के समय में की गई किन्तु अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।"

क्या एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के शासन में ऐसा हो सकता है ?

अधिकांश मामलों में पुलिस का कार्य बहुत खेदपूर्ण रहा है। पुलिस या तो प्रभावहीन रही है या उसने पक्षपात किया है। स्थानीय प्रशासन ने वहां दंगों को भड़काया है और पक्षपात किया है। नागरिकों के जन-धन की रक्षा करने में पुलिस तथा अधिकारियों की असफलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? आज बहुसंख्यक साम्प्रदायिकवाद ने हमारे देश में विकट रूप धारण कर लिया है और यदि इसको नहीं रोका गया तो हमारे देश का भविष्य अंधकार में पड़ जायेगा। न्यायाधिपति रघुवरदयाल की अध्यक्षता में नियुक्त जांच आयोग का प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है हालांकि आयोग की नियुक्ति को कई महीने हो गये हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इस देश में हजारों लोगों की दिन दहाड़े हत्या की गई है और एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिये किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया गया है।

पिछले 20 वर्षों से पुलिस विभाग तथा सेना के द्वार मुसलमानों के लिये पूरी तरह बन्द कर दिये गये हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा में मुसलमानों का प्रति-निधित्व बहुत ही कम है। सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को 1 प्रतिशत भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

हाल ही में जो भाषा विधेयक पारित किया गया है उससे समस्याएं और जटिल हो गई हैं। जनता और देश के हित के लिये तथा सभी वर्गों को समान अवसर देने के लिये मेरा

निवेदन है कि अंग्रेंजी को काफी समय के लिये एक सहशासकीय भाषा के रूप में जारी रखा जाये। उर्दू भाषा को समाप्त करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। इस भाषा की रक्षा के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं ?

महाजन आयोग के नियुक्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस आयोग की सिफारिशें अन्यायोचित हैं। 1959 में निश्चित की गई सीमाओं को अन्तिम समझा जाना चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : It is unfair to blame the Home Minister on the ground that there is no peace in the Country. We should congratulate him for successfully handling the situation created by the emergency of coalition Governments formed by heterogeneous groups in various States after the last general elections. There are certain forces which pose grave danger to the unity and integrity of the country. If these elements were not strongly dealt with, the country would go to pieces.

It is wrong to say that the minorities are not being protected. The Congress have always stood for communal unity and the Government has always been strict in the maintenance of law and order in the country. The Muslims are as secure here as their Hindu brothers and all are free to live as they like.

The activities of the Left Communists pose a great danger to the unity, integrity and security of the country. They are not loyal to this country and look towards China for guidance. They raise the slogans of "Mao Tse Tung Zindabad." A shameful incident took place in Calcutta when a student was beaten to death on his refusal to raise these slogans. These things cannot be tolerated and should be strongly put down.

The Left Communists were behind the recent bomb explosion in Assam. They wanted to change the Government by an armed revolution. There is ample evidence that they are receiving foreign money as well as arms. Such people should not be allowed to remain in the country. It is high time that the Government should realise the seriousness of the danger that the Left Communists pose to the security of the Country. The Party should be banned in the country.

श्री चं० चु० देसाई (सबरकंठा) : देश की अच्छी सरकार और कुशल प्रशासन के लिए गृह-मंत्रालय जिम्मेदार है। गृह मंत्री ने देश की एकता की बात कही। साथ ही उन्होंने सभा के सामने भाषा के सम्बन्ध में एक संकल्प पेश किया जिससे उस एकता को सबके बड़ा खतरा है। जब भाषा सम्बन्धी इस विशेष संकल्प को पेश किया गया तो राजाजी ने कहा कि इससे देशविभाजित हो जायेगा और यही हो रहा है। इस संकल्प को रद्द न किया गया और भाषा प्रश्न के सम्बन्ध में सर्वसम्मत निर्णय न लिया गया तो देश के विभाजन का खतरा बना रहेगा।

आसाम की समस्या से भी देश की एकता को बड़ा खतरा है। इसका कारण यह नहीं है कि सरकार की नीति गलत है बल्कि इसका कारण यह है कि विश्वास का अभाव है। इस समय देश को कांग्रेस नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। यदि उनकी नीतियां, व्यवहार और रवैया ऐसा हो कि जनता में विश्वास जागृत हो सके तो बहुत सी समस्यायें, जिनका कोई समाधान दिखाई नहीं देता, हल हो जायेंगी।

हम यह मांग करते रहे हैं कि देश में साम्प्रदायिकता के प्रसार पर गौर किया जाये। अनेक विपक्षी दलों ने साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार को सहायता दी है। फिर भी सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है।

गृह मंत्री भष्टाचार के उन्मूलन की प्रायः बात करते हैं। यह विचार बहुत अच्छा है लेकिन देखना यह है कि उसकी सरकार क्या कर रही है। एक ऐसे आदमी को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसके हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हुए हैं और उसे इस आरोप के कारण मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र देना पड़ा। इस तरह भ्रष्टाचार का उन्मूलन कैसे होगा। इसलिए भष्टाचार उन्मूलन का कोई अर्थ तभी होगा जब उसके सम्बन्ध में सक्रिय ढंग से कार्रवाई की जायेगी। यदि सरकार अपने दल के लोगों पर यह बातें लागू नहीं कर सकती तो इस नारे की क्या जरूरत है। एक कुशल अधिकारी, श्री भूतालिंगम को राजदूत नियुक्त किया गया। अचानक कांग्रेस दल की सहायता से उस पर आरोप लगाये गये और एक जांच की गई। यह मामला अभी विचाराधीन है। इस तरह एक ईमानदार और कुशल अधिकारियों को परेशान किया गया है जबकि एक दल के व्यक्ति को, जो चुनाव में हार गया और जिसे कुछ बातों के कारण मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र देना पड़ा। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरकार इस तरह दोहरी नीति अपना रही है।

सरकार अन्य मामलों में भी दोहरी नीति अपना रही है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में अध्यक्ष की इसलिए निन्दा की गई कि उन्होंने संविधान से बाहर शक्तियों का प्रयोग किया लेकिन राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल और बिहार के वर्तमान राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं कहा गया जिन्होंने संविधान की अधिक अवहेलना की। इसका कारण यह है कि उनका कांग्रेस से सम्बन्ध है जबकि अन्य लोग गैर-कांग्रेसी हैं।

गृह मंत्री सार्वजनिक समस्याओं को हल करने के लिए विपक्षी दलों का सहयोग चाहते हैं। लेकिन वास्तव में उनके अनुसार सहयोग का अर्थ यह है कि विपक्षी दल उनकी इच्छानुसार अपना समर्पण करें। औपचारिक सलाहकार समिति में सभी विपक्षी दलों की सर्वसम्मत राय को स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए ऐसा सहयोग सम्भव नहीं है। सहयोग दोनों पक्षों की ओर से होना चाहिये। यह रचनात्मक और स्वीकार करने योग्य होना चाहिये।

देश में सुरक्षा और व्यवस्था नहीं है। नये वर्ष के अवसर पर एक सम्माननीय महिला का कनाटप्लेस में अपमान किया गया। पुलिस अपराधियों का पता नहीं लगा सकी और उन्हें सबक नहीं सिखा सकी। जनसंघ के नेता की हत्या की गई और अब तक पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी। एक दिन दिन-दहाड़े खुली कचहरी में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों पर प्रहार किया गया। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारी तथा नेता के लिए सम्मान की कमी है क्योंकि नेतृत्व बहुत कमजोर है। इसलिए देश में अनुशासनहीनता है।

देश को विरासत में बहुत अच्छी सिविल सेवा मिली थी। यही कारण है कि गलतियाँ

और त्रुटियों के बावजूद भी प्रशासन का ढांचा अच्छा चल रहा है। एक दिन प्रधान मंत्री ने कहा "सिविल कर्मचारियों को शक्तियां प्राप्त थीं जबकि हम जेलों में जा रहे थे या प्रभात फेरियों में गा रहे थे। हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और हम कल्पना करते हैं कि गृह मंत्री इस समय चाहते हैं कि सिविल कर्मचारी भी अपना कर्तव्य निभायें इस समय इस देश को कुछ सिविल सेवा की जरूरत है। हमें फांस से सबक सीखना चाहिये और सिविल सेवा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तभी हमें अच्छा प्रशासन मिलेगा।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने पिछले वर्ष, जो सबसे अधिक संकटपूर्ण वर्ष था, सीमा, भाषा, विद्यार्थी बेचैनी, साम्प्रदायिक दंगे और राज्यों के बीच सीमा-विवाद आदि की समस्याओं का सामना जिस ढंग से गृह मंत्री ने किया, उसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं।

हमने ब्रिटिश सरकार से आजादी प्राप्त कर ली है और अपना राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त कर लिया है लेकिन क्या हमने सामाजिक सुधार किये हैं जो स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

भारतीय समाज भाषा, जाति तथा अन्य बातों के आधार पर विभाजित है और गैर-लोकतांत्रिक शक्तियां अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए अधिक कमजोर वर्गों का शोषण करने का प्रयास कर रही हैं। गृह मंत्री को इस मामले की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। हमें शर्म आनी चाहिये कि आजादी के 20 वर्ष बाद भी हमारे समाज के अधिक कमजोर वर्गों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में क्या हुआ। एक हरिजन लड़के को जिन्दा जला दिया गया। कुछ राष्ट्रविरोधी राजनीतिक दल इन लोगों की सहायता इसलिए करते हैं कि वे इन लोगों की सहायता से अपनी स्वार्थ-सिद्धि कर सकें।

हम बहुत समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हितों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये। यह प्रश्न भी लटका हुआ है। अत: मैं गृह-कार्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये लोक-लेखा समिति या सरकारी उपक्रम समिति की भांति एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। जो उनके हितों की रक्षा करे।

देश में यदि इस प्रकार की स्थिति चलती रही तो देश के हरिजन सरकार से क्या आशा कर सकते हैं? अतः यह आवश्यक है कि गृह-मंत्रालय सामाजिक कल्याण विभाग भी अपने हाथ में ले ले। ताकि कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा का कार्य किया जा सके।

यह हर्ष का विषय है कि हाल ही में एक हरिजन को संग लोक-सेवा का सदस्य नियुक्त किया गया है। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सेवाओं में

प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है, गृह-मंत्रालय की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि अभी तक उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यद्यपि इस सम्बन्ध में एक तंत्र बना हुआ है फिर भी अनुसूचित जातियों की स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

हरिजन लोग बहुत समय से गांवों के बाहर रहते आ रहे हैं। यदि इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया तो वे वहीं रहते रहेंगे। जब हमारे देश में ही हरिजनों पर अत्याचार किया जाता है तो हमें दक्षिण अफ्रीका की निन्दा करने का क्या अधिकार है। हमें ग्रामीण व्यवस्था का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सरकार को भूमि का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिये और भूमि को प्राथमिकता के आधार पर हरिजनों में वितरित करना चाहिये। हरिजन न केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी वे पिछड़े हुए हैं।

विपक्षी दल इस सम्बन्ध में कांग्रेस दल को दोष देता है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अस्पृश्यता को दूर करने की सरकार की क्या योजना है। कांग्रेस की आलोचना करना आसान है पर हरिजनों के कल्याण के लिये कोई योजना बनाने का कार्य कठिन है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आलोकतन्त्री शक्तियां समाज के कमजोर वर्गों का शोषण करती रहेंगी और देश में संकट उत्पन्न हो जायेगा।

Shri Latafat Ali (Muzaffarnagar): There have been a increase in the communal incidents recently. These incidents appear to be pre-planned. If this attitude continues, the communal feeling will increase. There have been incidents of attacking without any cause. Muslims have been attacked suddenly. Whenever some assurance regarding the safety of life and property is given, it results in communal rioting. There have been similar type of communal riots in Meerut, Kanpur and Allahabad and other places also.

The police is supporting the rioters. In Meerut the police have attacked the Muslim localities and have beaten them. The police officers have even fired on the Muslims with their own guns?

In Allahabad, the Prime Minister was shown only those places which were least effected. The police is openly helping the Hindu rioters.

No judicial inquiry has been made in this matter so far.

Shri Kedar Paswan (Rosera): More than twenty years have passed since we achieved independence, but still the Harijans are suffering continuously. They cannot enter the temple. They cannot take water from the wells. They have no land for cultivation as a result of it they are unemployed.

All the Members of Parliament should try to improve the conditions of Harijans. Government should take steps to avoid their difficulties. They should also be provided with accommodation. Provision for employment should also be made for them.

Methli should be given recognisation in Bihar. So far as the question of national language is concerned. Hindi is the only appropriate for it.

The security arrangements at the borders are still incomplete. Food grains and other goods are still being smuggled from our country. Now the condition has become untolerable. All the Harijan Members should start a country-wise agitation to improve the conditions of the Harijans.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : यह कहना सच नहीं है कि देश में सब जगह स्थिति खराब है। यदि आप चुनाव से पहले की अवधि और चुनाव के बाद की अवधि की समीक्षा करें तो आपको ज्ञात होगा कि देश में बहुत सी घटनायें घटी हैं। "कानून और व्यवस्था की दो प्रकार की समस्यायें हैं। पहली समस्या सामान्य अपराध की है और दूसरी समस्या राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न अराजकता की है। जहां तक अपराध का सम्बन्ध है, पुलिस की और अधिक अच्छी व्यवस्था करके, पुलिस बल का आधुनिकीकरण करके और प्रशासनिक कमियों को दूर करके इसका हल ढूंढना होगा। लेकिन साम्प्रदायिकता, प्रदेशवाद तथा भाषा सम्बन्धी समस्याओं से उत्पन्न अराजकता आदि ऐसी कठिनाइयां हैं, जो हमें ऐतिहासिक परम्परा से प्राप्त हुई हैं। ये घटनायें अचानक ही उत्पन्न नहीं हुई हैं।

श्री बाजपेयी ने इस मामले को सरल करने के अभिप्राय से यह सुझाव दिया था कि हमें यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि यह समस्या किसने उत्पन्न की। उन्होंने यह भी कहा है कि इसके साथ-साथ हमें यह भी जानना आवश्यक है कि सम्बद्ध व्यक्ति राष्ट्र के प्रति वफादार हैं अथवा नहीं। मेरे विचार से यह रवैया ही कठिनाई पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। हम देश के किसी भी ग्रुप या सम्प्रदाय पर वफादार न होने का संदेह नहीं कर सकते। मेरा धर्म निरपेक्षता में विश्वास है।

हमारे देश में बहुत से अल्पसंख्यक वर्ग हैं। बहुसंख्यकों को ही राष्ट्रीयता का प्रतीक मानना उचित नहीं है। प्रत्येक समुदाय में ही धोखेबाज हो सकते हैं अतः हमें ऐसी भावना उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। यह कहना उचित नहीं है कि ये घटनायें कांग्रेसी या गैर-कांग्रेसी राज्यों में हुई हैं। ऐसी घटनाएं कांग्रेसी राज्यों में भी हुई हैं और गैर-कांग्रेसी राज्यों में भी हुई हैं। इनके लिए केवल सत्तारूढ़ दल ही जिम्मेदार नहीं है। हमें अपने दृष्टिकोणों को बदलना होगा। एक दूसरे पर आरोप लगाने से इस समस्या का हल नहीं हो सकेगा। वातावरण को सुधारने में समय लगेगा। हमें इस सम्बन्ध में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं। पिछले 15 से 18 महीने हमारे लिए कष्टदायक रहे हैं। इस समय हम संकट से गुजर रहे हैं। हमें देश में जन स्वातन्त्र्य और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना है। हमें राज्य के संवैधानिक अधिकारों और केन्द्र के संवैधानिक दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करना है।

इस मन्त्रालय को यह देखना है कि देश में संवैधानिक और कानून की व्यवस्था बनी रहे। हमें यह भी देखना है कि देश की प्रभुसत्ता और अखंडता बनाये रखना है तथा देश में लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त भी कायम रखना है।

इन कठिनाइयों का विश्वास के साथ सामना करना होगा। पिछले 20 वर्ष देश के

परीक्षण के रहे हैं। ये कठिनाइयां केवल कानून या आदेश जारी करने से दूर नहीं हो जातीं। हमें देश की जनता में यह भावना उत्पन्न करनी है कि वह लोकतन्त्रात्मक और धर्मनिरपेक्ष समाज में रह रही है।

यदि हमें उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए कोई कानून बनाना पड़ा, जो देश में पृथककरण की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं तो हम सभा से और अधिक शक्ति प्राप्त करने का निवेदन करेंगे।

साम्प्रदायिक दंगों का होना अशोभनीय बात है। छोटी-छोटी बातों को लेकर राजनीतिक स्वार्थों के लिए यह दंगे हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, करीमगंज में एक हिन्दू लड़के और एक मुसलमान लड़के के बीच एक गाय को लेकर मामूली सा झगड़ा हो गया। इस झगड़े की आड़ में साम्प्रदायिक दंगा आरंभ हो गया और मुसलमानों के कई घर जला दिए गए। मान लीजिए यदि दोनों लड़के एक ही जाति के होते, तो क्या यह मामूली सा झगड़ा साम्प्रदायिक दंगे का रूप धारण करता? मैं समझता हूं कि कदापि नहीं करता। आज हमें इस साम्प्रदायिकता की भावना को अपने मष्तिष्कों से निकालना है। छोटे-मोटे झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति शिकायतें भी हो सकती हैं। किन्तु हमें आज व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर अपनी शिकायतें दूर करके सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना चाहिए।

निस्सन्देह सरकार को इस मामले में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य दो प्रकार का है— बुनियादी तौर पर मार्गदर्शन करना और आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करना। मैं मानता हूं कि राज्यों के संवैधानिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं किन्तु इसके साथ ही राज्य में जनता में शांति व्यवस्था बनाये रखना भी राज्य का उत्तरदायित्व है। ऐसा कह कर मैं अपने उत्तरदायित्व से पलायन करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। हम राज्यों को प्रोत्साहित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर शान्ति कायम करने के लिए पुलिस भेजकर उनकी सहायता करते हैं।

साम्प्रदायिकता की समस्या को हल करने के लिए ग्राम स्तर, नगर स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर जन नेताओं की समितियां होनी चाहिए। इससे इस समस्या को हल करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

यह कहना गलत है कि प्रशासन पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाता है। यदि यह बात साबित हो जाय तो प्रशासन को उसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यदि मेरे अधीन चल रहा प्रशासन ऐसा करता है तो इसका तात्पर्य यह है कि हम अपना कर्तव्यपालन करने में असफल हैं। किन्तु मैं यह दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि यह आरोप निराधार है।

अब मैं केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में कुछ कहूंगा। हमारे संविधान में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों में समुचित संतुलन कायम करने का उपबन्ध है। केन्द्र और

राज्य दोनों ही सबल होने चाहिए और दोनों को ही एक दूसरे के अधिक शक्तिशाली बनाने में परस्पर सहायता करनी चाहिए। हमारा इतिहास बताता है कि भारत में जब कभी भी केन्द्र शक्तिहीन रहा तभी विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी शक्ति ने यहां अपना आधिपत्य जमाया। यह ऐतिहासिक तथ्य है जिससे हम बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने बुद्धिमानी और बड़ी दूरदर्शिता से केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में कुछ मूलभूत सिद्धान्त निर्धारित किए और मैं समझता हूं कि ये सिद्धान्त भविष्य में भी उपयोगी ही रहेंगे। ये सिद्धान्त बहुत दृढ़ और ठोस हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की गुंजायश ही नहीं है। आवश्यकतानुसार थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं ने संविधान को इस प्रकार बनाया है जिसमें आवश्यक होने पर अपेक्षित संशोधन आसानी से किया जा सकता है। हमने देश के आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग स्थापित किया, यह सब कुछ तो ठीक है किन्तु यह दृष्टिकोण अपनाना खतरनाक है कि केवल प्रतिरक्षा, संचार और विदेश नीति ही केन्द्र के विषय होने चाहिए तथा शेष मामलों और विभागों का उत्तरदायित्व राज्यों पर होना चाहिए। यदि हमने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया तो निश्चय ही देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। हमारे देश के शत्रु चाहते भी यही हैं। कुछ लोग भाषा आदि प्रश्नों को लेकर देश को छोटे-छोटे भागों में बांटना चाहते हैं। आज चीन एशिया का नेतृत्व करना चाहता है और उसके इस स्वार्थ की प्राप्ति के मार्ग में हमारा देश ही सबसे बड़ा रोड़ा है। इसीलिए वह इसको कई भागों में विभाजित देखना चाहता है। सम्भवतः पाकिस्तान भी यही चाहता है। अतः जब हम केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में बात करते हैं तो हमें यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि केन्द्र या राज्य किसी प्रकार शक्तिहीन न होने पायें। हमारे संविधान में इन सम्बन्धों में समुचित संतुलन बनाये रखने की व्यवस्था है।

केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों में भाषा की भी एक समस्या है। इस सभा में भाषा (संशोधन) विधेयक तथा उससे संलग्न संकल्प का उल्लेख किया गया है। किन्तु मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि किसी ने अभी तक यह बात नहीं उठाई है कि इस विधेयक को पारित करना उचित नहीं था क्योंकि इस विधेयक में स्वर्गीय नेहरू द्वारा अहिन्दी भाषी लोगों को दिये गये इस आश्वासन को कार्यरूप दिया गया है कि अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी को लादा नहीं जाएगा। अहिन्दी भाषी लोग चाहते भी यही हैं। हां, भाषा सम्बन्धी संकल्प के बारे में कुछ मतभेद अवश्य है। इस संकल्प में तीन-चार बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि इसमें हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं का विकास करने के लिए ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संकल्प में दूसरी बात यह कही गई है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें सभी भारतीय भाषाओं में ली जानी चाहिए। इन बातों के बारे में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। तीसरी बात यह है कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से ऐसा करने की सिफारिश की गई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के बारे में है। इस सम्बन्ध में देश के विभिन्न भागों के लोगों में कुछ मतभेद है। अहिन्दी भाषी लोगों में कुछ ऐसी धारणा सी बनी हुई है कि भर्ती के मामले में कुछ असमानता है। उनका

कहना है कि हिन्दी भाषी लोगों को सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए केवल एक भाषा अर्थात् हिन्दी ही सीखनी पड़ती है जबकि अहिन्दी भाषी लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी या हिन्दी का व्यापक ज्ञान रखना पड़ता है। हमने सिद्धान्त रूप में यह कठिनाई मान ली है और हम इसका कोई हल निकालने के लिये तैयार हैं। हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल बैठ-कर इस समस्या पर विचार करें और इसका कोई उचित हल निकाल लें। यह एक राष्ट्रीय मामला है और राष्ट्रीय स्तर पर ही यह समस्या हल की जा सकती है। जहां तक राजभाषा का सम्बन्ध है अभी फिलहाल अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं को इसके लिए रखा गया है। हिन्दी के विकास के लिये हम सतत् प्रयत्नशील हैं। आशा है हिन्दी शीघ्र ही विकसित हो जायेगी।

कुछ लोग श्री कामराज द्वारा दिये गये वक्तव्य का गलत अर्थ लगा रहे हैं और उस वक्तव्य को गलत रूप से उद्धृत कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्री कामराज ने सोच समझ कर देश के हित में विवेकपूर्ण वक्तव्य दिया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से मद्रास के विद्यार्थियों से अपील की है कि वे भाषा सम्बन्धी आन्दोलन बन्द कर दें और इसके बारे में निर्णय अपने से वरिष्ठ लोगों पर छोड़ दें। मैं समझता हूं कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए इससे अधिक विवेकपूर्ण वक्तव्य और कोई नहीं हो सकता है।

हमें भाषा के बारे में सम्पूर्ण देश के हित को ध्यान में रख कर ही निर्णय करना है। इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति का पृथक-पृथक दृष्टिकोण हो सकता है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत दृष्किोण को ध्यान में रखकर तो कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। इससे समस्या का हल नहीं हो सकता है, समस्या और अधिक उलझ सकती है। हमें कोई ऐसा हल निकालना है जो सभी के हित में हो और प्रायः सभी को मान्य हो।

अब मैं क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में कुछ कहूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने आसाम का उल्लेख किया है। मैं मानता हूं कि भारत के पूर्वी क्षेत्र की समस्या महत्वपूर्ण है और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। इस क्षेत्र में कुछ विध्वंसक तत्व तथा उपद्रवी संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इनका चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध है। हमें इस समस्या पर दलगत अथवा क्षेत्रीय दृष्टिकोण से नहीं अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिये। हम इस समस्या के बारे में बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना देश के हित में नहीं होगा। असम के पुनर्गठन के बारे में सावधानी पूर्वक व्यापक दृष्टि से विचार किया जा रहा है। पहले तो हम दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका तो इस सम्बन्ध में कोई उचित निर्णय किया जायेगा। अभी तक हम इस बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाये हैं।

मैं यह मानता हूं कि राज्यों का अपना अस्तित्व है और उन्हें अपने ढंग से प्रगति करनी चाहिये। किन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आवश्यकता से अधिक प्रदेशवाद देश के लिये खतरनाक होता है। यदि हमें वास्तव में देश को शक्तिशाली

बनाना है तो अत्यधिक प्रदेशवाद, साम्प्रदायिकता तथा भाषायी कट्टरता को हमें दूर करना होगा। हमें अपने देश को एक सुसंगठित, प्रभुत्वसम्पन्न और धर्मनिर्पेक्ष लोकतंत्र बनाये रखने के लिये उपर्युक्त बातों से दूर ही रहना पड़ेगा। सरकार इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहेगी।

माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित दीनदयाल की हत्या की जांच के बारे में प्रश्न उठाया है। हम सबको उनकी मृत्यु से अत्यन्त शोक है। वह भारत के सच्चे सपूत थे। देश के लिये उनकी सेवाएं अविस्मरणीय रहेंगी। मैं इस मामले की जांच के बारे में माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जांच बड़ी तेजी से जारी है। इस सम्बन्ध में काफी सुराग मिल चुका है। पंडित उपाध्याय जी का सामान भी मिल चुका है। जांच के बारे में ब्योरा इस समय सभा को देना उचित नहीं है। श्री लोबो से जांच का कार्य वापिस नहीं लिया गया है। वह अभी जांच कर रहे हैं। श्री एम० पी० सिंह, डी० आई० जी० को उनकी सहायता करने को कह दिया गया है। श्री सिंह अपने वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त समय-समय पर इस जांच कार्य में सहायता देते रहेंगे। यह कहना भी उचित नहीं है कि गुप्तचर विभाग इस मामले को दुर्घटना का मामला मानकर जांच कार्य कर रहा है। जांच कार्य में सभी संभावनाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। जांच कार्य पूरा होने पर जब तथ्य सामने आ जायेंगे तो फिर यह मामला न्यायालय को सौंपा जायेगा। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि गुप्तचर विभाग को जांच व्यापक दृष्टि से करनी चाहिये। निस्संदेह यदि किसी प्रकार का सुराग मिलेगा तो उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जायेगी।

यहां पर धर्मप्रचारकों तथा चाय बागान मालिकों के बारे में भी बात उठाई गई है। जहां तक धर्मप्रचारकों का सम्बन्ध है, हम इस सम्बन्ध में उनके भारतीयकरण की नीति अपना रहे हैं। किन्तु यह कार्य धीरे-धीरे किया जा सकता है। हम इस तरह से कार्य करना चाहते हैं जिससे इस देश में रहने वाले ईसाई लोगों के मन में किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न न हो। हम प्रायः यह देखते हैं कि ईसाई धर्म प्रचारक लोग बड़ी तन्मयता और निष्ठा के साथ सेवा कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ, एक कुष्ठ रोगी की सेवा एक इसाई अधिक निष्ठा से करेगा। अतः इस सम्बन्ध में हमें मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। यह कार्य धीरे-धीरे ही हो सकता है। हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ अधिक सख्ती का बर्ताव करना पड़ेगा। उन क्षेत्रों में नये धर्म-प्रचारकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। जब कभी भी किसी व्यक्ति पर सन्देह उत्पन्न हो जाता है तो उसे उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाने के लिये कह दिया जाता है।

माननीय सदस्य श्री ब्रह्म प्रकाश ने दिल्ली की समस्या का उल्लेख किया है। उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। इस प्रश्न पर सम्बन्धित अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली केन्द्र की राजधानी है। एक ही क्षेत्र में केन्द्र और दिल्ली राज्य की दो सरकारें नहीं हो सकती हैं। इसके साथ ही कुछ समस्याओं को निबटाने के लिये अन्य स्वायत्तशासी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। कुछ कार्यकारी दायित्व करने पड़ते हैं और यही किया जा रहा है। महानगर परिषद् में कार्यकारी परिषद्

हस्तांतरित विषयों के सम्बन्ध में कार्य कर रही है। कुछ प्रशासनिक समस्याओं के कारण कठिनाइयां हो रही हैं। इनमें राजनीतिक समस्याएं भी हैं। परन्तु यदि सभी सम्बन्धित पक्ष काम करना चाहें और सहयोग दें तो ये समस्यायें हल हो सकती हैं। यदि सुधार के लिये कुछ संशोधन करना पड़े तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में दो-तीन वर्ष पहले भी इस सभा में विचार किया जा चुका है। किन्तु यह व्यावहार्य नहीं समझा गया।

अब मैं झुग्गी झोपड़ी की समस्या के बारे में कुछ कहूंगा। स्वतंत्रता के बाद समस्त देश में नगरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा न होने के कारण अधिक संख्या में लोग रोजगार के लिये नगरों में आने लगे हैं। इससे समस्त भारत में गंदी बस्तियों की समस्या भयंकर रूप धारण करती जा रही है। दिल्ली के बारे में यह बात और अधिक गंभीर है। क्योंकि पिछले 20 वर्षों में दिल्ली का विस्तार पहले की अपेक्षा पांच-छः गुना अधिक हो गया है। अब हमें दिल्ली को गन्दी बस्तियों के शहर बनने से रोकना है। कुछ लोगों को दिल्ली से बाहर बसाना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं और पूरी तरह मानता हूं कि जिन लोगों को दूसरे स्थानों पर बसाना होता है उनके जीवन के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में हम अपनी ओर से यथासंभव प्रयत्न करते हैं। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने इसके लिये समुचित व्यवस्था की। सुविधाएं पर्याप्त हैं अथवा नहीं, इस बारे में मतभेद हो सकता है किन्तु इस प्रश्न पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिये। हमें मानवीय दृष्टिकोण को सर्वाधिक महत्व देकर कार्य करना चाहिये। दिल्ली की गन्दी बस्तियों से लोगों को हटाकर दूसरे स्थानों पर ले जाने से उन लोगों को लाभ होगा जो उन बस्तियों में पहले से रह रहे थे। यह सब केवल दिल्ली को सुन्दर बनाने की दृष्टि से ही नहीं किया गया है। हमने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि अभी फिलहाल कार्यवाही स्थगित की जाये ताकि इस समस्या के बारे में बातचीत की जा सके और आन्दोलन न होने पायें। इस समस्या को हम परस्पर सहयोग और रचनात्मक तरीके से अधिक आसानी से हल कर सकते हैं। हमें झुग्गी झोपड़ी के प्रश्न को राजनीतिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। इस समस्या को हल करने के लिये धन और भूमि की आवश्यकता है। हम इन सब पहलुओं पर व्यापक दृष्टि से विचार करेंगे।

कुछ छोटी-छोटी बातों को महत्वपूर्ण बनाया जाता है। श्री कण्डप्पन ने जानबूझ कर तमिलनाड का नाम लिया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य सभा के सामने रखूंगा। सबसे पहले मद्रास के मुख्य मंत्री ने इस राज्य के लिये कुछ दूसरा नाम लिया था।

यदि मद्रास की जनता अपने राज्य का नाम बदलना चाहती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक किसी रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करने का सम्बन्ध है, हम इस मामले पर रेलवे से लिखा-पढ़ी करेंगे। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई सुझाव देना चाहें तो वे भेज सकते हैं और हम उन पर निश्चय ही गुण दोष के आधार पर विचार करेंगे।

श्री पीलु मोडी के भाषण में कोई विशेष प्रश्न नहीं उठाया गया है। द्विवेदीजी ने मैसूर-महाराष्ट्र सीमा और उड़ीसा और आंध्रप्रदेश का उल्लेख किया। इन दोनों समस्याओं में अन्तर है। मैसूर और महाराष्ट्र की समस्या इस समय सरकार के विचाराधीन है और इस समय मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं उन दोनों राज्यों में से एक से सम्बन्ध रखता हूं। इसलिये मैं नहीं चाहता कि कोई गलत-फहमी पैदा हों।

जहां तक उड़ीसा-आंध्र की समस्या का सम्बन्ध है मैं दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से लिखा-पढ़ी कर रहा हूं और प्रयत्न कर रहा हूं कि वे किसी ऐसे हल पर सहमत हो जायें जो दोनों को स्वीकार्य हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी इस सम्बन्ध में अपना योगदान देंगे।

श्री वर्मा ने आसाम की घटनाओं का उल्लेख किया। वहां पर जो स्थिति है उसके प्रति हमें बड़ा सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि वह समस्या बड़ी जटिल और गम्भीर है।

हरिजनों के साथ व्यवहार सम्बन्धी समस्या एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। हमें राष्ट्रीय स्तर पर इसका हल ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिये। इस देश का यह कर्तव्य होगा कि उनके साथ न्याय किया जाये और वे स्वयं भी यह महसूस करें कि उनके साथ न्याय किया जाता है। अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण के अतिरिक्त अन्य समस्याओं पर भी विचार करने के लिये गृह-मंत्रालय में श्री यार्दी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। उसने कुछ सुझाव दिये थे जिन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, under section 22 of Delhi Administration Bill, 1966 the demands of the Home Ministry relating to Delhi can only be discussed and voted here after they have been discussed in the Metropolitan Council, and the recommendations of the council together with the views thereon of the Executive Council are placed before the House.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उस अधिनियम में केवल यह कहा गया है कि महानगर परिषद या कार्यपालिका परिषद की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार को विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
38	गृह-कार्य मंत्रालय	1,24,05,000
39	मंत्रि-मण्डल	55,86,000

1	2	3
40	न्याय प्रशासन	2,11,000
41	पुलिस	37,94,22,000
42	जनगणना	1,09,58,000
43	अंक संकलन	2,94,82,000
44	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	1,31,000
45	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	15,63,000
46	दिल्ली	31,12,89,000
47	चण्डीगढ़	4,98,17,000
48	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	5,96,87,000
49	आदिम जाति क्षेत्र	20,56,51,000
50	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	46,93,000
51	लक्कद्वीप, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप समूह	89,92,000
52	गृह-मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,95,40,000
117	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	19,72,95,000
118	गृह-मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	62,62,000

प्रतिरक्षा मंत्रालय

वर्ष 1968-69 के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
4.	रक्षा मंत्रालय	73,56,000
5.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय	762,53,33,000
6.	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	23,54,17,000
104.	रक्षा पूंजी परिव्यय	108,79,17,000

श्री गिरिराज शरण सिंह (मथुरा) : प्रतिवेदन में एक सुझाव राष्ट्रीय छात्र सेना की कार्यवाहियों को कम करने का है। युवकों में अनुशासन की कमी को दूर करने की दृष्टि से ऐसा करना वांछनीय नहीं है। सेना में 16 डिवीजनें बढ़ाने का अभी समय नहीं था क्योंकि इसके लिये अभी हमारे पास पर्याप्त परिवहन साधन और उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

हाल ही में वायु सेना के विमानों की जो कई दुर्घटनाएं हुई हैं उनका मुख्य कारण मेरे विचार में विमान चालकों के प्रशिक्षण में कमी और विमानों का त्रुटिपूर्ण रखरखाव है। बहुत ही खेद की बात है कि हाल ही में जब ईरान के मुख्य सेनापति ने इस देश का दौरा किया तो उन्हें नाथूला क्षेत्र में भी ले जाया गया था।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

काश्मीर, हाजीपीर और अब कच्छ में जो कुछ हुआ है क्या देश उसे भुला सकता है? हमारी सरकार को अमरीका, रूस और चीन को बता देना चाहिये कि भारत के लोग लालची नहीं हैं, वे केवल शांति चाहते हैं ताकि उनकी संतान फले और फूले। यदि पड़ोसी देशों के साथ भारत के लोगों का संपर्क स्थापित किया जाय तो मतभेदों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि कठिन क्षेत्रों में कनिष्ठ अधिकारियों के ठहरने की अवधि को घटाया जाये और उन्हें प्राय: छावनी क्षेत्रों में लाया जाये।

डा० द० स० राजू (राजमंड्रि) : सभापति महोदय, मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। बड़े खेद की बात है कि अपने लोगों के कल्याण पर जिस धन को व्यय किया जा सकता था उसे हमें प्रतिरक्षा प्रयोजनों पर खर्च करना पड़ता है। इतिहास में सम्राट् अशोक के काल को छोड़ एक बार भी हमारी सेनाएं अपनी सीमा से बाहर नहीं गई हैं। श्री रोयेन रालैंड का कहना है कि यदि महात्मा गांधी का तजुर्बा असफल हो गया तो मानवता का बचाव नहीं हो सकता और हिंसा फैलती जायेगी। खतरनाक बमों के निर्माण के बावजूद भी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं निपटाया जाता है।

टैक्नालोजी बड़ी तेजी से प्रगति कर रही है। हमें भी इसके साथ-साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सेना को आधुनिकतम हथियार दिये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें यथाशीघ्र आत्म-निर्भर होना चाहिये। पनडुब्बियों को प्राप्त करने की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये।

हमारी सीमाएं बड़ी हैं; अतः हमें इसको ध्यान में रखकर अपनी प्रतिरक्षा नीति बनानी चाहिये। हम बड़ी नौसेना चाहते हैं, किन्तु यह दीर्घकालीन नीति है। हमारी तुरन्त आवश्यकता टॉरपीडो बोट्स और छोटी पनडुब्बियों की है। वायुसेना में हमारी तुरन्त आवश्यकता सुपरसानिक लड़ाकू विमानों की है। हमें एच० एफ० 24 और मिग विमानों का शीघ्र विकास करना होगा।

इनकी संख्या में वृद्धि करनी होगी। हमें टैंकों की संख्या में भी उस समय तक आयात द्वारा वृद्धि करनी होगी जब तक उनकी संख्या पर्याप्त नहीं हो जाती। हमें टैंकों को तोड़ने वाले राकेट तुरन्त बनाने होंगे। यह एक बचाव का हथियार है और टैंक से बहुत सस्ता पड़ता है।

परिवहन और संचार के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यदि हमारे जवानों को किसी स्थान पर आवश्यकता के समय नहीं पहुंचाया जा सकता तो इससे बड़ा अन्तर पड़ जाता है। परिवहन विमानों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है।

अनुसन्धान का भी अपना महत्व है और इस समय इसके लिये 1 प्रतिशत भी राशि नहीं दी जा रही है। यदि हम अनुसन्धान द्वारा अच्छे हथियारों का विकास कर लें तो इससे हम काफी बचत कर सकेंगे। अनुसन्धान पर खर्च किया गया धन बेकार नहीं जायेगा। प्रक्षेपणास्त्रों के क्षेत्र में हम अभी बहुत पीछे हैं।

हमें चीन की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिये। उसने एक ऐसे प्रक्षेपणास्त्र का विकास किया है जो 600 मील की दूरी तक मार सकता है। हमें नागरिक सुरक्षा विधेयक के उपबन्धों को क्रियान्वित करना चाहिये। यदि हम पर आक्रमण हो जाये तो हम अपने देश को बचा सकते हैं। हमें शरणालयों का विकास करना चाहिये। इस देश में अनेक पहाड़ियां हैं जिन्हें बचाव के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि अमरीका और रूस में किया जाता है। देश की सुरक्षा के लिये एकता का होना अत्यावश्यक है। नैतिक पतन या राजनीतिक भ्रष्टाचार या आर्थिक कुसमायोजन या कमजोर नेतृत्व होने पर विदेशी आक्रमण का वातावरण पैदा होगा। देश के पूर्वोत्तर भाग में जो खतरा है उसके सम्बन्ध में सरकार को शीघ्र निर्णय करना चाहिये।

प्रक्षेपणास्त्रों के सम्बन्ध में हम इनके छोड़ने वाले उपकरणों के विकास की उपेक्षा नहीं कर सकते। चाहे हम हजारों मीलों तक इसकी मार न कर सकें किन्तु फिर भी यदि हम प्रक्षेपणास्त्र का विकास कर सकते हैं, तो प्रक्षेपणास्त्र छोड़ने वाले उपकरणों का विकास कर भी सकते हैं।

जो जवान युद्धक्षेत्र में शहीद हो जाते हैं, हमें उनके परिवारों की उचित देखभाल करनी चाहिये। सेना देश की एकता में सबसे बड़ा योगदान देती है। भाई-चारे को वहीं बढ़ावा मिलता है। सेना के जवान देश की अच्छी सम्पदा हैं।

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा को उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968 के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा 26 मार्च, 1968 को पारित किया गया था, लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य-सभा को उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1968 के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा 26 मार्च, 1968 को पारित किया गया था, लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

श्री बृजराज सिंह—कोटा (झालावाड़) : एशिया में शक्ति संतुलन तभी स्थापित किया जा सकता है जब भारत चीन से घटिया स्थान स्वीकार न करे। चीन एक ऐसा देश है जिसके बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि वह कब आक्रमण कर देगा। भारत की सैनिक शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वह चीन पाकिस्तान के किसी भी आक्रमण को विफल बना सके। यदि हमारा देश मजबूत है तो कोई भी देश हम पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। किन्तु यदि यह कमजोर है तो कोई भी देश इस पर आक्रमण कर सकता है। परमाणु अस्त्रों के क्षेत्र में चीन हमसे कम से कम 10 वर्ष आगे है और इससे हमारी स्थिति और भी गम्भीर हो गई है। हमारे लिये अधिक चिन्ता का विषय यह है कि चीन अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा और डरायेगा धमकायेगा और अपमानित करेगा। जिस देश के पास परमाणु अस्त्र होते हैं उसे एक विशेष स्थान प्राप्त होता है। सरकार की ये कल्पनाएं कि यदि चीन ने हम पर आक्रमण किया तो रूस और अमरीका हमारी सहायता को आयेंगे बिल्कुल निराधार और मूर्खतापूर्ण हैं। इसका कारण यह है कि रूस और अमरीका की चीन के साथ अपनी ही समस्याएं हैं और वे इस प्रकार की जोखिम कभी भी नहीं उठायेंगे। चीन की परमाणु अस्त्रों की धमकियों का उत्तर हमें अपनी मजबूत सैनिक, राजनीतिक और राजनयिक शक्ति द्वारा देना चाहिये और चीन के आगे किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिये।

जहां तक परमाणु शक्तियों द्वारा भारत को गारन्टी देने का सम्बन्ध है यह एक ढोंग है। परमाणु अस्त्रों वाला कोई भी राष्ट्र अन्य किसी देश से युद्ध करने की जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। भारत को ऐसी गारन्टियों में विश्वास नहीं करना चाहिये।

चीन के सम्बन्ध में हमारे सामने दो विकल्प हैं। एक तो यह कि हम परमाणु अस्त्रों का त्याग कर दें और भविष्य में विश्वास रखें। दूसरा विकल्प यह है कि यदि चीन को काबू में लाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, तो परमाणु अस्त्रों के निर्माण के सम्बन्ध में हम एक दृढ़ निश्चय करें। परमाणु बम बनाने के अपने अधिकार को छोड़ने से बड़ी और कोई गलती नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में हम जो भी निर्णय करें वह हमारे आत्म-सम्मान के अनुकूल होना चाहिए। भारत एशिया का एक बड़ा देश है और इसे एशिया के राष्ट्रों का संरक्षक बनना है।

इन मांगों में अनुसन्धान तथा विकास विभाग के लिये बहुत कम राशि रखी गई है। यह राशि हमारे कुल प्रतिरक्षा बजट का 1.3 प्रतिशत भी नहीं है जबकि विकसित देश अपने कुल बजट का लगभग 5-6 प्रतिशत व्यय करते हैं।

वायु सेना तथा नौसेना के लिये अधिक राशि का उपबन्ध किया जाना चाहिये। हिन्द महासागर अन्तर्राष्ट्रीय साजिश का अड्डा न बन जाये, इस दृष्टि से हमारी नौसेना का महत्व और भी बढ़ जाता है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। जब चीन ने हम पर आक्रमण किया तब हम पर्याप्त रूप से तैयार न थे और हमें पुराने

हथियारों से ही लड़ना पड़ा। क्या भारत जैसे एक विशाल देश के लिये आधुनिक हथियारों के बिना अपना बचाव करना संभव है ? हाल ही में आपात कमीशन प्राप्त कुछ अधिकारियों की छंटनी की गई है। यह एक सही पग नहीं है क्योंकि चीन हमारे क्षेत्र से अभी नहीं हटा है और पाकिस्तान भी चीन और अमरीका की सहायता से भारत के विरुद्ध सैनिक तैयारी कर रहा है।

हमारी सैनिक गुप्तचर सेवाओं के पास समुचित उपकरण नहीं हैं। इस सेवा को अधिक कार्शकुशल बनाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। ऐसे समय में जबकि हमारे देश को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है राष्ट्रीय छात्र सेना का समाप्त किया जाना उचित नहीं है।

परमाणु अस्त्रों के सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये और चीन और पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए परमाणु अस्त्रों का निर्माण आरम्भ किया जाना चाहिये।

चीन तिब्बत में से हमारी सीमा तक एक सड़क बना रहा है जिससे हमें खतरा है। फिर हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो माओत्सेतुंग जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जब तक हम सतर्क नहीं होंगे और इनकी कार्यवाहियों को नहीं दबायेंगे हमारा बचाव पूरा नहीं होगा।

आधुनिक लड़ाइयां अनुसन्धान कार्य के आधार पर जीती जाती हैं और हम इस दिशा में अभी काफी पीछे हैं। अनुसन्धान कार्य के लिये पर्याप्त राशि नियत नहीं की गई है। अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिये हमें नौसेना को आधुनिक उपकरण देने चाहिये। यदि निकट भविष्य में कोई संकट आन पड़े तो हमारी वायु सेना इस स्थिति में नहीं है कि उसका पूरी तरह मुकाबिला कर सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रतिरक्षा की मांगें अपर्याप्त हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो विदेशों से अपने सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं। अतः उनके प्रति हमें अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है।

ऐसा लगता है कि जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों में असन्तोष है। उनमें से कुछ अधिकारी ऐसा समझते हैं कि उनका मौजूदा वेतन तथा सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं जिस कारण वे अपने बच्चों को उचित रूप से शिक्षा नहीं दे पाते। प्रायः ऐसी शिकायतें सुनने में आती हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। प्रतिरक्षा मंत्री को इस बात की जांच की जानी चाहिये।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
4	1	श्री लोबो प्रभु	ब्रिटिश सेना के हिन्द महासागर से हटाये जाने	घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			के कारण वहां सेना के अभाव की पूर्ति करने में असफलता ।	
	3	श्री लोबो प्रभु	हमारी रक्षा नीति का पुनः निर्धारण किये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
	4	श्री लोबो प्रभु	रक्षा सम्बन्धी व्यय के लिये बजट में अधिक राशि का निर्धारण जो कि हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्य-कुशलता के अनुपात में नहीं है ।	100 रुपये
	5	श्री लोबो प्रभु	एम्बाकशन हेडक्वार्टर्स में धन और समय की बरबादी ।	100 रुपये
	6	श्री लोबो प्रभु	मिलिटरी फार्मों के संचालन में हानि होना ।	100 रुपये
	7	श्री लोबो प्रभु	भूमि अर्जन के लिये बहुत अधिक राशि का भुगतान।	100 रुपये
	8	श्री लोबो प्रभु	जांच न्यायालय द्वारा शीघ्र किसी निर्णय पर पहुंचे बिना ही विमानों के फालतू पुर्जों के लिये आवश्यकता से अधिक व्यवस्था करना ।	100 रुपये
	9	श्री लोबो प्रभु	आयुध कारखानों में उत्पादन में अदक्षता तथा उत्पादन पर अधिक व्यय होना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
5	10	श्री लोबो प्रभु	विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि	100 रुपये
	11	श्री लोबो प्रभु	फालतू पुर्जों को भण्डार में ठीक तरीके से न रखना जिसके परिणामस्वरूप विमान के दो इंजनों की पूरी तरह मरम्मत कराने में 62 हजार रुपये की हानि हुई।	100 रुपये
4	23	श्री अब्राहम	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा अपनायी जा रही श्रमिक-विरोधी नीति।	1 रुपया
	24	श्री अब्राहम	भारत अर्थ-मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा अपनायी जा रही श्रमिक-विरोधी नीति।	1 रुपया
	25	श्री अब्राहम	सैनिक सामान के लिये विदेशों पर निर्भरता।	1 रुपया
	26	श्री अब्राहम	जवानों को दिया जाने वाला अपर्याप्त वेतन और उच्च सैनिक अधिकारियों की उपलब्धियों में की गई अनुचित वृद्धि।	1 रुपया
	27	श्री अब्राहम	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा अपनायी जा रही श्रमिक-विरोधी नीति।	1 रुपया

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
	28	श्री अब्राहम	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा अपनायी जा रही श्रमिक-विरोधी नीति।	1 रुपया
	29	श्री अब्राहम	रक्षा-भवन में अधिकारी-बोझिल प्रशासन।	1 रुपया
	30	श्री अब्राहम	भूतपूर्व ले० जनरल कौल द्वारा अपनी पुस्तक 'अनटोल्ड स्टोरी' में लगाये गये गम्भीर आरोपों के बावजूद हैंडरसन समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित न करना।	1 रुपया
	31	श्री अब्राहम	मजगांव डाक लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा अपनायी जा रही श्रमिक-विरोधी नीति।	1 रुपया
	32	श्री अब्राहम	प्रागा टूल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा अपनायी जा रही श्रमिक-विरोधी नीति।	1 रुपया
4	33	श्री फ्रैंक एन्थनी	प्रतिरक्षा कार्यों को प्रभावी बनाने तथा अनावश्यक व्यय रोकने की दृष्टि से, सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने की शीघ्र आवश्यकता जिसमें उपयुक्त योग्यता प्राप्त संसद्-सदस्य भी शामिल हों।	घटाकर 100 रुपये कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
5	34	श्री अब्राहम	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये स्थायी समझौता वार्ता निकाय (परमानेन्ट नेगोशियेटिंग मशीनरी) पुनः स्थापित न करना।	1 रुपया
	35	श्री अब्राहम	प्रतिरक्षा अनुसंधान के भेद अमरीका सरकार से गुप्त रखने में असफलता।	1 रुपया
	36	श्री अब्राहम	उच्च सैनिक अधिकारियों के अमरीकी गुप्तचर एजेन्टों से सम्बन्ध।	1 रुपया
	37	श्री अब्राहम	हड़तालों, तालाबन्दी आदि के दौरान सेना का प्रयोग।	1 रुपया
104	38	श्री अब्राहम	प्रतिरक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में किन्हीं अमरीकी तथा ब्रिटिश फर्मों के साथ सहयोग समझौता करना।	1 रुपया
	39	श्री अब्राहम	एम० ई० एस० के असैनिक कर्मचारियों को दी जाने वाली कुछ रियायतें वापिस लेना जिसके परिणामस्वरूप 11 मार्च, 1968 को उद्धमपुर (जम्मू) में भूख-हड़ताल हुई।	1 रुपया
4	46	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड को स्थापित न करना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
	47	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा संस्थानों में कैन्टीनों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी न माना जाना ।	100 रुपये
	48	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा विभाग में गैर-औद्योगिक और औद्योगिक-कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के मामले में भेदभाव को दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
	49	श्री स० मो० बनर्जी	आयुध कारखानों में लगभग 6,000 व्यावसायिक शिशिक्षुओं को खपाने में असफलता ।	100 रुपये
	50	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा विभाग में असैनिक कर्मचारियों के लिए स्थायी समझौता-वार्ता निकाय पुनः स्थापित करने में असफलता ।	100 रुपये
	51	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के लिए दूसरी समान नौकरियों की व्यवस्था किये बिना उनकी छंटनी को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
	52	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा विभाग में असैनिक कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त न करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
	53	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा संस्थानों में छंटनी को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
	54	श्री स० मो० बनर्जी	जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में एम० ई० एस० कर्मचारियों को पुनः प्रतिकर भत्ता देने का प्रयत्न न करना ।	100 रुपये
	55	श्री स० मो० बनर्जी	एम० ई० एस० कर्मचारियों के पुनः वर्गीकरण के बारे में हाल ही में जारी किये गये आदेश जिनके द्वारा पदोन्नति की आयु 25 तक सीमित कर दी गयी है ।	100 रुपये
4	94	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करने में असफलता ।	घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
	95	श्री स० मो० बनर्जी	छंटनी रोकने में असफलता ।	1 रुपया
	96	श्री स० मो० बनर्जी	आयुध कारखानों की उपेक्षा करके गैर-सरकारी क्षेत्र में काम दिया जाना ।	1 रुपया
	97	श्री स० मो० बनर्जी	आयुध कारखानों में व्यवसाय शिशिक्षुओं को खपाने में असफलता ।	1 रुपया
	102	श्री स० मो० बनर्जी	एम० ई० एस० से ठेका प्रणाली समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
	103	श्री स० मो० बनर्जी	आयुध कारखानों में कार्य दर (पीस-रेट्स) में सुधार करने में असफलता।	100 रुपये
	104	श्री स० मो० बनर्जी	आयुध कारखानों में कार्य-दर पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का संरक्षण प्रदान करने में असफलता।	100 रुपये
	105	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों के लिए अधिक क्वार्टर उपलब्ध करने में असफलता।	100 रुपये
	106	श्री स० मो० बनर्जी	कार्मिक संघ की गतिविधियों में भाग लेने के कारण पदच्युत किये गये अथवा निकाले गये कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता।	100 रुपये
	107	श्री स० मो० बनर्जी	कपड़ा मिलों में काम न होने के कारण उत्पन्न समस्या।	100 रुपये
	108	श्री स० मो० बनर्जी	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में एवरो-748 का उत्पादन।	100 रुपये
	109	श्री स० मो० बनर्जी	प्रतिरक्षा संस्थानों में कार्मिक संघों को मान्यता न दिया जाना।	100 रुपये
	110	श्री स० मो० बनर्जी	आसाम क्षेत्र में कार्मिक संघों के पंजीकरण के बारे में सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध।	100 रुपये

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों को देखने पर मालूम होता है कि हम अपनी प्रतिरक्षा पर अधिक खर्च कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं में सुधार नहीं करना चाहते। इसका मतलब केवल यह है प्रतिरक्षा पर व्यय हमारी राष्ट्रीय आय के अनुपात में होना चाहिए। हमारा देश गरीब है और पिछड़ा हुआ है और हमारी कुल वार्षिक राजस्व आय लगभग 3,000 करोड़ रुपये है। हम प्रतिरक्षा पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करते हैं फिर भी हम अपनी रक्षात्मक आवश्यकतायें पूरी नहीं कर सकते, हमारे देश की आबादी लगभग 50 करोड़ है और विश्व का एक महत्वपूर्ण देश है, हमें शान्ति प्रिय राष्ट्र और हमें युद्ध के लिये नहीं अपितु अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये तैयारी करनी जरूरी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

लेकिन सीमित वित्तीय साधनों के कारण हम एक बहुत बड़ी सेना नहीं रख सकते।

हम अपने दृष्टिकोण से विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ जिसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं। चीन के साथ सीमा विवाद का हल लड़ाई से नहीं हो सकता। किसी शक्तिशाली आक्रमण से अपनी सीमाओं की रक्षा करने की चाहे हमारे पास काफी ताकत हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम सैनिक हल की शरण लें। हमें राज-नैतिक समाधान ढूंढना है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या चीन के साथ इस विवाद को बातचीत द्वारा हल किया जाये, और यदि हां, तो बातचीत करने का वातावरण किस प्रकार तैयार किया जायेगा। हमारी सरकार ने बार-बार यह कहा है कि जब चीन कोलम्बो प्रस्तावों को पूर्णरूप से नहीं स्वीकार करता, तब तक वह उसके साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। कोलम्बो प्रस्तावों को चीन ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। हमें अपने दृष्टिकोण तथा रवैये पर पुनः विचार करना चाहिए। हम उसके साथ बिना किसी पूर्व शर्त के भी बातचीत कर सकते हैं।

जहां तक भारत में आणविक हथियारों तथा बम के निर्माण का सम्बन्ध है, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि उनके निर्माण पर हमेशा के लिये प्रतिबन्ध लगा रहे। लेकिन आज हम उनका निर्माण करने के स्थिति में नहीं हैं। ट्राम्बे रिएक्टर में हम जो प्लूटेनियम तैयार करते हैं, यदि उसे बम बनाने के काम में भी ले आयें, तो उससे मुश्किल से 3 या 4 एटम बम प्रति वर्ष बनाये जा सकते हैं और इससे अधिक बम बनाने के लिये और अधिक रिएक्टर लगाने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम उसे बनाना नहीं चाहते, बल्कि वास्तविकता यह है कि हम उसे बनाने की स्थिति में नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए।

जैसा कि पहले कह चुका हूं हमें अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ समस्याओं तथा विवादों का राजनैतिक हल ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम अपना सैनिक खर्च कम कर सकेंगे और उस राशि को विकास कार्यों पर लगा सकेंगे और देश का पुनर्गठन कर सकेंगे तथा लोगों के रहन-सहन के स्तर को बढ़ा सकेंगे।

Shri Shashibhushan Bajpayee (Khargone) : We want a very big and strong army and efforts should continue to strengthen it. The more we make our defence strong the better it will be. It is a matter of satisfaction that we are becoming more and more self-reliant in the matter of production of defence equipment and we are almost in a position to meet our defence requirements today.

The country had shown a remarkable unity when we faced Pakistani aggression. The whole nation rose as one man against the external threats. Our defence forces showed a marvellous valour and Hindus, Muslims, Sikhs and Christians in our armed forces had all fought valiantly. We should try to preserve our national unity during peace time also. Disruptive forces emerging or working in the country tend to weaken our defence preparedness.

Our military bases require a little more development and efforts should be made to see that there are developed to the required extent. At present our armed forces are divided into so many regiments and which are named after castes such as Rajput Regiment, Jat Regiment, Sikh Regiment, Dogra Regiment, Gorkha Regiment, Mahar Regiment etc. There is no doubt that each Regiment has some historical background of its gallantry which gives them inspiration, but casteism in different regiments should be removed and if it is done, it would strengthen our armed forces to further extent. No new regiment should be named after castes.

It is really a matter of regret that there is a ban to the Harijans' entering the fighting force or units. They are banned from entering different regiments as soldiers. This ban should be removed. Harijans and Adivasis should be allowed to become Soldiers in all the units.

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं इस सम्बन्ध में गलतफहमी दूर करना चाहूंगा। हरिजन अथवा किसी जाति का व्यक्ति लड़ाकू फौज अथवा यूनिटों में जा सकता है। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ऐसी यूनिटें कई हैं जिनमें वे सिपाही बन सकते हैं और लड़ाई कर सकते हैं। वे इस समय लड़ाकू यूनिटों में हैं और वे हमारे देश के लड़ाकू सिपाहियों में से हैं।

Shri Shashibhushan Bajpayee : So far as discipline in the defence forces is concerned, they are well disciplined and they fight valiantly. But allocation for defence in our budget is not adequate. More money should be provided for the purpose, because China and Pakistan which have aggressive designs are our neighbours and we have very long borders to defend from external threats. Apart from this, Rajasthan canal has a strategic importance and its construction is important from defence point of view also. Similarly construction of Narvada dam would enable us to bring under cultivation the tract along the kachha border on Indian side. So my submission is money should be provided for early completion of such works as would strengthen our defence.

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) मैं पिछले दस वर्षों से प्रतिरक्षा कर्मचारियों के सम्पर्क में नहीं हूं। किन्तु जब मेरा उनसे निकट सम्पर्क था, तब उनका एक तीन स्तरीय बातचीत व्यवस्था थी जिसे प्रतिरक्षा मंत्रालय ने कुचल डाला है और अब वह उचित रूप से काम नहीं कर रहा है। जब तक कर्मचारियों के साथ बातचीत करने की उचित व्यवस्था न हो, काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता। प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बारे में इससे अधिक जानकारी मुझे नहीं है।

कई प्रतिरक्षा उद्योगों में विशेषतः सैनिक इंजीनियरिंग सेवा में ठेकेदारों के माध्यम से

काम चल रहा है, यद्यपि वे नाम के लिये सरकारी क्षेत्र में हैं किन्तु वास्तव में उनकी स्थिति गैर-सरकारी क्षेत्र से भी खराब है। ठेकेदार क्षेत्र के उद्योगों की संज्ञा देना ही बेहतर है क्योंकि इन ठेकेदारों ने इनसे बहुत धन कमा लिया है और वे मालो-माल हो गये हैं।

पश्चिम बंगाल की उत्तरी सीमा भूटान, सिक्किम और नेपाल से लगी हुई है। लेकिन इन सीमाओं से ऐसे देशों को रास्ते जाते हैं, जो हमारे मित्र नहीं हैं और जो किसी क्षण हमारे शत्रु हो सकते हैं। मैं भूटान की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का विशेष ध्यान दिलाना चाहती हूं। भूटान हमारी ओर पहाड़ का एक बड़ा बुर्ज है लेकिन उसका ढलान तिब्बत की ओर चला गया है इस लिये तिब्बत और भूटान के बीच संचार स्वाभाविक है। उनकी संस्कृति तथा भाषा भी लगभग एक ही है। उनके खान-पान तथा रहन-सहन का तरीका और पहनावा भी एक ही है। भूटान और तिब्बत के बीच संचार चल रहा है और वहां से लोग बरास्ता भूटान भारत आ रहे हैं जिन्हें मैंने अपनी आखों से देखा है। तिब्बती हमारे शत्रु नहीं हैं, बल्कि मित्र ही हैं लेकिन अब वे ऐसी शक्तियों के अधीन हैं जो हमारे मित्र नहीं हैं।

हमारी सीमाओं में अशान्ति की आशंका बहुत अधिक है और हमारी ओर भूटान-भारत सीमा पर ऐसे स्थान हैं जिन्हें वन गांव कहा जाता है। इन वनों की कोई देख-रेख नहीं की जाती, वहां कुछ लगभग 15 परिवार रहते हैं जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं। इन वनों की कोई सफाई नहीं की जाती और इन ग्रामीणों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनके लिये न तो शिक्षा की कोई सुविधाएं है और न ही दवा आदि की व्यवस्था है। पीने के पानी तक का प्रबन्ध नहीं है। ये हमारी प्रतिरक्षा की बाहरी चौकियां हैं। उनसे बेगार तक ली जाती है और उन्हें उनके काम के लिये पूरा पैसा नहीं दिया जाता। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

नक्सलबाड़ी की विशेष रूप से चर्चा की जाती है लेकिन वह तो सीमावर्ती क्षेत्र का एक इलाका है जो नेपाल की सीमा पर स्थित है। इन सीमावर्ती स्थानों के लोगों को, जो आदिवासी हैं, ब्रिटिश प्लान्टर्स कई सौ वर्ष पूर्व लोहरगाडा से वहां लाये थे। सरकार को इन पिछड़े क्षेत्रों, स्थानीय जनजातियों तथा आदिवासियों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके देख-भाल की आवश्यकता है। उनके लिये दैनिक जीवन की सुविधाएं यथा शिक्षा, दवाइयों, पीने के पानी आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतिरक्षा का यह सर्वोत्तम तरीका है जिसे हम कर सकते हैं। इस ओर प्रतिरक्षा व्यय का एक अंश खर्च किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए।

चलचित्र निर्माताओं की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: STRIKE OF FILM PRODUCERS

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : चलचित्र निर्माताओं, प्रदर्शकों और वितरकों के बीच एक समझौता हुआ है, इन तीन पक्षों ने तय किया है कि वे भविष्य में इकतरफा

कार्यवाही करने से पहले आपस में बातचीत करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसा उचित समझौता करने में सरकार की सहायता लेंगे जो सभी सम्बन्धित पक्षों के लिये हितकर हो, सभी प्रस्ताव वापस ले लिये जायेंगे और किसी पक्ष को दण्ड नहीं दिया जायेगा। यह तय हुआ कि किसी चलचित्र की बिक्री और वितरण के सम्बन्ध में बातचीत करते समय ढंग और प्रणाली का चयन अर्थात् न्यूनतम गारन्टी अथवा अग्रिम धनराशि या सीधी बिक्री का प्रश्न सौदा करने वाले पक्षों पर छोड़ दिया जायेगा। अग्रिम आधार पर बिक्री के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। न्यूनतम गारन्टी प्रणाली के अधीन सौदे के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त यह होगा कि उत्पादक और वितरक कुछ अधिकतम सीमाओं के अधीन जोखिम समान रूप से उठायेंगे।

फिल्मों के प्रदर्शन की प्रणाली के सम्बन्ध में यह समझा गया है कि इस मामले में अधिक विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है। लेकिन श्री सी० बी० देसाई ने प्रदर्शकों की ओर से ऐसा आश्वासन दिया है कि किरायों का पुनः ऐसे ढंग से समायोजन किया जायेगा कि वे निर्माताओं के लिये भी उचित हों। तथा किरायों में हेर-फेर 12 अप्रैल, 1968 से लागू किये जायेंगे। निर्णय की घोषणा श्री सी० बी० देसाई तथा श्री रोशन लाल मलहोत्रा द्वारा 30 अप्रैल, 1968 से पहले की जायेगी। मतभेद होने पर श्री के० के० शाह फैसला करेंगे।

सामान्य आयव्ययक 1968-69—अनुदानों की मांगे—जारी

GENERAL BUDGET 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

प्रतिरक्षा मंत्रालय

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : डा० मैत्रेयी बसु की भांति मुझे भी सीमा क्षेत्र में रहने तथा सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र से आने का सौभाग्य प्राप्त है। पिछले भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमने महसूस किया कि प्रभावी होने के लिये बहुत शक्तिशाली वायुसेना होते हुए भी बहुत-सी अन्य बातें भी जरूरी हैं और इस सम्बन्ध में हमें इच्छोगिल नहर पर एक अनुभव प्राप्त हुआ। पाकिस्तान ने कुछ वर्ष पूर्व इस नहर को बना लिया था और हमारी धारणा यह थी कि पाकिस्तान रावी से, जो सीमा के साथ बहती है, केवल एक नहर निकाल रहा है और यही सोच कर हमने सन्तोष कर लिया था। इसी धारणा के आधार पर कि वह केवल एक सिंचाई नहर है, हमारी सेनाओं को भी इस बारे में कोई चिन्ता नहीं थी क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली में उसका कोई खास महत्व नहीं होता। लेकिन जब हमने अपनी ओर से आक्रमण किया तब हमें पता लगा कि वह एक बुनियादी प्रतिरक्षा प्रणाली है न कि केवल एक आम नहर। इसलिये, युद्ध-विराम के तुरन्त पश्चात् हमारी ओर से भी सरकार से मांग की गई कि हमें भी इच्छोगिल नहर जैसी या उससे भी अधिक कारगर तथा अच्छी किस्म की कोई चीज तैयार करना चाहिए। हमने अपनी ओर से बराबरी की तैयारी आरम्भ कर दी और थोड़े समय में ही हमने इतना कुछ कर दिया है जो पाकिस्तान शायद 10 वर्षों में भी नहीं कर सकता था। इस प्रगति को देखकर विरोधी दल

के सदस्य भी सन्तुष्ट हैं, लेकिन फिर भी हमारी सेना में एक ऐसे विभाग की आवश्यकता है जो केवल दिन में ही नहीं अपितु रात में भी सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे ।

हम इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को युद्ध की विभीषिका सहन करनी पड़ी । उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, हो सकता है, अन्य लोगों को उनकी इन कठिनाइयों का पता ही न हो जो उन्हें झेलनी पड़ी हैं । सरकार ने उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में वाकई सराहनीय कार्य किया है । फिर भी मेरी अर्ज है कि प्रतिरक्षा विभाग को भी कुछ ऐसे प्रस्ताव तथा योजनाएं बनानी चाहिए जिनसे इन लोगों में एक किस्म का ऐसा आत्म विश्वास पैदा हो जाये कि भविष्य में ऐसी स्थिति के पुनः उत्पन्न होने पर यदि सेना को वहां पहुंचने में कुछ देर भी हो जाये, तो वे कुछ समय तक उसका मुकाबला कर सकते हैं.........

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 29 मार्च, 1968/9 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, March 29, 1968/Chaitra 9, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press. Lucknow—24-8-68—600.